5 DECADES OF UNEARTHING ENERGY

स्वर्ण जयंती विशेषांक

# कोयला दर्पण

कोल इण्डिया लिमिटेड की
अर्धवार्षिक हिंदी गृह पत्रिका

## राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा का स्वर्णिम अर्धशतक

वर्ष-2025-26 | अंक-18 | अगस्त, 2025

# अंगारा
## शक्ति से ऊर्जा की ओर अग्रसर

कोल इण्डिया का शुभंकर, **'अंगारा'** भारत के राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर से प्रेरित है। **'अंगारा'** के प्रत्येक अंग में एक संदेश छिपा है। यह ताकत और लचीलेपन का प्रतीक है। यह कोयला खनिकों के साथ समानता को दर्शाता है जो राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अद्वितीय साहस, समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ धरती की गहराई में धैर्य और साहस के साथ कार्य करते हैं।

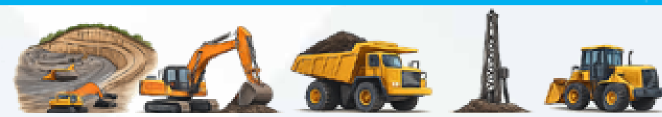

# संदेश

**पी. एम. प्रसाद**
अध्यक्ष
कोल इण्डिया लिमिटेड

आप सभी साथियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

**'कोयला दर्पण'** के इस विशेष संस्करण के माध्यम से आप सभी से संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कोयला, भारत की ऊर्जा की रीढ़ है और कोल इण्डिया न केवल भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, बल्कि सतत् विकास और पर्यावरणीय संरक्षण को भी प्राथमिकता दे रहा है। विगत 50 वर्षों में देश की औद्योगिक प्रगति, बिजली उत्पादन और आम नागरिकों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में कोल इण्डिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

50 वर्षों की हमारी यात्रा चुनौतियों और उपलब्धियों से भरी रही है। हालांकि, कोल इण्डिया ने आधुनिक तकनीकों को अपनाकर उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है और कार्यस्थल पर सुरक्षा व सतत् विकास को सुनिश्चित किया है। यह सब हमारे समर्पित कर्मचारियों/अधिकारियों, हितधारकों और सरकार के सहयोग से ही संभव हो पाया है। हम बदलते समय के साथ कोयला खनन को अधिक सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूरदर्शी नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाकर, कोयला उद्योग को और अधिक कुशल, हरित और सतत् बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके समर्थन और हमारी निरंतर मेहनत से हम कोयला क्षेत्र को एक नई ऊँचाई तक पहुँचा सकते हैं।

हिंदी एक सरल, सहज और सर्वसमावेशी भाषा है। अपनी व्यापकता और लोकप्रियता के कारण ही हिन्दी भारत की संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर रही है। यह देश की समृद्धि और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। वस्तुतः हिन्दी भारतीय संस्कृति की वाहक और भारतीय अस्मिता की पहचान है। मुझे विश्वास हैं कि **'कोयला दर्पण'** पत्रिका कोल इण्डिया में हिंदी प्रचार-प्रसार के साथ-साथ हमारी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को आप तक पहुँचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।

(पी. एम. प्रसाद)

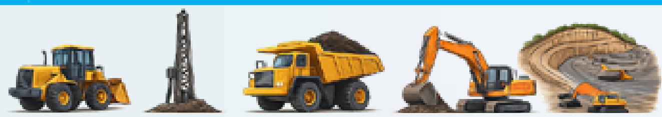

# संदेश

**डॉ. विनय रंजन**
निदेशक (मानव संसाधन)
कोल इण्डिया लिमिटेड

**'कोयला दर्पण'** पत्रिका न केवल हमारी उपलब्धियों का दस्तावेज़ है, बल्कि यह हमारे अधिकारियों / कर्मचारियों और सभी हितधारकों के साथ एक सार्थक संवाद स्थापित करता है। साथ ही यह पत्रिका हमारी यात्रा की महत्वपूर्ण झलकियाँ, कर्मचारियों के समर्पण, उपलब्धियों और संगठन के सतत् विकास को आप तक पहुँचाने हेतु एक मंच प्रदान करती है। यह पत्रिका न केवल हमारे प्रयासों को प्रदर्शित करती है, बल्कि हमारे कार्यबल की अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

कोल इण्डिया लिमिटेड की सफलता का मूल आधार इसके समर्पित एवं प्रतिभाशाली कार्यबल की मेहनत और उनकी प्रतिबद्धता में निहित है। हमारी कंपनी न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, बल्कि कार्यस्थल पर उत्कृष्टता, नवाचार और समावेशिता को भी बढ़ावा दे रही है। हम कौशल विकास, प्रशिक्षण, विविधता और समावेश को बढ़ावा देते हुए एक सशक्त कार्य संस्कृति को स्थापित कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि एक सशक्त कार्यबल ही संगठन की दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है।

कोल इण्डिया के 50 वर्ष पूरे होने का साक्षी बनना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। कंपनी ने इन 50 वर्षों में सफलता और असफलता, उतार-चढ़ाव सब कुछ देखा है। लेकिन एक काम जो हमने कभी नहीं किया, वह थी हार स्वीकार करना। एक-दूसरे पर हमारा विश्वास-भरोसा और कंपनी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता वे कारक हैं, जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। निरंतर आगे बढते रहने वाला हमारा रथ रुके न, हम कई और वर्षगांठ मनाएँ, कई और सफलता की कहानियाँ और उपलब्धियाँ हमारा राह देख रही है। तब तक, बस अच्छा काम करते रहें तथा और अधिक की आकांक्षा रखें। जैसा कि कहा जाता है, **"जो बड़े सपने देखते हैं, वे बड़े बनते हैं"**। इसलिए, कंपनी के लिए सपने देखना बंद न करें। स्वयं को केवल परंपराओं तक सीमित न रखें, प्रयोग करते रहें और कंपनी को आगे बढ़ाते रहें।

यह एक सुखद संयोग ही है कि यह वर्ष कोल इण्डिया के 50वाँ वर्ष होने के साथ-साथ राजभाषा विभाग, भारत सरकार की स्थापना का भी 50वाँ वर्ष है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने हिंदी के प्रचार–प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। कोल इण्डिया लिमिटेड भी राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं दैनिक कार्यों में इसके अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध है। आज के समय में विविध तकनीकी उपलब्धता ने हिंदी प्रयोग को सहज बना दिया है।

मैं इस अवसर पर कोल इण्डिया के हरेक अधिकारी/कर्मचारी को उनके लचीलेपन, प्रतिबद्धता और अविश्वसनीय प्रतिभा के लिए धन्यवाद देता हूँ। आइए, हम सब मिलकर उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएँ, जहाँ हर कार्मिक सशक्त, प्रेरित और नवाचार के लिए तत्पर हो।

स्वतंत्रता दिवस की असीम शुभकामनाओं के साथ।

वि० रंजन
**(डॉ.विनय रंजन)**

# संदेश

**मुकेश चौधरी**
निदेशक (विपणन एवं व्यवसाय विकास)
कोल इण्डिया लिमिटेड

मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि कोल इण्डिया लिमिटेड की स्वर्णिम जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर **'कोयला दर्पण'** का विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है। इस अंक में कोयला खनन, कोल इण्डिया की गतिविधियाँ और हमारे द्वारा किए गए नवाचारों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह विशेषांक न केवल हमारी उपलब्धियों का दस्तावेज है, बल्कि भविष्य की दिशा और प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है।

कोल इण्डिया का 50वाँ वर्षगांठ हम सभी के लिए गर्व का विषय है। यह अवसर हमें यह सोचने का प्रेरणा देता है कि इस उद्योग ने हमारे जीवन में क्या योगदान दिया है और हम सभी ने इसे किस प्रकार से आकार दिया है। यह समय आत्ममंथन का है, जहां हम अपने प्रयासों और उपलब्धियों का मूल्यांकन कर सकते हैं।

कोल इण्डिया लिमिटेड में हम निरंतर बाजार की गतिशीलता को समझते हुए अपनी विपणन रणनीतियों को आधुनिक और प्रभावी बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य न केवल देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है, बल्कि ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएँ प्रदान करना भी है। हमारी विपणन रणनीति केवल कोयला वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण, पारदर्शिता और नवाचार को भी बढ़ावा देती है। डिजिटल परिवर्तन, ग्राहक जुड़ाव और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को मजबूत कर हम अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पिछले पाँच दशकों में, कोल इण्डिया ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश की प्रगति में अभूतपूर्व योगदान दिया है। हमने न केवल उत्पादन क्षमता में वृद्धि की, बल्कि व्यवसाय विकास के नए आयाम स्थापित कर सतत् विकास की दिशा में भी प्रभावशाली कदम उठाएँ हैं। आज जब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, तो यह जरूरी है कि हम नवाचार एवं ऊर्जा के नए क्षेत्र में कदम बढ़ाएँ। सौर ऊर्जा, कोल गैसीफिकेशन, क्रिटिकल माइनिंग, उर्वरक जैसे क्षेत्रों में कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है।

हिंदी हमारी राजभाषा है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में, जहां अंग्रेजी का बोलबाला है, वहां हिंदी को महत्व देना एवं उसका प्रचार-प्रसार करना, राजभाषा संबंधी सांविधानिक उपबंधों का अनुपालन करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें गर्व है कि हमारी कंपनी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रही है। **'कोयला दर्पण'** का निरंतर प्रकाशन इसी दिशा का एक छोटा सा प्रयास है।

आइए, हम सब मिलकर कोल इण्डिया की इस स्वर्णिम यात्रा को और भी उज्ज्वल बनाएँ। हम सभी की सामूहिक प्रतिबद्धता और प्रयास ही हमें नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी।

**(मुकेश चौधरी)**

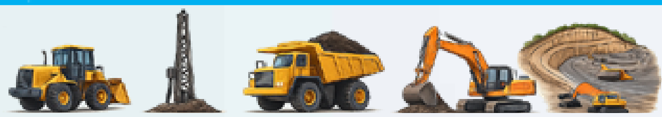

# संदेश

**मुकेश अग्रवाल**
निदेशक (वित्त)
कोल इण्डिया लिमिटेड

कोल इण्डिया लिमिटेड राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए गौरवशाली 50वाँ वर्ष मना रहा है। इस सफलता के पीछे हमारी परिचालन दक्षता, विपणन नीतियाँ, वित्तीय रणनीति व अनुशासन, कुशल प्रबंधन और जिम्मेदारीपूर्ण संचालन का महत्वपूर्ण योगदान है। हम लागत दक्षता, निवेश प्रबंधन और नवीन वित्तीय साधनों का उपयोग कर कंपनी की स्थिरता और सतत् विकास को प्राथमिकता देते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी को निरंतर उपयोग में लाना एवं बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता रही है। हिंदी भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। कोल इण्डिया की हिंदी पत्रिका '**कोयला दर्पण**' नवोन्मेषी विचार एवं नवीनतम तकनीकी और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ हमारे प्रयासों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को साझा करने का एक उत्कृष्ट मंच है। हमें विश्वास है कि यह पत्रिका आपको कोल इण्डिया की रणनीतियों और विकास की दिशा में उठाए गए कदमों से अवगत कराएगी।

मैं इस प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ और आश्वस्त हूँ कि यह हमारे संगठन के लिए एक प्रभावशाली प्रेरणा का प्रतीक सिद्ध होगा।

**(मुकेश अग्रवाल)**

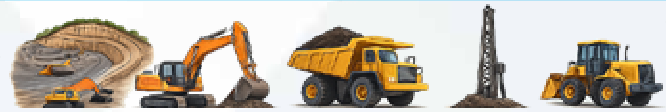

# संदेश

**अच्युत घटक**
निदेशक (तकनीक)
कोल इण्डिया लिमिटेड

कोल इण्डिया की हिंदी पत्रिका **"कोयला दर्पण"** के 18वें अंक के प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

कोल इण्डिया की 50 साल की यात्रा का हिस्सा बनना खुशी की बात है। मैंने इस कंपनी को समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ते देखा है। कंपनी की यात्रा का हिस्सा बनने और इसे विकसित होते हुए देखने से अधिक खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता।

कोल इण्डिया लिमिटेड में तकनीकी नवाचार हमारी विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। कोयला खनन को अधिक कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण-सम्मत बनाने के लिए हम अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज, जब उद्योग वैश्विक बदलावों का सामना कर रहा है, हमारा उद्देश्य आधुनिक खनन प्रणालियों, स्वचालन, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सतत् विकास आधारित तकनीकों को लागू कर उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। हम डिजिटलीकरण और तकनीकी सशक्तिकरण के माध्यम से खनन प्रक्रियाओं को अधिक दक्ष, सुरक्षित और कोयला उद्योग को एक नए युग में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

**'कोयला दर्पण'** पत्रिका हमारे नवाचारों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम है। हमें विश्वास है कि यह पत्रिका आपको हमारी तकनीकी पहलों, उपलब्धियों और अवसरों से परिचित कराएगी।

आइए, कंपनी की 50वीं वर्षगांठ पर हम सभी मिलकर तकनीक के माध्यम से एक उन्नत और सतत् कोयला उद्योग की दिशा में कार्य करने का संकल्प लें।

**(अच्युत घटक)**

# संदेश

**ब्रजेश कुमार त्रिपाठी**
मुख्य सतर्कता अधिकारी
कोल इण्डिया लिमिटेड

कोयला दर्पण के माध्यम से 79वें स्वतंत्रता दिवस और कोल इण्डिया लिमिटेड की गौरवशाली 50 वर्षों की यात्रा पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।

कोल इण्डिया की स्थापना के 50 वर्ष पूरा होना केवल संस्थागत उपलब्धि नहीं, बल्कि ऊर्जा, आशा और अवसरों का उजाला करोड़ों भारतीयों तक पहुँचाने की प्रतीकात्मक यात्रा है। इन दशकों में हमने देश के औद्योगिक विकास को गति दी और भरोसे, ईमानदारी व जिम्मेदारी की मजबूत नींव रखी। सतर्कता विभाग ने इस नींव को और मजबूत किया है - हर निर्णय में पारदर्शिता, हर प्रक्रिया में नैतिकता और जनहित को सर्वोपरि रखा है।

Mission Brand_CIL@50 के तहत हम मूल्य-आधारित सुशासन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हम केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के 3 P – Preventive Vigilance, Participative Vigilance and Punitive Vigilance से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और CIL सतर्कता के अपने 3 P — Predictive Vigilance, Positive Vigilance and Proactive Vigilance से इसे और सशक्त बनाते हैं। यह संयुक्त 6 P ढाँचा हमारी सतर्कता को व्यापक, समावेशी, सशक्त और सहायक बनाता है।

360 डिग्री जवाबदेही यह सुनिश्चित करती है कि औचक निरीक्षणों, समीक्षाओं और निरंतर निगरानी के माध्यम से नीतियाँ जमीनी स्तर तक लागू हों । सतर्कता का आयाम केवल निगरानी तक सीमित नहीं है, यह भरोसे एवं विश्वास का भी द्योतक है और इस विश्वास को प्रकट करता है, यह उद्घोष वाक्य — Vigilance is by you, Vigilance is for you and Vigilance is with you always.

आइए, हम सब मिलकर "शुद्ध, सक्षम और ईमानदार" कोल इण्डिया के निर्माण के संकल्प को पुनः दोहरायें और इसे फलीभूत करने में अपने योगदान दें, जिससे कंपनी उत्पादन में अग्रणी और मूल्यों में आदर्श बनी रहे। वैश्वीकरण के इस दौर में हमारी मातृभाषा हिंदी हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है, हमारे संवाद को आत्मीय बनाती है और वैश्विक पटल पर यही हिंदी हमारी अस्मिता और पहचान बनती है । आइए, हम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, इसे बढ़ावा दें और कोल इण्डिया को मूल्यों व सतर्कता से समृद्ध बनाएँ।

एक सतर्क, सत्यनिष्ठ और मूल्यों से समृद्ध संगठन ही सतत् विकास की सच्ची नींव रखता है।

(ब्रजेश कुमार त्रिपाठी)

# प्रधान संपादक की कलम से

**राजेश वी नायर**
महाप्रबंधक (मा. सं.-नीति/राजभाषा/ईई)
कोल इण्डिया लिमिटेड

भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में कोयला उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है — और कोल इण्डिया इस दिशा में वर्षों से नेतृत्व करता आया है। किसी भी उद्योग की गति केवल उत्पादन से नहीं होती, बल्कि उसकी *संवेदनशीलता*, *सामाजिक दृष्टिकोण* और *संस्कृतिक चेतना* से भी तय होती है। इसी चेतना की गहराई को स्पर्श करती है हमारी राजभाषा हिंदी, जो न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि हमारी भारतीयता की पहचान, भावना और आत्मा की भाषा भी है।

**'कोयला दर्पण'** एक ऐसी पत्रिका है, जो कोयला क्षेत्र की विविधताओं को उजागर करती है - तकनीकी विकास से लेकर श्रमिकों के अनुभव तक। आज जब विश्व सतत् ऊर्जा की दिशा में अग्रसर है, हमारे पास अवसर है कि हम परंपराओं को नवाचार से जोड़ें। साथ ही यह भी आवश्यक है कि हिंदी को इसका अभिन्न अंग बनाया जाए। हिंदी में प्रकाशित सामग्री न केवल अधिक व्यापक संप्रेषण देती है, बल्कि कोल इण्डिया के लाखों हिंदी भाषी कर्मचारियों, विशेषज्ञों और भागीदारों को प्रतिनिधित्व भी प्रदान करती है। **'कोयला दर्पण'** का यह अंक इस प्रक्रिया में एक विचारशील उत्प्रेरक है। इसमें प्रस्तुत लेखों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भारत का कोयला उद्योग नए विचारों, नीतियों और तकनीकों को अपनाकर एक समावेशी और पर्यावरण–अनुकूल भविष्य की ओर बढ़ रहा है।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, तब वह केवल बिजली उत्पादन की नहीं होती — वह विचारों की ऊर्जा भी होती है। और यह ऊर्जा तभी बहुव्यापक बनती है जब हम अपनी संवाद शैली को जन–मानस से जोड़ें, उन्हें उनकी भाषा में प्रेरित करें और सहभागी बनाएं। यही कारण है कि हमें कार्यालयीन कार्यों में न केवल हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना है, बल्कि उसे अपनी संगठन संस्कृति का हिस्सा भी बनाना है।

आइए, हम सब मिलकर हिंदी को कोयला उद्योग के विकास के संवाद का आधार बनाएं — एक ऐसी भाषा जो विचारों को दिशा देती है, संवेदनाओं को स्पर्श करती है और भारत के ऊर्जा क्षेत्र को अधिक सशक्त एवं समावेशी बनाती है।

नायर

**(राजेश वी नायर)**

# संपादकीय

**राजेश कुमार साव**
प्रबंधक (राजभाषा)
कोल इण्डिया लिमिटेड


पचास वर्षों की महागाथा। एक स्वर्णिम यात्रा। कोल इण्डिया लिमिटेड की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका **'कोयला दर्पण'** का यह अठारहवाँ अंक, कोल इण्डिया की स्थापना से लेकर उसके महारत्न बनने तक के प्रेरणास्पद सफर को विस्तार से प्रस्तुत करता है। रानीगंज और झरिया के गहन कोयला भंडारों से शुरू होकर, आधुनिक तकनीकों, सतत् विकास और हरित ऊर्जा में प्रवेश तक, यह यात्रा केवल खनन की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक समरसता की यात्रा है।

कोल इण्डिया एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा के मूल में खड़ी है, और जिसने न केवल कोयला उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाई है बल्कि हर मोर्चे पर नवाचार, सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरणीय दृष्टिकोण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। जब कोयला क्षेत्र जैसे विशाल और विविधतापूर्ण उद्योग की बात होती है, जहाँ हजारों कर्मचारी, इंजीनियर, अधिकारी और विशेषज्ञ कार्यरत हैं - जिनमें बहुसंख्यक हिंदी भाषी हैं। ऐसे में हिंदी में प्रकाशित सामग्री न केवल समावेशी संवाद को बढ़ावा देती है, बल्कि ज्ञान को अभिजात्य से निकालकर जन–सुलभ बनाती है।

हिंदी मात्र भाषा नहीं — वह संवेदना है, संस्कृति है, कर्म का उद्घोष है और अन्ततः भारत की आत्मा है। यह भाषा भावों को उकेरती है, विचारों को दिशा देती है और समाज को जोड़ती है। **'कोयला दर्पण'** जब हिंदी में बात करता है, तो वह केवल भाषा नहीं चुनता — वह लोकतंत्र और सामूहिक ज्ञान की परंपरा को अपनाता है। तकनीकी आलेख, नीति विश्लेषण या श्रमिक अनुभव — सब कुछ तब अधिक अर्थवान हो उठते हैं जब उन्हें हिंदी के स्वर मिलते हैं। **'कोयला दर्पण'** हिंदी के माध्यम से न सिर्फ तकनीकी समझ को सरल बनाता है, बल्कि पाठक के अंत:करण से भी जुड़ता है। हमें यह समझना होगा कि संवाद की शक्ति तभी प्रभावी होती है जब वह जनभाषा में हो। हिंदी ही वह सेतु है जो खदान के श्रमिक से लेकर नीति–निर्माता तक को एक साझा विमर्श में जोड़ती है।

**'कोयला दर्पण'** में हिंदी का बढ़ता प्रयोग इस बात का प्रमाण है कि कोल इण्डिया भाषा को केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि संवेदना और समानता के रूप में देखता है। यह न केवल राजभाषा नीति के अनुरूप है, बल्कि उस भावनात्मक जुड़ाव को भी प्रकट करता है जो भारतीयों के हृदय में रचा-बसा है। वस्तुतः जिस उद्योग की नींव श्रम, ऊर्जा और सामूहिक विकास पर टिकी हो — उसकी अभिव्यक्ति भी राष्ट्र–भाषा में होनी चाहिए। हिंदी एकजुट करती है, प्रेरित करती है और भविष्य की दिशा निर्धारित करती है। वर्तमान दौर में जब तकनीकी परिवर्तन, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और डिजिटल समावेशन की चर्चा जोरों पर है — तब यह आवश्यक है कि हमारी भाषा नीति भी उतनी ही सशक्त हो। आज की आवश्यकता है कि हम हिंदी को केवल अनुवाद का माध्यम न मानें, बल्कि उसे नवाचार, तकनीकी संवाद और नेतृत्व का सशक्त माध्यम बनाएं।

हिंदी में ऊर्जा है। हिंदी में एकता है। हिंदी में भारत है।

कोल इण्डिया के 50वें वर्ष के अवसर पर **'कोयला दर्पण'** के इस विशेष अंक का सम्पादन करना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गर्व का विषय है। अंक के सफल प्रकाशन के लिए मैं अपने प्रबंधन तथा संपादक मंडल के सदस्य के प्रति आभार व्यक्त करता है। साथ ही इस अंक में जिन अधिकारियों, कर्मचारियों, रचनाकारों और कवियों की आवाज़ शामिल है, जिन्होंने अपनी रचनाएँ प्रदान कर इसे सारगर्भित बनाने में अमूल्य योगदान दिया है, उन्हें अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पत्रिका के अगले अंक को और अधिक रोचक एवं ज्ञानवर्धक बनाने के लिए हमें आपके सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी।

जय हिंद ! जय हिंदी !

**(राजेश कुमार साव)**

## प्रबंधकीय मंडल

**प्रधान संरक्षक**

**पी. एम. प्रसाद**

अध्यक्ष

**संरक्षक**

**डॉ.विनय रंजन**

निदेशक (मानव संसाधन)

**प्रधान संपादक**

**राजेश वी नायर**

महाप्रबंधक (मा.सं.-नीति/राजभाषा/ईई)

**संपादक**

**राजेश कुमार साव**

प्रबंधक (राजभाषा)

**सह - संपादक**

**प्रियांशु प्रकाश**

प्रबंधक (राजभाषा)

**तकनीकी सहयोग**

सीरज कुमार सिंह, प्रबंधक (जनसंपर्क)
रौशन पाठक, प्रबंधक (वित्त)
स्वप्निल सिंह, प्रबंधक (विपणन)
आलोक कुमार, प्रबंधक (प्रणाली)

**संपादन सहयोग**

संदीप सोनी, कनिष्ठ अनुवादक
राकेश देवगड़े, अनुवादक (प्रशिक्षु)


पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं को सुनने के लिए QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करें। यह QR कोड रचनाओं के हर पृष्ठ पर दिया गया है। दाईं ओर दिये गए QR कोड को स्कैन करके आप अनुक्रम में दी गयी सभी रचनाओं को देख व सुन सकते है।

# अनुक्रमणिका


| क्र | शीर्षक | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1 | अध्यक्ष का संदेश | 3 |
| 2 | निदेशक (मानव संसंधान) का संदेश | 4 |
| 3 | निदेशक (विपणन एवं व्यवसाय विकास) का संदेश | 5 |
| 4 | निदेशक (वित्त) का संदेश | 6 |
| 5 | निदेशक (तकनीक) का संदेश | 7 |
| 6 | मुख्य सतर्कता अधिकारी का संदेश | 8 |
| 7 | प्रधान संपादक की कलम से | 9 |
| 8 | संपादकीय | 10 |
| **गद्य लेखन** | | |
| 9 | कोयला खनन - एक संक्षिप्त इतिहास | 12 |
| 10 | कोल इण्डिया : कल, आज और कल | 16 |
| 11 | कोल इण्डिया @ 50 : मानव संसाधन विभाग की प्रमुख उपलब्धियां | 23 |
| 12 | कोल इण्डिया के 50 वर्षों की गौरवशाली यात्रा : विपणन विभाग की सफलता, चुनौतियाँ और उत्कर्ष की गाथा | 24 |
| 13 | विविधिकरण : सपनों से निर्माण तक, व्यवसाय विकास विभाग की प्रमुख उपलब्धियां | 27 |
| 14 | 50 वर्ष — मूल्यों और सतर्कता की संस्कृति की ओर : ब्रजेश कुमार त्रिपाठी | 31 |
| 15 | संगठनों में डिजिटल निर्भरता : डॉ. आर.एन. पात्रा | 33 |
| 16 | विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए संसोधित SHAKTI नीति : दीपक रोधिया | 36 |
| 17 | मिशन भूमि प्रबंधन एवं संरक्षण : गोविंद कुमार राय | 38 |
| 18 | स्वतंत्र निदेशक : सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य स्तम्भ : रंजीत कुमार सिंह | 42 |
| 19 | कोल इण्डिया आईपीओ के 15 वर्ष : राकेश देवगड़े | 46 |
| 20 | कोयला - एक पत्थर : राज हंस गुप्ता | 49 |
| 21 | कृषि में AI और IOT : भविष्य की खेती का नया चेहरा : प्रीति कुमारी | 50 |
| 22 | उभरती तकनीकें : भारत के लिए वरदान हैं या अभिशाप? : आलोक कुमार | 52 |
| 23 | इंसानियत (संस्मरण) : डॉ. कविता विकास | 55 |
| 24 | सफरनामा : रोमांच, इतिहास और नई मंजिलों की ओर : रोहित छेत्री | 57 |
| 25 | भारत के संविधान में महिलाओं को दिये गए अधिकार : प्रियांशु प्रकाश | 60 |
| 26 | राजभाषा हिन्दी की स्थिति एवं इसका प्रयोग : मूल चन्द्र सिंह | 65 |
| 27 | राजभाषा विभाग के स्वर्णिम 50 वर्ष : राजेश कुमार साव | 67 |
| **कविता कुसुम** | | |
| 28 | यादें : बिमलेंदु कुमार — 29. सिंदूरी दोहें : राजपाल यादव | 69 |
| 30 | धरा के दिल में : निशा रंजन — 31. राजरात्न कोयला : डॉ. गोपेश द्विवेदी | 70 |
| 32 | काला हीरा महानदी का : चितरंजन नाहक | 71 |
| 33 | आहुती : अरिहंत जैन | 72 |
| 34 | सोचा था कैसा : गजानन कुमार दूबे — 35. मेरी ख्वाइशें : रौशन पाठक | 73 |
| 36 | व्यथा भरी वो शाम : रौशन कुमार सिंह — 37. तरु से है हरियाली : व्ही. आर. भंडारी | 74 |
| 38 | तीन पीढ़ियाँ : नम्रता शुक्ला | 75 |
| 39 | मजदूर माँ : श्री रमेश सूर्यवंशी — 40. मजदूर दिवस : मोहम्मद रहीस 'सनम' | 76 |
| 41 | नासमझ : राजकमल — 42. हिन्दी हूँ मैं : लक्ष्मण दास वैष्णव | 77 |
| **गतिविधियाँ** | | |
| 43 | कोल इण्डिया की विशिष्ट गतिविधियाँ | 78-85 |
| 44 | राजभाषा संबंधी विशिष्ट गतिविधियाँ | 86-89 |



नोट : पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं की मौलिकता एवं उनमें व्यक्त विचारों के लिए रचनाकार स्वयं उत्तरदायी है। अतः पत्रिका में व्यक्त विचारों के लिए संपादक, संपादकीय मंडल तथा कोल इण्डिया प्रबंधन किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। निःशुल्क व आंतरिक वितरण हेतु मुद्रित व प्रकाशित।

# कोयला खनन - एक संक्षिप्त इतिहास

भारत में, कोयला ऊर्जा विकास का इंजन है। किफायती होने के कारण कोयला भारत में बिजली उत्पादन का एक विश्वसनीय स्रोत है। इसके अलावा, इसकी प्रचुरता 379 बिलियन टन (बी.टी.) एवं स्थापित रुप में 199 बीटी की उपलब्धता, कोयले के पक्ष में जाती है। भारत के बिजली उत्पादन में कोयले का योगदान लगभग 69 प्रतिशत है, जबकि कोयला-आधारित स्थापित क्षमता 46.7 प्रतिशत है। व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, भारत ने सीओपी बैठकों के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया है कि निकट भविष्य में कोयला बिजली उत्पादन के लिए एक प्रमुख संसाधन बना रहेगा। नीति आयोग और अन्य स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का अनुमान है कि भारत में इसका उपयोग 2030 तक अपने चरम पर होगा। हालांकि भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का तेज़ी से विस्तार कर रहा है, फिर भी कोयला देश को ऊर्जा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और बिजली उत्पादन का प्राथमिक और सबसे विश्वसनीय स्रोत बना हुआ है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तीव्र गति से विकास करने के बावजूद, यह अगले एक दशक तक इसी स्थिति में बना रहेगा।

**कोयले का निर्माण**

कोयला मनुष्य के ऊर्जा और प्रकाश के सबसे शुरुआती स्रोतों में से एक था। पृथ्वी की गहराई में इसका निर्माण लाखों साल पहले हुआ था, डायनासोर से भी पहले। कोयले के निर्माण की परिस्थितियाँ लगभग 30 करोड़ साल पहले, कार्बोनिफेरस काल के दौरान विकसित होने लगी थीं। इस दौरान, पृथ्वी विस्तृत उथले समुद्रों और घने जंगलों से ढकी हुई थी। समुद्र कभी-कभी वन क्षेत्रों में बाढ़ ला देते थे, जिससे पौधे और शैवाल दलदली आर्द्रभूमि की तलहटी में फँस जाते थे। समय के साथ, ये पौधे, जिनमें से अधिकांश काई और शैवाल थे, ऊपर फैली मिट्टी और वनस्पति के भार तल में दब गए और दबते चले गए। यहीं कोयले के रुप परिवर्तित हो गए। कोयला भूमिगत संरचनाओं में पाया जाता है जिन्हें 'कोयला सीम' या 'कोयला संस्तर' कहा जाता है। सबसे बड़े कोयला भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, रूस और ऑस्ट्रेलिया में हैं।

**कोयले का प्रारंभिक उपयोग**

पुरातत्वविदों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि इंग्लैंड में रोमनों

ने दूसरी और तीसरी शताब्दी (100-200 ई.) में इसका इस्तेमाल किया था। 1700 के दशक में, अंग्रेजों ने पाया कि कोयले से एक ऐसा ईंधन बनाया जा सकता है जो लकड़ी के कोयले की तुलना में ज़्यादा साफ़ और ज़्यादा गर्म जलता है। लगभग इसी समय, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कोयले की खोज हुई, जहाँ पहला कोयला उत्पादन 1748 में दर्ज किया गया। इसके ढाई दशक बाद, कोयला खनन अपने प्रारंभिक रूप में भारत आया।

**भारत में कोयला खनन की शुरुआत**

ईस्ट इण्डिया कंपनी के दो अंग्रेज़ उद्यमियों, श्री जॉन सुमनेर (John Sumner) एवं श्री सुएटोनियस ग्रांट हीटली (Suetonius Grant Heatly) ने वर्ष 1774 में भारत में कोयला खनन की शुरुआत की। भारत में कोयला खनन के इन दो पूर्वजों ने 'राजस्व परिषद' के समक्ष "बंगाल में कोयला खदानें चलाने और कोयला बेचने" का प्रस्ताव रखा। छह कोयला खदानों में काम करने की अनुमति मिलने के बाद, सुमनेर और हीटली ने बंगाल के बर्दवान ज़िले में खदानें खोलीं और दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर रानीगंज कोयला क्षेत्र में व्यावसायिक खनन शुरू किया। यह भारत में पहला कोयला खनन उद्यम था।

सितंबर 1775 में, लगभग 100 टन कोयला परीक्षण के तौर पर कलकत्ता मिलिट्री स्टोर कीपर को भेजा गया था, लेकिन समकालीन ब्रिटिश कोयले की तुलना में 50 प्रतिशत कम ऊष्मा घटक होने के कारण इसे उपयोग के लिए स्वीकार नहीं किया जा सका। इस कारण, कोई भी ग्राहक इसे पसंद नहीं कर पाया। 250 साल पहले भी, जब शुरुआती घरेलू उत्पादन बढ़ रहा था, तबसे कोयले की गुणवत्ता एक मुद्दा रही है।

**परिवहन संकट**

प्रारंभिक कुछ दशकों तक, भारतीय कोयला उद्योग को उचित परिवहन सुविधाओं के अभाव में कठिनाई का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप, भारत में औद्योगिक कोयला खनन कार्य मुख्यतः उदासीनता और उपेक्षा के कारण धीमी गति से जारी रहा। 1855 में हुगली से रानीगंज तक रेल सेवा के विस्तार तक, धीमी माँग और निकासी अवसंरचना की अपर्याप्तता के कारण विकास धीमा रहा। कोयले को बैलगाड़ियों द्वारा निकटतम नदी तक पहुँचाया जाता था, जहाँ से इसे दामोदर नदी के किनारे देशी नावों और बजरों द्वारा कलकत्ता पहुँचाया जाता था।

**पुरातन खनन विधियाँ**

पिट्ठ (खोहनुमा) से चलने वाली पहली भूमिगत कोयला खदान 1815 में तीन शाफ्टों के साथ शुरू हुई थी। 19 वीं सदी में "जितने पिट्ठ, उतना ज़्यादा कोयला" की अवधारणा सामने आई। उस समय, कोयले का खनन पूरी तरह से हाथ से किया जाता था

तथा पिक माइनिंग होती थी।

**प्रथम भारतीय कोयला खदान का स्वामित्व**

कोयला खनन के साथ भारत का व्यावसायिक संबंध द्वारकानाथ की उद्यमशीलता की भावना से समृद्ध हुआ। वे देश के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के दादा थे, और उन्होंने 1835 में अपनी कैर, टैगोर एंड कंपनी (Carr, Tagore & Company) के माध्यम से कई शुरुआती कोयला खनन उपक्रमों में निवेश किया था, जिससे शुरुआती प्रयासों को बहुमूल्य संसाधन प्राप्त हुए। यह किसी भारतीय द्वारा कोयला खनन में निवेश का पहला उदाहरण मिलता है।

**कोयला उत्पादन को गति**

1814 में वॉरेन हेस्टिंग्स के भारत आगमन के साथ, कोयला उद्योग पुनर्जीवित हुआ। सरकार ने भारत में कोयला खनन की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक अनुभवी खनन इंजीनियर को नियुक्त किया। कोयला खनन पर ज़ोर देते हुए, पूरे भारत में कोयले की खोजों का विवरण एकत्र किया गया। रानीगंज के खदानों से कोयला उत्पादन 1815-1823 के दौरान लगभग 400 टन से बढ़कर 1842 तक 50, 000 टन हुआ। 1846 तक, यह बढ़कर 91, 000 टन हो गया। 1853 में भाप इंजनों के आगमन से मांग में वृद्धि हुई और कोयला उत्पादन बढ़कर प्रतिवर्ष औसतन 1 मिलियन मीट्रिक टन हो गया।

**रानीगंज और झरिया: भारतीय कोयले का उद्गम स्थल**

1860 तक, रानीगंज क्षेत्र की लगभग 50 कोयला खदानें प्रति वर्ष लगभग 282, 000 टन कोयला उत्पादन कर रही थीं, जिससे यह झरिया कोयला क्षेत्रों के साथ-साथ भारतीय कोयला उत्पादन का उद्गम स्थल बना। 19 वीं शताब्दी के दौरान, भारत के कोयला उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा रानीगंज क्षेत्र से आता था। 1900 में कुल 6.12 मिलियन टन (एमटी) उत्पादन में से, अकेले इस क्षेत्र ने 2.55 मिलियन टन कोयला उत्पादित किया था। सदी के अंत तक झरिया क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ता जा रहा था। अतिरिक्त रेल सुविधाओं के विकास के साथ, इस क्षेत्र का उत्पादन तेज़ी से बढ़ा और 1906 तक यह रानीगंज से भी आगे निकल गया।

उस समय कई समितियों और आयोगों ने कोयले के संरक्षण और वैज्ञानिक दोहन, खदानों में काम करने की परिस्थितियों में सुधार और खनिकों की सुरक्षा की सिफ़ारिश की थी। 1946 तक, कोयला उत्पादन लगभग 30 मिलियन टन तक पहुँच गया था।

**भारत की स्वतंत्रता - एक नए युग का आगाज**

भारतीय स्वतंत्रता के साथ ही कोयले को एक विश्वसनीय और स्थापित ऊर्जा स्रोत के रूप में पहचाना जाने लगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956) में कोयले के अधिकाधिक कुशल उत्पादन की आवश्यकता महसूस की गई। कोयला उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण में तेजी लाना आवश्यक समझा गया। 1956 में योजना अवधि के अंतिम वर्ष तक 39 मिलियन टन उत्पादन की परिकल्पना की गई थी, वास्तविक उत्पादन लगभग 38.4 मिलियन टन के बराबर था।

1951 में, कोयला उद्योग के लिए एक कार्यकारी दल (Working Party) का गठन किया गया। इसमें कोयला

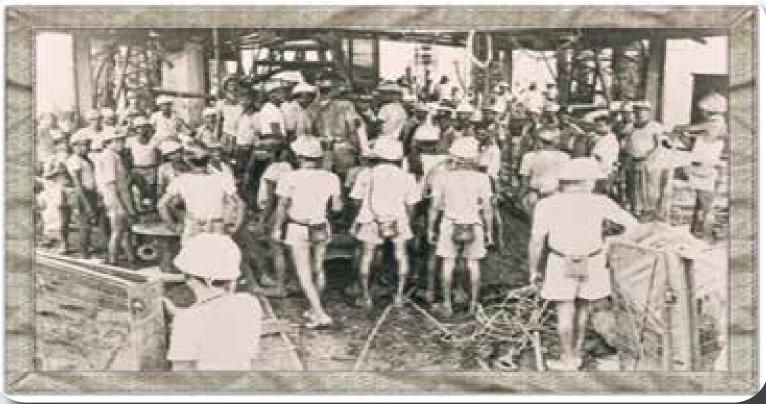

उद्योग, श्रमिक संघों और सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे, जो छोटी और विखंडित उत्पादन इकाइयों को एक साथ लाने का प्रतीक था। इस प्रकार, एक एकीकृत, राष्ट्रीयकृत कोयला क्षेत्र के विचार का जन्म हुआ।

**कोयला खनन की कहानी:-**

संक्षेप में कोयला खनन इतिहास को इस प्रकार देख सकते हैः-

- 1748 - अमेरिका में पहली बार कोयला उत्पादन दर्ज किया गया।
- 1774 - जॉन सुमनेर और सुएटोनियस ग्रांट हीटली द्वारा भारत में कोयला खनन की शुरूआत।
- 1814 - वॉरेन हेस्टिंग्स भारत पहुंचे और कोयला उद्योग को पुनर्जीवित किया।
- 1835 - कैर, टैगोर एंड कंपनी कोयला खनन में निवेश करने वाली पहली भारतीय फर्म बनी।
- 1858-1860 – कोयले के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गति पकड़ी।
- 1920 - कोलफील्ड्स समिति का गठन।
- 1951 - कोयला उद्योग के लिए कार्यकारी दल की स्थापना की गई।
- 1956 - राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का गठन हुआ।
- 1970 - ईंधन नीति समिति की स्थापना की गई।
- 1971 - 16 अक्टूबर को कोकिंग कोल माइंस (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम पारित हुआ, सरकार ने 226 कोकिंग कोल खदानों का अधिग्रहण किया।
- 1972 - 1 मई कोकिंग कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) का गठन किया गया।
- 1973 - 31 जनवरी केंद्र सरकार ने 711 गैर-कोकिंग कोयला खदानों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया।
- 1 मई, 1973 गैर-कोकिंग कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड (सीएमएएल) का गठन किया गया।
- 1975 - 1 नवंबर कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) की स्थापना बीसीसीएल और सीएमएएल दोनों का प्रबंधन करने के लिए एक होल्डिंग कंपनी के रूप में की गई।

**साभार –संपादकीय मंडल**

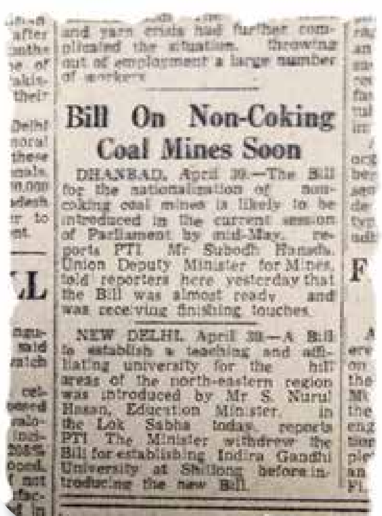

and yarn crisis had further complicated the situation, throwing out of employment a large number of workers.

**Bill On Non-Coking Coal Mines Soon**

DHANBAD, April 30.—The Bill for the nationalisation of non-coking coal mines is likely to be introduced in the current session of Parliament by mid-May, reports PTI. Mr Subodh Hansda, Union Deputy Minister for Mines, told reporters here yesterday that the Bill was almost ready and was receiving finishing touches.

NEW DELHI, April 30.—A Bill to establish a teaching and affiliating university for the hill areas of the north-eastern region was introduced by Mr S. Nurul Hasan, Education Minister, in the Lok Sabha today, reports PTI. The Minister withdrew the Bill for establishing Indira Gandhi University at Shillong before introducing the new Bill.

**COAL MINES AUTHORITY**

Government of India
Ministry of Steel & Mines,
Dept. of Mines,
6, Lyons Range,
Calcutta-1.

Step Towards "Garibi Hatao", Says Ray

**COAL MINES AUTHORITY**

Government of India
Ministry of Steel & Mines,
Dept. of Mines,
6, Lyons Range,
Calcutta-1.

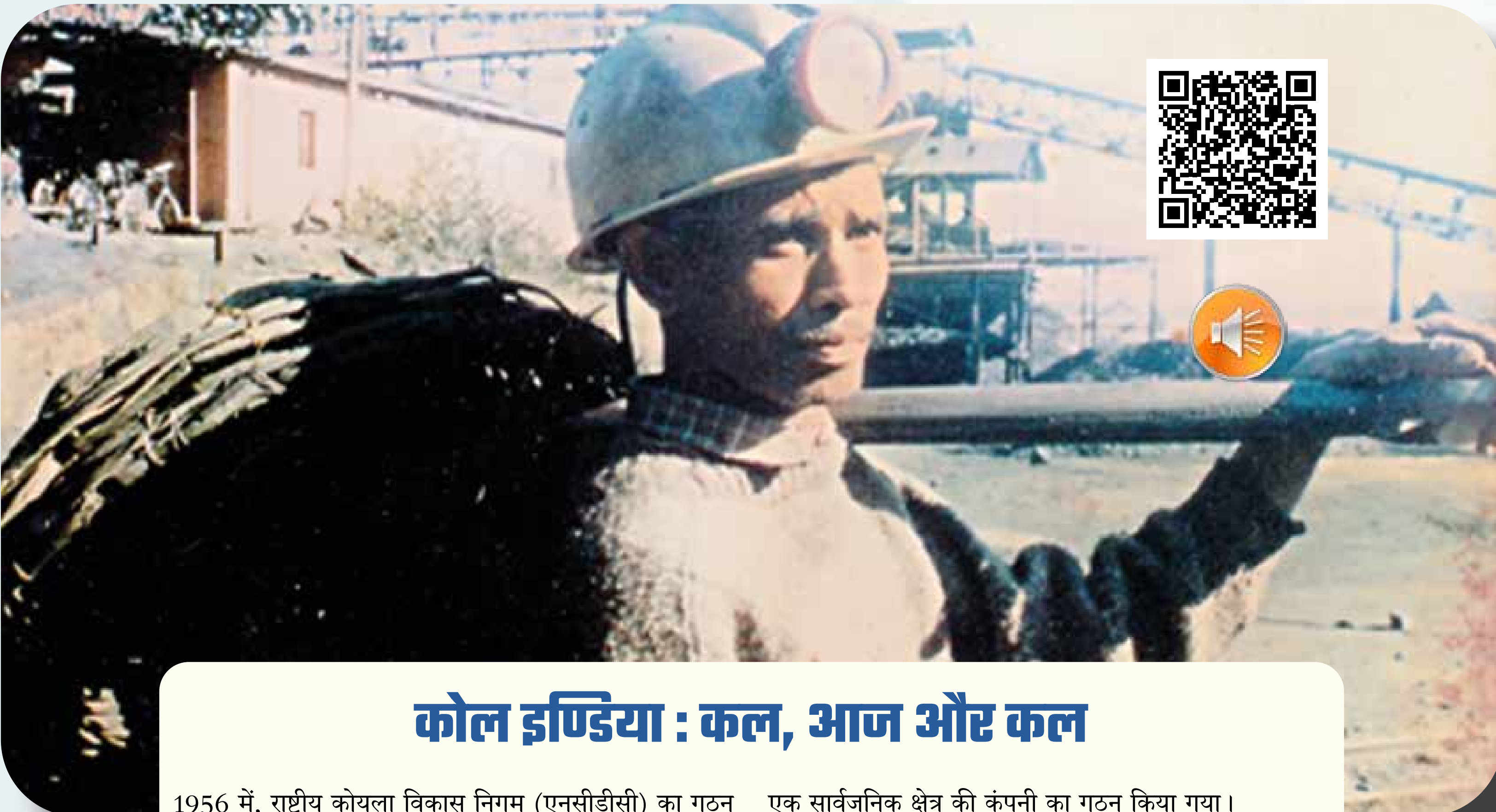

# कोल इण्डिया : कल, आज और कल

1956 में, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (एनसीडीसी) का गठन किया गया था, जिसके केंद्र में रेलवे के स्वामित्व वाली 11 कोयला खदानें थीं। एनसीडीसी का कार्य नए कोयला क्षेत्रों की खोज और नई कोयला खदानों के विकास में तेज़ी लाना था। सरकार की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के तहत, 1970 के दशक में भारत में कोयला खदानों पर लगभग पूर्ण राष्ट्रीय नियंत्रण हो गया।

कोकिंग कोल माइंस (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम 1971 को सरकार द्वारा 16 अक्टूबर, 1971 को प्रख्यापित किया गया था, जिसके तहत आईआईएससीओ, टिस्को और डीवीसी की कैप्टिव खदानों को छोड़कर, भारत सरकार ने सभी 226 कोकिंग कोल खदानों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और 1 मई, 1972 को उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके परिणामस्वरूप भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) अस्तित्व में आया।

31 जनवरी, 1973 को कोयला खदान (प्रबंधन अधिग्रहण) अध्यादेश, 1973 के प्रख्यापन द्वारा, केंद्र सरकार ने सभी 711 गैर-कोकिंग कोयला खदानों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। राष्ट्रीयकरण के अगले चरण में, 1 मई, 1973 से इन खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इन गैर-कोकिंग खदानों के प्रबंधन के लिए कोल माइन्स अथॉरिटी लिमिटेड (सीएमएएल) नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का गठन किया गया।

दोनों कंपनियों - बीसीसीएल और सीएमएएल - के प्रबंधन के लिए 01 नवंबर, 1975 में कोल इण्डिया लिमिटेड के रूप में एक औपचारिक होल्डिंग कंपनी का गठन किया गया।

**प्रारंभिक संरचना और विकास**

कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) एक संगठित सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी के रूप में 1 नवंबर, 1975 को अस्तित्व में आई, जिसकी कुल पाँच अनुषंगी कंपनियाँ थीं। इन पाँच में से चार कोयला उत्पादक कंपनियाँ थीं और पाँचवीं खदान योजना एवं परामर्शदात्री कंपनी थी। ये उत्पादक कंपनियाँ थीं:

**ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) सैंक्टोरिया, पश्चिम बंगाल**

**भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) धनबाद, झारखंड**

**सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) रांची, बिहार (अब झारखंड)**

**वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) नागपुर, महाराष्ट्र**

खदान योजना, डिजाइन, अन्वेषण और परामर्श कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), रांची, बिहार (अब झारखंड) थी

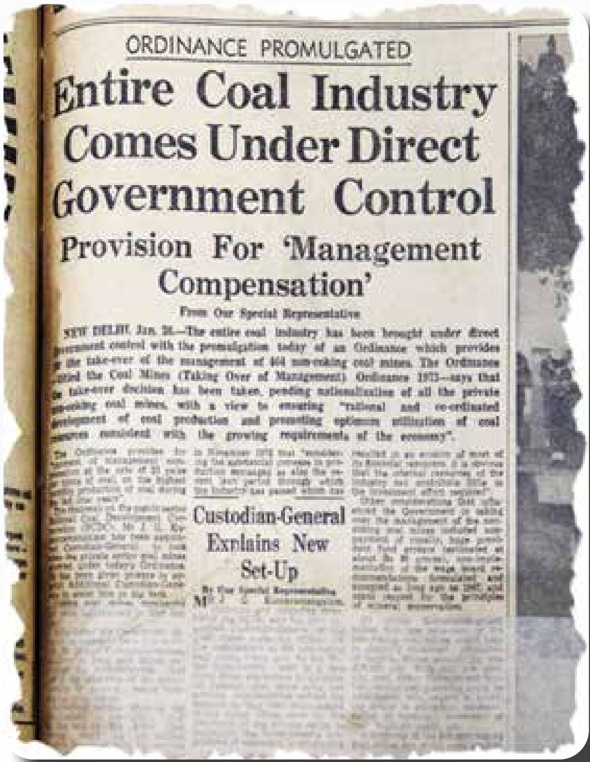
ORDINANCE PROMULGATED

Entire Coal Industry Comes Under Direct Government Control

Provision For 'Management Compensation'

From Our Special Representative

Custodian-General Explains New Set-Up

1986 में पुनर्गठन के पश्चात सीसीएल के कमाण्ड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खदानों से नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), सिंगरौली (मध्य प्रदेश) का गठन किया गया।

बाद में, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की कुछ खदानों को अलग करके साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। इस प्रकार, कुल सात सहायक कंपनियाँ बन गईं, जिनमें से छह कोयला उत्पादक और एक सीएमपीडीआईएल थीं।

अप्रैल 1992 में एक और बदलाव हुआ जब एसईसीएल के नियंत्रण में आने वाली कुछ खदानों, विशेष रूप से तालचेर कोलफील्ड्स और आई-बी वैली को लेकर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), संबलपुर, उड़ीसा अस्तित्व में आई। नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी), एक कोयला उत्पादक इकाई, सीधे सीआईएल द्वारा प्रशासित है और मार्गेरिटा, असम में संचालित होती है। दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स, दानकुनी (पश्चिम बंगाल) एसईसीएल के नियंत्रण में संचालित होता है।

वर्तमान में, सीआईएल एक शीर्ष निकाय है, इसकी 7 पूर्ण स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनियां और 1 खान नियोजन और परामर्शदात्री कंपनी है, जो भारत के 8 प्रांतीय राज्यों में फैली हुई है।

**ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) सैंक्टोरिया, पश्चिम बंगाल**

**भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) धनबाद, झारखंड**

**सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) रांची, झारखंड**

**नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) सिंगरौली, मध्य प्रदेश**

**वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) नागपुर, महाराष्ट्र**

**साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) बिलासपुर,**

**महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) संबलपुर, उड़ीसा**

**केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन (सीएमपीडीआई) संस्थान, रांची**

इसके अलावा सीआईएल वर्कशॉप, अस्पतालों आदि जैसे 200 अन्य प्रतिष्ठानों का भी प्रबंधन करता है। इसके पास 26 तकनीकी

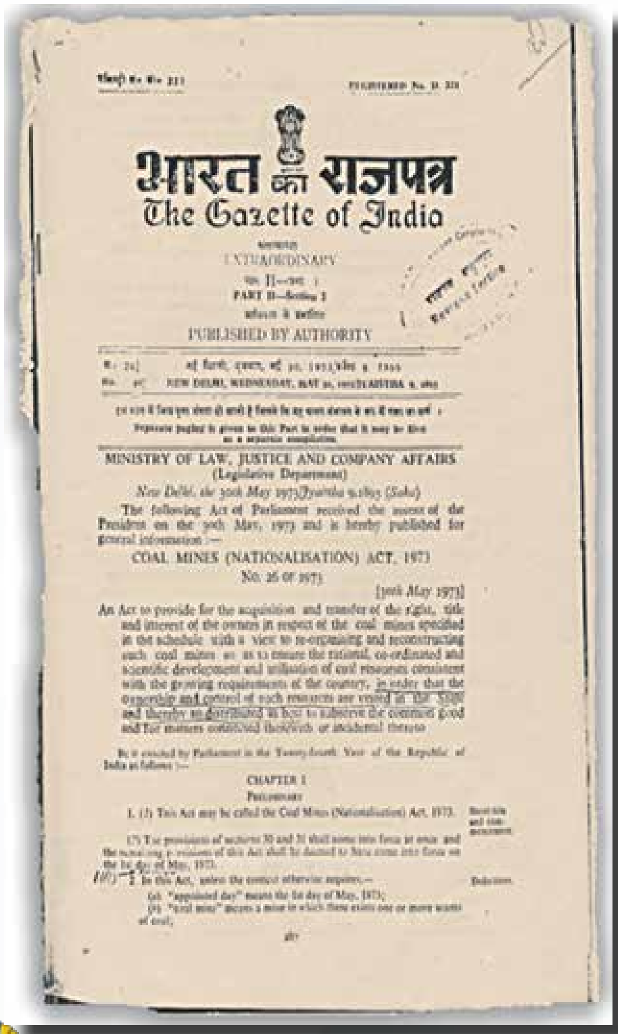
भारत का राजपत्र

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

PART II—Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

COAL MINES (NATIONALISATION) ACT, 1973

CHAPTER I

एवं प्रबंधन प्रशिक्षण और 102 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट (आईआईसीएम), एक अत्याधुनिक प्रबंधन प्रशिक्षण के रूप में, भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट प्रशिक्षण संस्थान है, जो सीआईएल के अधीन संचालित होता है और बहु-विषयक प्रबंधन विकास कार्यक्रम संचालित करता है।

**कोल इण्डिया विजन**

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ विकास को प्राप्त करते हुए देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक कंपनी के रूप में उभरना।

**मिशन**

कोल इण्डिया लिमिटेड का लक्ष्य सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए दक्षतापूर्वक और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकुल योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना है।

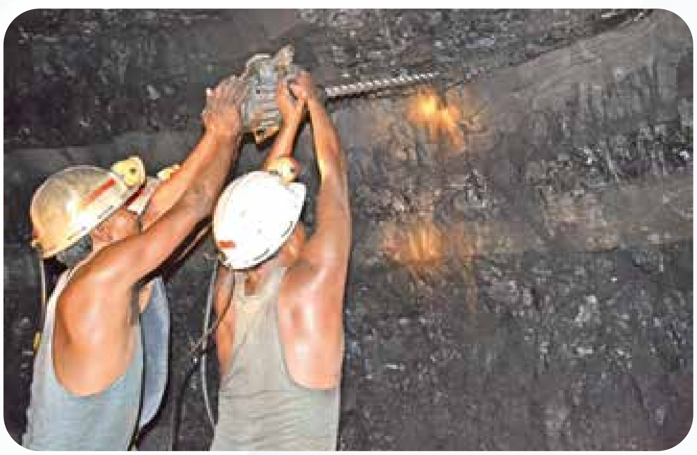

**प्रारंभिक वर्षः संघर्ष की कहानी**

कोल इण्डिया लिमिटेड की आरंभिक यात्रा चुनौतिपूर्ण रहा। यह एक दिलचस्प कहानी ही है कि कैसे सीआईएल ने अपने परिचालन को सुव्यवस्थित किया, उत्पादकता में सुधार किया और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया और अंततः भारत की सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से एक बनी।

**किसी भी कीमत पर कोयले की आवश्यकता चरण (1975-1991)**

1975-91 की शुरुआती अवधि के दौरान, अच्छी बात यह रही कि बड़ी संख्या में कोयला परियोजनाओं पर ज़ोर-शोर से काम किया जा रहा था। लेकिन दूसरी ओर, वित्तीय व्यवहार्यता को मुख्य निर्णय मानदंड के रूप में नज़रअंदाज़ कर दिया गया था। देश को और अधिक कोयले की ज़रूरत के मद्देनज़र, कई कोयला परियोजनाओं को, जो योजना के स्तर पर ही घाटे में चल रही थीं, लागू किया गया। उत्पादन के दृष्टिकोण से यह कदम सफल साबित हुआ, क्योंकि इस दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड ने राष्ट्रीयकरण के समय कोयला उत्पादन की वृद्धि दर को 2 प्रतिशत से भी कम से लेकर 5.3 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) तक पहुँचाने का लक्ष्य हासिल किया। हालाँकि, प्रत्यक्ष कारणों से कंपनी की बैलेंस शीट में बड़ी समस्याएँ पैदा हो गईं। इसके अलावा, राष्ट्रीयकरण से पहले कोयला कर्मचारियों के वेतन बेहद कम थे, इस मान्यता के साथ वेतन में लगभग 80 प्रतिशत का बड़ा संशोधन किया गया।

लागत में भारी वृद्धि, खासकर समय-समय पर वेतन संशोधनों के बाद, कोयले की कीमतों में अनिच्छा से संशोधन किया गया। मूल्य संशोधन के ऐसे अवसरों पर, लागत के कुछ तत्वों, जैसे मूल्यह्रास या इक्विटी पर प्रतिफल, पर विचार नहीं किया गया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बजटीय सहायता इक्विटी और ऋण के रूप में 50:50 के अनुपात में थी। 'किसी भी कीमत पर कोयला' का यह दौर 1991 तक जारी रहा।

**प्रथम लाभांश**

1991 में, सरकार ने अपनी नई आर्थिक नीति के तहत, कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) को मिलने वाली वित्तीय सहायता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया। हालाँकि, इसने कोयला मंत्रालय को औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बीआईसीपी) द्वारा निर्धारित सूत्र को अपनाते हुए, वर्ष में एक बार कोयले की कीमतों में संशोधन करने का अधिकार दिया। इससे सीआईएल को 1991-92 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार लाभ अर्जित करने में मदद मिली। 16 वर्षों के अंतराल को तोड़ते हुए, सीआईएल ने ₹167 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 1995-96 में यह लाभ धीरे-धीरे बढ़कर ₹611 करोड़ हो गया।

**स्थिरता की अवधि (1991-1997)**

1991 से 1997 तक की अवधि सीआईएल के लिए एक परिवर्तनकारी दौर था, जो घाटे में चल रही इकाई से एक लाभदायक उद्यम में तब्दील हो रही थी। इसी दरम्यान 1.06

बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 522 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उपयोग 24 अत्यधिक लाभदायक बड़ी खुली खदानों के कार्यान्वयन के लिए किया गया था। इस अवधि के दौरान, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कीमतों में गिरावट और कोयले पर आयात शुल्क में कमी के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि देश के कई तटीय स्थलों पर घरेलू कोयले की कीमतें महंगी हो गईं। नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मांग-वृद्धि के कारण उत्पादन वृद्धि बाधित हुई, जो केवल 2.2 प्रतिशत प्रति वर्ष तक सीमित थी। हालाँकि, दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-2007) में पर्याप्त मांग-वृद्धि देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप पिछली योजना के दौरान निर्मित उत्पादन क्षमता का विस्तार हुआ।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला उत्पादन 279.65 मिलियन टन (2001-02) से बढ़कर 360.91 मिलियन टन (2006-07) हुआ, जो अब तक का किसी भी योजना अवधि में सर्वाधिक था। इसके बाद, विकास का यह स्तर वित्त वर्ष 2022-23 में एक ही वर्ष में प्राप्त किया गया! देश के सभी स्थानों पर घरेलू कोयले की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में काफी कम चल रही थी। इसके अलावा, ऋण चुकौती, लाभांश और करों के रूप में सरकार को ₹1, 700 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया।

**महत्वपूर्ण उपलब्धियां**

कोल इण्डिया की विकास यात्रा अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों से परिपूर्ण रही है - चाहे वह मिनी रत्न से महारत्न का दर्जा प्राप्त करना हो या फिर पूंजी बाजार में रिकॉर्ड तोड़ प्रारम्भिक आईपीओ का सफल संचालन।

**भारत की विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका**

भारत में, जिसकी ऊर्जा अर्थव्यवस्था मुख्यतः कोयले पर आधारित है, सीआईएल देश के कोयला उत्पादन में अग्रणी है और कुल कोयला उत्पादन में लगभग 78 प्रतिशत का योगदान देता है। अपनी 80 प्रतिशत से अधिक आपूर्ति देश के ताप विद्युत संयंत्रों तक पहुँचाने के साथ, सीआईएल ने विद्युत क्षेत्र को लगभग पूर्णतः सशक्त और सक्षम बना दिया है। सीआईएल भारतीय कोयला उपभोक्ताओं को मूल्य अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करता है, कीमतों पर एक सख्त नियंत्रण लगाता है और समान ग्रेड के अंतर्राष्ट्रीय कोयला मूल्यों की तुलना में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी लागत पर कोयला आपूर्ति करता है। सीआईएल सरकारी खजाने (केंद्र और राज्य दोनों) में सबसे अधिक योगदान देने वालों में से एक है। देशवासियों के जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हुए, सीआईएल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर सबसे अधिक व्यय

करने वालों में से एक है। इस प्रकार, सीआईएल भारत की ऊर्जा योजना का केंद्रबिंदु बना हुआ है।

**मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त**

सीआईएल और इसकी चार लाभ कमाने वाली अनुषंगी कंपनियों, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को मार्च 2007 में 'मिनी रत्न' का दर्जा दिया गया था।

**नवरत्न कंपनी**

मिनिरत्न का पूर्ववर्ती दर्जा प्राप्त करने के बाद, अक्टूबर 2008 में मात्र 17 महीनों की अल्पावधि में ही, सीआईएल को 'नवरत्न' कंपनी का दर्जा दे दिया गया। 'नवरत्न' (भारत सरकार द्वारा प्रदत्त) एक विशेषाधिकार प्राप्त दर्जा है जो देश के आर्थिक विकास में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चुनिंदा सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों को प्रदान किया जाता है। सशक्तीकरण के संदर्भ में 'नवरत्न' का बहुत महत्व था और बढ़ी हुई शक्तियों ने सीआईएल को कई व्यावसायिक मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेने में मदद की। हालाँकि, 'नवरत्न' का दर्जा एक शर्त के साथ आया था कि सीआईएल की लिस्टिंग अक्टूबर 2008 से तीन वर्षों के भीतर की जा सकती है। हालांकि सीआईएल ने यह दो वर्षों में कर दिखाया।

**रिकॉर्ड तोड़ आईपीओ**

भारत सरकार ने कोल इण्डिया लिमिटेड में 10 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने का निर्णय लिया। कंपनी की चुकता इक्विटी 6, 316.36 करोड़ रुपये थी। प्रस्तावित कुल 63.16 करोड़ शेयरों से 225-245 के मूल्य बैंड के उच्च स्तर पर ₹15, 000 करोड़ से अधिक जुटाने की उम्मीद थी। कंपनी के आकार को देखते हुए कोल इण्डिया का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) एक महत्वपूर्ण प्रयास था।

सूचीबद्ध होने के बाद, सीआईएल देश की सूचीबद्ध संस्थाओं में सबसे बड़ी नियोक्ता थी। एक वित्तीय समाचार दैनिक के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि सीआईएल का आईपीओ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और भारतीय बाजार में तब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आईपीओ ने कंपनी के बाजार मूल्य को बढ़ाने में मदद की। अपने कॉर्पोरेट प्रशासन में बढ़ी हुई पारदर्शिता और बढ़ी हुई जवाबदेही के साथ, सीआईएल अपने हितधारकों की ज़रूरतों के प्रति और भी अधिक सतर्क और उत्तरदायी संस्था के रूप में विकसित हुई।

**रेड लेटर डे**

4 नवंबर, 2010 न केवल कोल इण्डिया और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए, बल्कि समग्र रूप से भारतीय पूंजी बाजार के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन था। कोल इण्डिया का शेयर सूचीबद्ध हुआ और कारोबार के पहले दिन ₹342 से ऊपर बंद हुआ। कोल इण्डिया का आईपीओ इस बात का प्रमाण है कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी का रूपांतरण विश्व भर में व्यावसायिक परिवर्तन की सबसे आकर्षक कहानियों में से एक रहा है।

**महारत्न के रूप में उत्थान**

सीआईएल को 11 अप्रैल, 2011 को भारत सरकार द्वारा 'महारत्न' का दर्जा प्रदान किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र दिवस पर, तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक आधिकारिक समारोह में, तत्कालीन अध्यक्ष, सीआईएल को यह प्रमाणपत्र प्रदान किया। उस तिथि तक, सीआईएल देश में कुल 215 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से 5वां सार्वजनिक उपक्रम बन गया था, जिसे यह दर्जा प्रदान किया गया।

**अपनी सीमाओं से आगे जाना**

कंपनी के व्यापक विजन को ध्यान में रखते हुए, सीआईएल ऊर्जा बाजार में बदलती गतिशीलता के अनुकूल ढलने के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में नए व्यावसायिक क्षेत्रों में विविधीकरण को प्राथमिकता दे रही है। यह भविष्य की तैयारी और देश में ऊर्जा नेतृत्व बनाए रखने के लिए एक ठोस रणनीति है। सीआईएल का

वर्तमान विजन राष्ट्रीय हित के प्रमुख क्षेत्रों में जटिल परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अग्रणी कंपनियों के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ कार्य करना है। अपनी सहजता से बाहर निकलकर बाजार की आवश्यकता के अनुसार बदलाव लाना अनिवार्य है। बाजार की गति, परिवर्तनों और व्यवधानों के साथ तालमेल बनाए रखते हुए और उनका सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए चुस्त-दुरुस्त रहना आवश्यक है।

**पिटहेड पावर प्लांट**

सीआईएल के विविधीकरण प्रयासों में एक खदान-स्थल पर विद्युत संयंत्र, 'महानदी बेसिन पावर लिमिटेड' शामिल है, जिसका पूर्ण

स्वामित्व सीआईएल की अनुषंगी कंपनी एमसीएल के पास है। कुल 4, 000 मेगावाट क्षमता में से, पहले चरण में ओडिशा के सुंदरगढ़ में 2 x 800 मेगावाट के संयंत्र स्थापित किए जाएँगे, जिसके बाद दूसरे चरण में 800 मेगावाट की तीन और इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी। प्रस्तावित परियोजना से 1, 200 मेगावाट बिजली लेने के लिए असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

**सौर ऊर्जा में प्रवेश**

सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) की विविधीकरण रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और अभिन्न अंग है।

**कोयला गैसीकरण**

भारत में कोयला गैसीकरण की अपार संभावनाएँ हैं, जो आयातित रसायनों और पेट्रोरसायनों के विकल्प को प्रदान करता है। सरकार की योजना 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने की है। इसी क्रम में, कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) संयुक्त उद्यमों (जेवी) या एकल प्रयासों के माध्यम से कई कोयला-से-रसायन परियोजनाओं की संभावनाएँ तलाश रही है।

**सीआईएल-भेल द्वारा एक नई इकाई की स्थापना**

सीआईएल ने हाल ही में एक नई शाखा 'भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड' की शुरुआत की है। यह सीआईएल और बीएचईएल का एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसका अंतिम उत्पाद अमोनियम नाइट्रेट है, जो थोक विस्फोटकों के निर्माण में एक प्रमुख घटक है और सीआईएल अपने ओसी खनन कार्यों में बड़ी मात्रा में इसका उपयोग करता है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ओडिशा के लखनपुर क्षेत्र में स्थापित होने वाले इस संयंत्र से सालाना 6.60 लाख टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करने की योजना है। लगभग 1.3 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता एमसीएल से पूरी की जाएगी। इस परियोजना के वित्त वर्ष 2028-29 तक चालू होने की परिकल्पना की गई है।

**सीआईएल-गेल की साझेदारी**

सीआईएल और गेल (इण्डिया) लिमिटेड ने 5 अगस्त, 2024 को सतही कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी) बनाने वाले संयंत्र की स्थापना के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौता किया है। एसएनजी मुख्य रूप से मीथेन है, जो विभिन्न रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक फीडस्टॉक है। यह आगामी संयंत्र कच्चे माल की सुरक्षा और प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता को कम करने तथा आत्मनिर्भर मिशन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ईसीएल, पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में स्थापित होने वाला यह संयंत्र सीआईएल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले कोयले से 80, 000 एनएम³ प्रति घंटा एसएनजी का उत्पादन करेगा।

**सीआईएल और बीपीसीएल द्वारा एसएनजी परियोजना का विकास**

तृतीय कोयला गैसीकरण परियोजना में, कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपनी अनुषंगी कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयला से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी) परियोजना की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में, भारत में प्राकृतिक गैस की अधिकांश मांग एलएनजी के आयात से पूरी होती है। प्रस्तावित एसएनजी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 633.6 मिलियन एनएम3 है। एलएनजी आयात को कम करने के उद्देश्य से, यह परियोजना भारत सरकार के राष्ट्रीय गैसीकरण मिशन के अनुरूप है।

**क्रिटिकल खनिजों की दिशा में एक बड़ा कदम**

भारत क्रिटिकल खनिजों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है। इस समस्या से निपटने के लिए, सीआईएल

घरेलू नीलामियों में सहभागिता तथा घरेलू स्तर पर एवं ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना में विदेशों में लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट और निकल जैसी संपत्तियों की खोज कर रही है। हाल ही में, सीआईएल ने मध्य प्रदेश में अपना पहला गैर-कोयला खनिज ब्लॉक खट्टाली ग्रेफाइट ब्लॉक हासिल किया है, जिससे सीआईएल का क्रिटिकल खनिजों के खनन में प्रवेश हुआ है।

**उर्वरक संयंत्र** - सीआईएल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई उर्वरक परियोजनाओं में शामिल है।

**तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल):** ओडिशा के तालचेर में स्थित, गेल, आरसीएफ तथा एफसीआईएल के साथ इस संयुक्त उद्यम का उद्देश्य तालचेर उर्वरक इकाई को पुनर्जीवित करना है। मार्च 2024 तक, इस परियोजना ने 58%

निर्माण प्रगति हासिल कर ली है।

**हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल):** आईओसीएल, एनटीपीसी, एफसीआईएल और एचएफसीएल के साथ यह संयुक्त उद्यम गोरखपुर (यूपी), सिंदरी (झारखंड) और बरौनी (बिहार) में तीन प्राकृतिक गैस आधारित यूरिया संयंत्र संचालित करता है। प्रत्येक संयंत्र 4, 000 टीपीडी का उत्पादन करते है।

**कोयले का सुरक्षित एवं सुदृढ़ भविष्य**

कोयला क्षेत्र के साथ-साथ कोल इण्डिया के लिए भी आने वाले दिन सकारात्मक और उत्साहजनक बना हुआ हैं तथा समग्र उत्साहवर्धक धारणा बनी हुई है। कोयले के साथ भारत का रिश्ता जल्द खत्म होने वाला नहीं है, कम से कम अगले दो दशकों तक तो नहीं। पर्यावरण और जलवायु संबंधी समस्याएँ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन देश की ऊर्जा सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारत अपने एनडीसी के अनुसार, वित्त वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन के माध्यम से 500 गीगावाट बिजली पैदा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से स्वागत योग्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अभी तक कोयले की भूमिका को पूरी तरह से निभाने की स्थिति में नहीं हैं। राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल की ईंधन-वार उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार, कोयला आधारित बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा (बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को छोड़कर) से पाँच गुना से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

जिस तरह से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, भारत में कोयले की क्षमता का अभी पूरी तरह से उपयोग होना बाकी है। कोयला क्षेत्र का भविष्य, तथा देश के अग्रणी कोयला उत्पादक के रूप में कोल इण्डिया का भविष्य मजबूत और सुरक्षित है। बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी कम होने पर भी, कोयले के वैकल्पिक उपयोग बढ़ेंगे, खासकर गैसीकरण के लिए, जिसके लिए कोयले की आवश्यकता होती है। कोल इण्डिया भारत की ऊर्जा योजना का केंद्रबिंदु बना रहेगा। जब तक देश को कोयले की आवश्यकता है, सीआईएल निरंतर उत्साह के साथ मांग को पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध है।

**साभार -संपादकीय मंडल**

# कोल इण्डिया @50

कोल इण्डिया लिमिटेड विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रही है और नई-नई उपलब्धियां प्राप्त कर रही है। नवंबर, 2024 से कोल इण्डिया का 50वां वर्ष चल रहा है। इस दौरान विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

## मानव संसाधन विभाग की प्रमुख उपलब्धियां

**ग्रेट प्लेस टू वर्क" का प्रमाणीकरण**

प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणपत्र प्राप्त करना, कोल इण्डिया लिमिटेड की उच्च-विश्वसनीयता और उच्च-प्रदर्शन संस्कृति के निर्माण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह मान्यता कर्मचारी कल्याण, समावेशिता, सहभागिता और निरंतर करियर विकास पर संगठन के ज़ोर को दर्शाती है, जिससे कोल इण्डिया लिमिटेड एक सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने वाले शीर्ष संगठनों में शामिल हो गया है।

**कार्मिक/ औद्योगिक संबंध से मानव संसाधन तक परिवर्तन**

मानव संसाधन निदेशालय ने पारंपरिक औद्योगिक संबंध (आईआर)-केंद्रित मॉडल से आधुनिक, सक्रिय मानव संसाधन (एचआर) ढाँचे में रणनीतिक परिवर्तन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। यह बदलाव कर्मचारियों को प्राथमिकता देने वाले दृष्टिकोण पर ज़ोर देता है, जिसमें प्रतिभा विकास, नेतृत्व क्षमता निर्माण, कर्मचारी सशक्तिकरण, संगठनात्मक शिक्षा और डिजिटल मानव संसाधन एकीकरण शामिल है, जो मानव संसाधन प्रथाओं को समकालीन श्रमशक्ति की उभरती अपेक्षाओं के अनुरूप बनाता है।

**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार**

सीएसआर के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीतना, सीआईएल की सतत् और सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाओं की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुरस्कार समावेशी विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाली विभिन्न सीएसआर पहलों के प्रभावशाली क्रियान्वयन को मान्यता देता है। यह उपलब्धि समुदायों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन और राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने की सीआईएल की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है।

# कोल इण्डिया के 50 वर्षों की गौरवशाली यात्रा :

## विपणन विभाग की सफलता, चुनौतियां और उत्कर्ष की गाथा

भारत की औद्योगिक, वाणिज्यिक और घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा कोयले से आता है, और इस आपूर्ति के लिए कोल इण्डिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोल इण्डिया लिमिटेड (CIL) देश की ऊर्जा सुरक्षा में एक स्तंभ के रूप में स्थापित है और पिछले ५० वर्षों में देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

कोल इण्डिया लिमिटेड भारत के औद्योगिक और घरेलू ऊर्जा स्रोतों की जरूरतों को पूरा करते हुए देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती कंपनी की सफलता का आधार उसके कुशल उत्पादन, वितरण और विपणन तंत्र में निहित है।

विपणन विभाग न केवल कोयले की बिक्री और वितरण को सुचारू रूप से संचालित करता है, बल्कि ग्राहकों की बदलती जरूरतों और बाजार की मांगों को समझते हुए रणनीतियाँ भी विकसित करता है एवं देश भर में बिजली संयंत्रों, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स (IPPs), उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं के साथ प्रगाड़ संबंध स्थापित करता है।

इन प्रयासों के माध्यम से, विपणन विभाग ने कोल इण्डिया को न केवल एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया है, बल्कि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में उसकी भूमिका को और भी मजबूत बनाया है।

**इतिहास की झलक: शुरुआत से संगठन तक**

वर्ष 1975 में कोल इण्डिया की स्थापना के साथ ही, देशभर में फैली खदानों और विभिन्न कोयला उत्पादकों को एकीकृत कर एक केंद्रीकृत विपणन व्यवस्था का खाका तैयार किया गया। पहले के वर्षों में कोयले की आपूर्ति, परिवहन और वितरण मुख्य रूप से मैनुअल दस्तावेजों व रेलवे पर आधारित होती थी।

90 के दशक के बाद, जब देश में उदारीकरण की बयार चली, तब CIL ने विपणन को अधिक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। उपभोक्ताओं की बढ़ती विविधता और मांगों को देखते हुए, विपणन विभाग ने रणनीतिक रूप से कोयले के विविध ग्रेड्स, गुणवत्ता नियंत्रण और समयबद्ध वितरण पर ध्यान केंद्रित किया।

**प्रारंभिक चुनौतियां और संगठनात्मक सुधार**

शुरुआती दौर में, कोल इण्डिया को कोयले की आपूर्ति और वितरण के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सीमित अवसंरचना, लॉजिस्टिक बाधाएं और समयबद्ध डिलीवरी की जटिलताओं ने वितरण प्रणाली को प्रभावित किया। चूंकि कोयले की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा रेलवे के माध्यम से होता है, इसलिए समयबद्ध परिवहन सुनिश्चित करने के लिए रेलवे के साथ तालमेल और योजनाबद्ध रेक मूवमेंट अत्यंत आवश्यक था।

विपणन विभाग ने इंडियन रेलवे के साथ मिलकर परितंत्र स्थापित किए जिससे आपूर्ति में स्थिरता एवं समयबद्धता आई।

**कोयले से रोशन भारत: आधी सदी का ऊर्जा योगदान**

पचास वर्ष पूर्व जब कोयला उपभोगताओं को कोयले की आपूर्ति

यात्रा शुरू हुई, तब वित्तीय वर्ष 1974-75 में कुल प्रेषण मात्र 72.71 मिलियन टन था। निरंतर प्रयासों, नीतिगत सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास के परिणामस्वरूप यह आंकड़ा 10.5 गुना से अधिक बढ़कर वर्ष 2024-25 में 763 मिलियन टन तक पहुँच गया है, जो भारत की ऊर्जा क्षेत्र में कोल इण्डिया की ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित करता है। 1973 में गैर-कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण और 1975 में कोल इण्डिया लिमिटेड (CIL) के गठन ने कोयला क्षेत्र और विभिन्न उद्योगों, विशेष रूप से बिजली संयंत्रों, को कोयला आपूर्ति के ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। भारत में विद्युत उत्पादन पारंपरिक (थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो) और नवीकरणीय स्रोतों (पवन, सौर, बायोमास आदि) से होता है। हालांकि, कुल बिजली उत्पादन का लगभग 75% हिस्सा कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स से आता है।

वित्तीय वर्ष 1974-75 में, सीआईएल द्वारा विद्युत क्षेत्र को केवल 20.18 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की गई थी, जो अब 2024-25 में 30 गुना बढ़कर 616.17 मिलियन टन हो गई है। यह भारत की विद्युत उत्पादन और समग्र ऊर्जा परिदृश्य में कोयले के महत्व को दर्शाता है।

**विपणन विभाग द्वारा विगत कुछ वर्षों में किए गए प्रमुख सुधार एवं नीतिगत निर्णय**

**ई-नीलामी प्लेटफॉर्म:**

- कोयले की बिक्री हेतु single window mode agnostic e auction के माध्यम से पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और ग्राहक अनुकूल प्रणाली को लागू किया गया है।
- कोयले की गुणवत्ता एवं मात्रा से संबंधित जानकारी अब ऑनलाइन पोर्टल्स और मोबाइल एप्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और कागज़ी प्रक्रिया में कमी आई है।
- **फास्टैग आधारित कोयला ट्रैकिंग:** कोयला परिवहन को ट्रैक करने के लिए RFID आधारित फास्टैग तकनीक को लागू किया गया है, जिससे लॉजिस्टिक्स निगरानी और सुरक्षा दोनों में सुधार हुआ है।
- देरी से भुगतान पर ब्याज दरों को एकरूप किया गया है, जिसके तहत सभी पावर FSA के लिए आरबीआई रेपो रेट प्लस 3% की दर लागू की गई है।
- FSA के प्रावधानों के अनुसार, IPP को ACQ से अधिक कोयला आपूर्ति कर पूर्ण PPA आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति दी गई है।
- CEA से परामर्श के बाद, थर्मल पावर प्लांट (TPP) के लिए दस्तावेज़ एवं माइलस्टोन सत्यापन प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
- Non-Power CPSE के FSA में रेल से रोड परिवहन मोड में परिवर्तन का विकल्प दिया गया है।
- नॉमिनल SD जमा करने पर प्लांट कमीशनिंग के लिए पूर्व-शर्तों की संतुष्टि की अवधि का विस्तार।
- उपभोक्ताओं के लिए लिंकज पुनर्संगठन के लिए एसओपी तैयार किया गया, जिसके तहत 98.8 मिलियन टन कोयले की मात्रा का सफल पुनर्संगठन हुआ है जिससे 700 करोड़ रूपये की बचत प्रतिवर्ष हो रही है।
- पिछले 11 वर्षों में, कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में कोयला लिंकज आवंटन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। पहले जहाँ यह प्रक्रिया नामांकन (nomination) आधारित थी, वहीं अब यह पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बन चुकी है। वर्ष 2017 में शुरू की गई SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) नीति ने इस बदलाव की नींव रखी, जिसमें कोयला लिंकज का आवंटन अब बोली प्रक्रिया (auction/tariff-based bidding) के माध्यम से किया जाता है। केवल केंद्रीय एवं राज्य सेक्टर की परियोजनाओं के लिए नामांकन आधारित आवंटन की व्यवस्था बनी रही।
- इसके आगे बढ़ते हुए, संशोधित SHAKTI नीति 2025 को 20 मई 2025 को मंत्रालय के पत्र क्रमांक CPD-23011/24/2024-CPD(Comp. No.360084) के माध्यम से लागू किया गया, जिसने 2017 की मूल नीति और 2019 एवं 2023 में किए गए संशोधनों को प्रतिस्थापित कर दिया है। नई नीति में कोयला आवंटन की प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए आठ पूर्ववत श्रेणियों को दो पारदर्शी विंडो में समाहित कर दिया गया है:

- **विंडो-I:** केंद्र/राज्य की विद्युत उत्पादन इकाइयों को अधिसूचित मूल्य (Notified Price) पर कोयला लिंकज
- **विंडो-II:** सभी विद्युत उत्पादन इकाइयों (Gencos) को अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर कोयला लिंकज
- यह नीतिगत बदलाव न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि "ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस" को भी सुदृढ़ करते हैं।

**तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता**

विपणन विभाग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्रक्रियाओं को अपनाकर कोयला बुकिंग, ट्रैकिंग और भुगतान को सरल बनाया। इससे ग्राहक बेहतर तरीके से अपनी आवश्यकताओं का प्रबंधन कर सके और विभाग भी अपनी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बना सका।

**ग्राहक सुविधा हेतु स्वचालित प्रक्रियाएँ और एकीकृत समाधान**

- **स्वचालित ग्राहक संचार:** सभी ग्राहक दस्तावेज़ — जैसे कि बिक्री आदेश, चालान, अतिरिक्त बिल, डिस्पैच शेड्यूल आदि स्वचालित रूप से ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भेजे जाते हैं।
- **भुगतान और समायोजन हेतु बैंक एकीकरण:** बैंकों के साथ एकीकरण के माध्यम से ग्राहक प्रो-फॉर्मा चालान के विरुद्ध सीधे भुगतान कर सकते हैं, और अंतिम चालानों के विरुद्ध स्वचालित समायोजन संभव होता है।
- **बिजली संयंत्रों के साथ एकीकरण:** बिजली कंपनियों को बिलिंग विवरण स्वचालित रूप से ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे उनके सिस्टम में स्वतः समायोजन किया जा सकता है।
- **दस्तावेजों का बल्क प्रोसेसिंग:** सिस्टम में बिक्री आदेश, डिलीवरी नोट, चालान, क्रेडिट/डेबिट नोट आदि दस्तावेजों को बल्क में प्रोसेस करने की सुविधा है।

**नीति सुधार और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण**

विपणन विभाग ने विभिन्न नीतिगत सुधारों को लागू किया है, जैसे कि भुगतान में ब्याज दरों का एकरूपिकरण, आपूर्ति के लिए मोड परिवर्तन (रेल से रोड), तथा दस्तावेजी प्रक्रिया का सरलीकरण। इस तरह की पहल से ग्राहक अनुभव में सुधार हुआ और व्यापार में स्थिरता आई। विभाग ने 'ग्राहक प्रथम' नीति को प्रभावी रूप से लागू किया, जिससे व्यवसायिक साझेदारी मजबूत हुई है।

**कोल इण्डिया लिमिटेड के विपणन विभाग द्वारा ज़ोनल कंज़्यूमर मीट का नियमित आयोजन**

कोल इण्डिया लिमिटेड (CIL) के विपणन विभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही में ज़ोनल कंज़्यूमर मीट का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। यह मंच ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने, उनकी प्रतिक्रिया एकत्रित करने और सेवा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया है। इन बैठकों के माध्यम से निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं:

- ग्राहकों की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सीधे समझने का अवसर प्राप्त होता है।
- कोयला गुणवत्ता, आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स एवं भुगतान से जुड़े विषयों पर खुली और पारदर्शी चर्चा होती है।
- विश्वास और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए "फीडबैक" मॉडल अपनाया गया है, जिसके तहत ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

यह पहल CIL की "ग्राहक प्रथम" नीति को मूर्त रूप देती है, जहाँ कारोबार केवल कोयला आपूर्ति तक सीमित नहीं रहकर एक सार्थक साझेदारी में बदल जाती है।

इस प्रकार पिछले पचास वर्षों में कोल इण्डिया लिमिटेड के विकास में विपणन एवं विक्रय विभाग ने न केवल कोयले की बिक्री और आपूर्ति को सुचारू और प्रभावी बनाया, बल्कि ग्राहकों के साथ पारदर्शिता, विश्वास और मजबूत संबंध स्थापित कर कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। लगातार नीतिगत सुधार, तकनीकी नवाचार और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के चलते विपणन विभाग ने कोल इण्डिया को एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया है।

पिछले पचास वर्षों में विपणन विभाग का निरंतर सुधार और समर्पित प्रयास कोल इण्डिया को देश की ऊर्जा सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ बनाने में सहायक रहा एवं आने वाले वर्षों में भी यह भूमिका कंपनी की प्रगति और राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति में निर्णायक बनी रहेगी।

# विविधीकरण : सपनों से निर्माण तक

## व्यवसाय विकास विभाग की प्रमुख उपलब्धियां

**सीमाओं से आगे की राह**

अपने व्यापक दृष्टिकोण की खोज में, कोल इण्डिया लिमिटेड उभरते हुए व्यावसायिक क्षेत्रों में विविधता लाने के लिए साहसपूर्वक आगे बढ़ रहा है - जो कि ऊर्जा परिदृश्य में आगे रहने के लिए एक आवश्यक कदम है। यह रणनीतिक बदलाव न केवल भविष्य की तैयारी की दिशा में एक कदम है, बल्कि देश के ऊर्जा क्षेत्र में सीआईएल के नेतृत्व को बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी है। एक सहयोगी दृष्टिकोण के साथ, सीआईएल राष्ट्रीय महत्व की जटिल, उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए प्रमुख उद्योग प्लेयरों के साथ साझेदारी कर रहा है। जैसे-जैसे बाजार बदलते हैं और नई चुनौतियाँ सामने आती हैं, पारंपरिक सुविधा क्षेत्र से आगे बढ़ना अब वैकल्पिक नहीं रह गया है - यह एक आवश्यकता बन गई है। तत्परता, अनुकूलनशीलता और दूरदर्शिता सीआईएल को आगे बढ़ा रही है, जिससे सीआईएल, व्यवधानों को अवसरों में बदलने और आगे बढ़ने में सक्षम हो रहा है।

**ताप विद्युत परियोजनाएं: ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए आगे का एकीकरण**

फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा का सशक्तिकरण अपने रणनीतिक विविधीकरण के हिस्से के रूप में, कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए थर्मल पावर उत्पादन में कदम रख रहा है। यह अग्रिम एकीकरण सहयोग और पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रमों के माध्यम से शुरू की जा रही कई ऐतिहासिक परियोजनाओं पर आधारित है।

**महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एमबीपीएल): एक प्रमुख पहल**

सीआईएल अपनी अनुषंगी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के माध्यम से महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एमबीपीएल) के तहत एक पिटहेड पावर संयंत्र स्थापित कर रहा है। सुंदरगढ़, ओडिशा में स्थित इस परियोजना की कुल क्षमता 4, 000 मेगावॉट है। चरण-I में 2×800 मेगावॉट की अत्यंत सूक्ष्म इकाइयाँ शामिल हैं, इसके बाद चरण-II में 800 मेगावॉट की तीन और इकाइयाँ शामिल होगी।

**सीआईएल-डीवीसी सहयोग: झारखंड में ऊर्जा तालमेल**

सीआईएल ने झारखंड में डीवीसी के मौजूदा चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन पर 2×800 मेगावॉट की थर्मल पावर परियोजना स्थापित करने के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) के साथ साझेदारी की है। विद्युत मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन के

सीआईएल और डीवीसी के अध्यक्ष की उपस्थिति में सीआईएल-डीवीसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

साथ, 21 अप्रैल 2025 को सीआईएल और डीवीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

**सीआईएल-आरआरवीयूएनएल संयुक्त उद्यम: पश्चिम भारत का विद्युतीकरण**

राजस्थान में, सीआईएल ने कालीसिंध थर्मल पावर संयंत्र में 1×800 मेगावॉट की एक इकाई विकसित करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) के साथ हाथ मिलाया है। संयुक्त उद्यम समझौता 23 सितंबर, 2024 को निष्पादित किया गया था, और निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने 15 जनवरी 2025 को संयुक्त उद्यम के गठन के लिए मंजूरी दी हैं।

**कोयला गैसीकरण – आगे की राह**

कोयला गैसीकरण के अनेक लाभ हैं, जिससे रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उत्पाद प्राप्त होते है, इनमें से अधिकांश का वर्तमान में आयात किया जा रहा है। भारत में प्रचुर कोयला भंडार होने के कारण कोयला गैसीकरण की काफी संभावना है। सीआईएल संयुक्त उद्यम अथवा एकल आधार पर कार्यान्वयन के लिए कई कोयला-से-रासायनिक परियोजनाओं की खोज कर रहा है।

**सीआईएल-बीएचईएल एक नई इकाई की शुरुआत**

मूल्यवर्धित कोयला उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने मिलकर एक नया संयुक्त उद्यम - भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड शुरू किया है। सीआईएल की 51% हिस्सेदारी और बीएचईएल की 49% हिस्सेदारी के साथ, यह नई इकाई औद्योगिक विनिर्माण में कोयले की भूमिका को पुनः परिभाषित करेगी।

संयुक्त उद्यम का मुख्य लक्ष्य अमोनियम नाइट्रेट (एएन) के उत्पादन पर है - जो सीआईएल के ओपनकास्ट खनन कार्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने वाला थोक विस्फोटकों में एक प्रमुख घटक है। ओडिशा के महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के लखनपुर क्षेत्र में स्थापित होने वाली आगामी संयंत्र को 6.60 लाख टन एएन वार्षिक का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संयंत्र को लगभग 1.3 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता होगी, जिसे सीधे एमसीएल से प्राप्त किया जाएगा, जिससे निर्बाध आपूर्ति और परिचालन दक्षता सुनिश्चित होगी। यह पहल न केवल सीआईएल के एकीकरण को सशक्त करता है, बल्कि बिजली उत्पादन से परे कोयले की क्षमता को

बीसीजीसीएल कोल गैसीकरण परियोजना के लिए कोयला मंत्रालय के साथ वीजीएफ समझौते पर हस्ताक्षर।

उभार कर लाने में एक साहसिक कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

**सीआईएल-गेल साझेदारी: भारत में कोयला-से-गैस भविष्य की दिशा में अग्रसर**

एक ऐतिहासिक सहयोग के रुप में, कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) और गेल (इण्डिया) लिमिटेड ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी - कोल गैस इण्डिया लिमिटेड (सीजीआईएल) बनाने के लिए हाथ मिलाया है, यह अत्याधुनिक कोल-टू-सिंथेटिक नेचुरल गैस (एसएनजी) संयंत्र स्थापित करने के लिए समर्पित है। इस महत्वाकांक्षी पहल को 5 अगस्त, 2024 को औपचारिक रूप दिया गया।

सतही कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, आगामी संयंत्र पश्चिम बंगाल के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के रानीगंज क्षेत्र में स्थापितत होगा। प्रति घंटे 80, 000 एनएम³ एसएनजी का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया गया, यह सुविधा मीथेन के घरेलू स्रोत के रूप में काम करेगी - रसायनों, उर्वरकों और अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार सामग्री हैं। आयातित प्राकृतिक गैस पर भारत की निर्भरता को कम करके, यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत मिशन का समर्थन करती है, साथ ही राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत के दो ऊर्जा अग्रणियों के बीच यह रणनीतिक गठबंधन न केवल एक तकनीकी छलांग है, बल्कि देश के औद्योगिक भविष्य के

सीजीआईएल कोल गैसीकरण परियोजना के लिए कोयला मंत्रालय के साथ वीजीएफ समझौते पर हस्ताक्षर।

लिए कोयले की रासायनिक क्षमता को वितालकित करने में एक परिवर्तनकारी कदम है।

**सीआईएल-बीपीसीएल गठबंधन: स्वच्छ भविष्य के लिए ईंधन**

ऊर्जा विविधीकरण और स्वच्छ ईंधन विकल्पों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी) के उत्पादन की संभावना तलाशने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है।

इस साझेदारी में सतही कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अत्याधुनिक कोल-टू-एसएनजी संयंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिसे महाराष्ट्र के वेस्टर्न कोलफील्ड्स

सीआईएल-बीपीसीएल कोल गैसीकरण परियोजना के लिए कोयला मंत्रालय के साथ वीजीएफ समझौते पर हस्ताक्षर।

लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के माजरी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इस सहयोगात्मक उद्यम का उद्देश्य स्वदेशी कोयले को स्वच्छ-जलने वाली सिंथेटिक प्राकृतिक गैस में बदलना है - जिससे आयातित प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम करते हुए टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के एक नए युग की शुरुआत होगी। संयुक्त उद्यम समझौते को औपचारिक रूप देने की योजना के साथ, सीआईएल और बीपीसीएल भारत के उभरते ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

**सीआईएल का खनिज विस्तार: ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर एक निर्णायक और दूरगामी कदम"**

भारत की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने की दिशा में, सीआईएल ने अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित करते हुए रणनीतिक खनिजों के क्षेत्र में एक व्यापक और दूरदर्शी विस्तार यात्रा आरंभ किया है। यह पहल न केवल संगठन की विकास दृष्टि को दर्शाती है, बल्कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक सशक्त और आत्मनिर्भर भागीदार बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर है। लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट और निकल जैसे खनिज आज की उभरती प्रौद्योगिकियों—जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली, अर्धचालक निर्माण और हरित ऊर्जा समाधानों—के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनकी बढ़ती वैश्विक मांग और भारत की आयात निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, सीआईएल ने इस क्षेत्र में नीतिगत दृष्टिकोण और व्यावसायिक स्पष्टता के साथ रणनीतिक पहल की है।

देश के भीतर संसाधनों के दोहन के क्रम में, सीआईएल ने मध्यप्रदेश स्थित खट्टाली छोटी ग्रेफाइट ब्लॉक को अपनी पहली गैर-कोयला खनिज संपत्ति के रूप में सफलतापूर्वक अर्जित किया है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ के ओरंगा–रेवतीपुर क्षेत्र में ग्रेफाइट और वैनेडियम ब्लॉक के लिए सीआईएल का पसंदीदा बोलीदाता घोषित किया जाना, इस रणनीतिक क्षेत्र में उसकी उपस्थिति को और अधिक सुदृढ़ करता है।।सीआईएल की दृष्टि केवल घरेलू सीमाओं तक सीमित नहीं है। अपनी वैश्विक उपस्थिति को विस्तार देने की दिशा में, सीआईएल ने ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना जैसे संसाधन-संपन्न देशों में दीर्घकालिक साझेदारियों और परिसंपत्ति अधिग्रहण के अवसर तलाशने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में, सीआईएल ने लगभग 10 अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज कंपनियों के साथ गैर-प्रकटीकरण समझौतों (NDAs) पर हस्ताक्षर किया है और संभावित अधिग्रहणों की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

माननीय कोयला और खान मंत्री, भारत सरकार द्वारा खट्टाली छोटी ग्रेफाइट ब्लॉक के लिए बोलीदाता की घोषणा करते हुए।

ये प्रयास केवल खनिज संसाधनों के अधिग्रहण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सीआईएल की 'कोयले से परे' रणनीति के तहत एक परिवर्तनकारी अध्याय की शुरुआत को भी इंगित करते हैं—जहाँ वह एक पारंपरिक कोयला उत्पादक कंपनी से आगे बढ़कर एक वैश्विक, विविधीकृत खनन व प्राकृतिक संसाधन संगठन के रूप में उभर रहा है। सीआईएल की यह पहल राष्ट्रीय खनिज आत्मनिर्भरता मिशन, "मेक इन इण्डिया", और "आत्मनिर्भर भारत" जैसे कार्यक्रमों के मूल लक्ष्यों को साकार करने में सहायक सिद्ध हो रही है। यह यात्रा केवल खनन की नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के निर्माण की एक प्रभावशाली गाथा है।

CIL ने छत्तीसगढ़ के ओरंगा–रेवतीपुर की बिड में सफलता हासिल की

**सौर ऊर्जा: स्वच्छ भविष्य की दिशा में कोल इण्डिया का अग्रगामी कदम**

**ऊर्जा आत्मनिर्भरता का नया अध्याय**

कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) अपनी दीर्घकालिक डि-कार्बनाइज़ेशन रणनीति के अंतर्गत वित्त-वर्ष 2029–30 तक कुल 9.5 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता तथा वर्ष 2027–28 तक 3 गीगावॉट सौर क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रही है। वित्त-वर्ष 2024–25 के अंत तक सीआईएल ने 209.08 मेगावॉट की संचयी सौर क्षमता अर्जित कर ली है, जिसमें 186 मेगावॉट ग्राउंड-माउंटेड तथा 23.08 मेगावॉट

रूफटॉप परियोजनाएँ सम्मिलित हैं। गुजरात राज्य में 400 मेगावॉट की सौर परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं, जिनमें खावड़ा सोलर पार्क में 300 मेगावॉट की उच्च क्षमता वाली परियोजना प्रमुख है। यह परियोजना 25 वर्षों के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) को हरित ऊर्जा की आपूर्ति करेगी।

सीआईएल की अक्षय ऊर्जा पहलों का उद्देश्य न केवल परिचालन लागत में कटौती करना है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक मजबूत और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना भी है। इसी दिशा में सितंबर 2024 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) के साथ 2, 100 मेगावॉट सौर क्षमता हेतु एक संयुक्त उद्यम गठित किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश राष्ट्र विद्युत उद्योग निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) के साथ 500 मेगावॉट की परियोजना हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सीआईएल ने हाल ही में 4, 500 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु समझौता किया है, जिससे औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं को दीर्घावधि आधार पर द्विपक्षीय विद्युत क्रय समझौते (PPA) के तहत विद्युत आपूर्ति की जाएगी॥ इस परियोजना के माध्यम से विद्युत आपूर्ति मुख्य रूप से कैप्टिव उपभोक्ताओं को की जाएगी, जिससे स्वच्छ ऊर्जा का दायरा और व्यापक होगा।

सौर ऊर्जा के नए आयामों की संभावनाएँ जैसे फ्लोटिंग सोलर, ओवरबर्डन डंप पर सोलर पैनल तथा माइन क्लोज़र योजना में सौर समावेशन, सीआईएल की सतत् नवाचार यात्रा का हिस्सा हैं। यह न केवल पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को दर्शाता है बल्कि परित्यक्त खानों के पुनःउपयोग का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

**उर्वरक संयंत्र - राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना**

हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) - एक पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा कुशल उर्वरक निर्माण कंपनी सीआईएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, एफसीआईएल और एचएफसीएल का एक संयुक्त उद्यम है, जिसे गोरखपुर (यूपी), सिंदरी (झारखंड) और बरौनी (बिहार) में तीन प्राकृतिक गैस आधारित यूरिया परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अधिकृत किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 तक सभी तीन संयंत्र 100% -105% कार्यक्षमता पर चल रहे हैं और प्रत्येक 4000 टीपीडी उत्पादन कर रहे हैं। देश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में किसानों की यूरिया आवश्यकता को पूरा करने और आपूर्ति करने के लिए जून 2016 में एचयूआरएल अस्तित्व में आया। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एचयूआरएल ने 3.30 मीट्रिक टन नीम-लेपित यूरिया का उत्पादन और 15, 909.70 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया। इसी अवधि के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) 1382.07 करोड़ रुपये था।

एचयूआरएल बरौनी यूनिट

तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) तालचेर (ओडिशा) में एक और कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र है, जो सीआईएल, गेल, आरसीएफ़ और एफ़सीआईएल द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसका गठन ओडिशा के अंगुल जिले में एफ़सीआईएल की तालचेर उर्वरक इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। इस परियोजना ने मार्च-2025 तक लगभग 66% की समग्र निर्माण प्रगति हासिल कर ली है और इसे 2027-28 में चालू करने की योजना है।

**पंप भंडारण संयंत्र (पीएसपी) - ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत**

एचयूआरएल सिंदरी यूनिट

संधारणीय ऊर्जा संक्रमण की दिशा में एक दूरदर्शी कदम उठाते हुए, कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) अपनी डी-कोल खदानों को पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के विकास के लिए पुनः उपयोग में ला रहा है। अपनी व्यापक भूमि परिसंपत्तियों के आर्थिक लाभ का उपयोग करके, सीआईएल ऐसे अभिनव ऊर्जा समाधानों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है जो देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं।

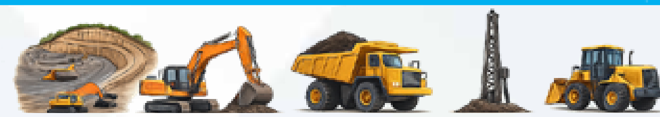

# 50 वर्ष — मूल्यों और सतर्कता की संस्कृति की ओर

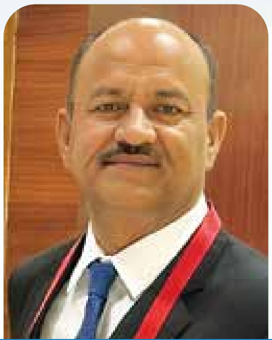

**ब्रजेश कुमार त्रिपाठी**
मुख्य सतर्कता अधिकारी
कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता

दशकों से भारत के ऊर्जा क्षेत्र को शक्ति प्रदान करने वाली महारत्न कंपनी, कोल इण्डिया लिमिटेड (CIL), ने 1 नवंबर 2024 को अपनी स्थापना के 50वें वर्ष में प्रवेश किया है। इन पाँच दशकों में, सीआईएल द्वारा स्थापित विरासत प्रेरणादायक रही है— कोल इण्डिया ने भारत के कोयला उत्पादन में लगभग 75% हिस्सेदारी रखते हुए, उत्पादन, वित्तीय विकास, सामुदायिक विकास और स्थिरता के क्षेत्र में कई मानक स्थापित किए हैं।

जैसे-जैसे भारत का ऊर्जा परिदृश्य बदल रहा है, सीआईएल अपनी दूरदर्शी पहल Mission Brand_CIL@50 के तहत एक एकीकृत ऊर्जा कंपनी के रूप में लगातार विकसित हो रही है। जब तक देश को इसकी आवश्यकता होगी, कोयला सीआईएल का मुख्य व्यवसाय बना रहेगा, लेकिन सौर ऊर्जा, कोयला गैसीकरण, महत्वपूर्ण खनिजों और अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में उद्यमों के माध्यम से भविष्य की तैयारी पहले से ही चल रही है।

**सतर्कता के माध्यम से मूल्यों का समावेश**

किसी भी संगठन की असली ताकत उसके चरित्र और संस्कृति में निहित होती है। अपनी स्थापना से ही CIL ने पारदर्शिता, नैतिक आचरण और मूल्यपरक शासन को मजबूत करने में निरंतर प्रगति की है। सतर्कता प्रभाग इस मिशन का आधार है, जो ईमानदारी को केवल अनुपालन नहीं बल्कि एक साझा जिम्मेदारी के रूप में देखता है। जैसा कि CIL के अध्यक्ष श्री पी.एम. प्रसाद कहते हैं: "हमारा लक्ष्य केवल एक मूल्यवान कंपनी बनना नहीं बल्कि एक मूल्यों वाली कंपनी बनना है।"

यह प्रतीकात्मक है कि हर नवंबर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह (VAW) और CIL का स्थापना दिवस साथ-साथ आते हैं — यह याद दिलाता है कि ईमानदारी हमेशा से CIL की पहचान का हिस्सा रही है और अब Mission Brand_CIL@50 का एक अभिन्न अंग है।

**मजबूत सतर्कता संरचना**

CIL के मज़बूत एवं समृद्ध सतर्कता नेटवर्क में नौ मुख्य सतर्कता अधिकारी और उसकी सहायक कंपनियों के 150 से ज़्यादा सतर्कता अधिकारी शामिल हैं, जो हर स्तर पर नैतिक निगरानी सुनिश्चित करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के 3Ps—— Predictive Vigilance, Positive Vigilance and Proactive Vigilance के अनुरूप, सीआईएल ने तीन और Ps जोड़े हैं: — Predictive Vigilance, Positive Vigilance and Proactive Vigilance। जिससे एक 6Ps ढाँचा तैयार हुआ है, यह 6 Ps फ्रेमवर्क सतर्कता को भविष्योन्मुख और सहयोगी बनाता है।

**सक्रिय दृष्टिकोण**

लोगों के अंदर व्याप्त भय को दूर करने के प्रयास एवं दूरदर्शिता को अपनाते हुए, सतर्कता विभाग ने सक्रिय और निवारक उपायों की ओर कदम बढ़ाया है। सीसीएल, सीएमपीडीआई, ईसीएल, एमसीएल, एनसीएल, बीसीसीएल, एसईसीएल और एनईसी जैसी सहायक कंपनियों में तीन महीने का व्यापक अभियान चलाकर महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, जोखिमों की पहचान की गई और कोयला भंडार निगरानी जैसे क्षेत्रों में व्याप्त कमियाँ दूर की गईं — ताकि नियमों का पालन मजबूरी से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से हो।

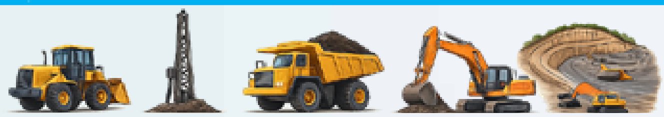

### ज्ञान और आत्मविश्वास का निर्माण

ज्ञान ही सशक्तिकरण है। Mission Brand_CIL@50 के तहत, CIL ने 550 से अधिक क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए, जिसमें 18, 000 से अधिक कर्मचारियों को खरीद, जीएसटी, अनुबंध प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और ERP-SAP मॉड्यूल्स पर प्रशिक्षित किया गया। जिससे स्पष्ट संदेश गया कि डिजिटल पारदर्शिता के इस युग में नियमों की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं है।

### तकनीक के सहारे पारदर्शिता

आधुनिक डिजिटल उपकरण पारदर्शिता के लिए CIL की ढाल बन गए हैं। CCTV निगरानी, RFID अवरोधक, GPS ट्रैकिंग और AI-आधारित विश्लेषण निष्पक्ष निगरानी सुनिश्चित करते हैं। ई-टेंडरिंग, ई-बिलिंग और GeM पोर्टल का अनिवार्य उपयोग खरीद प्रक्रिया को स्वचालित करता है और मानवीय विवेकाधिकार को कम करता है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाती है।

### 360 डिग्री जवाबदेही

नीति को व्यवहार में उतारने के लिए CIL ने दो प्रमुख निगरानी तंत्र कार्यान्वित किए हैं:

- **फील्ड कार्रवाई:** वरिष्ठ अधिकारियों की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने अब तक 18 औचक निरीक्षण किए हैं और जहाँ आवश्यक हुआ, तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए हैं।
- **उच्च स्तरीय समीक्षा:** अध्यक्ष, सीआईएल, कोयला सचिव और CVC के साथ नियमित रणनीतिक बैठकें सतर्कता प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप बनाती हैं और सतत् सुधार सुनिश्चित करती हैं।

### कार्यालय की दीवारों से परे सतर्कता का प्रचार

Mission Brand_CIL@50 के हिस्से के रूप में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 ने कार्यालय की सीमाओं से परे जाकर समाज को अपने साथ जोड़ने का कार्य किया, जिसने जनमानस पर अमिट छाप छोड़ी है। निबंध लेखन और चित्रकला जैसी

रचनात्मक प्रतियोगिताओं ने छात्रों को प्रेरित किया, जबकि ग्राम सभाओं और स्कूल कार्यक्रमों के माध्यम से समुदायों में जागरूकता फैलाई गई। कवि सम्मेलन, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर और खेलकूद जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने ईमानदारी की भावना को रोज़मर्रा के जीवन में शामिल किया।

### विश्वास को संबल

जैसे-जैसे CIL अपने अगले अर्धशताब्दी में प्रवेश कर रहा है, नैतिक उत्कृष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता और मजबूत हो रही है। सरदार वल्लभभाई पटेल के शब्दों को दोहराते हुए — "चरित्र नेतृत्व की नींव है" — सतर्कता प्रभाग सुशासन का सशक्त साधन बनने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस स्वर्ण जयंती वर्ष में Mission Brand_CIL@50 के तहत CIL की सतर्कता विभाग डर की नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति बनकर खड़ी है: Vigilance is by you, Vigilance is for you and Vigilance is with you always.

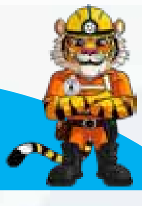

# संगठनों में डिजिटल निर्भरता : कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता पर प्रभाव

डॉ. आर.एन. पात्रा
महाप्रबंधक (ईएंडटी)
कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता

संगठनों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, डिजिटल परिवर्तन और कोविड-19 महामारी के साथ डिजिटल संसाधनों का उपयोग बढ़ गया है। महामारी के दौरान सामाजिक दूरी के कारण घर से काम करने की व्यवस्था ने डिजिटल साधनों के प्रयोग को और बढ़ा दिया, जिससे कार्य और विश्राम के बीच की सीमाएं टूट गईं और यह व्यक्तिगत तथा पारिवारिक अवकाश समय में हस्तक्षेप करने लगा।

महामारी से पहले भी कई संगठन डिजिटल उपकरणों के माध्यम से अपने व्यवसायों का संचालन, प्रबंधन और विस्तार करने के लिए होम ऑफिस की व्यवस्था अपनाने लगे थे। इस कार्यनीति ने पारंपरिक 8 घंटे की कार्य अवधि को समाप्त कर दिया है, जिससे कर्मचारी कहीं भी और कभी भी घर या बाहर कहीं से भी कार्य कर सकते हैं। इससे कार्य, मनोरंजन और सामाजिक संपर्क की सीमाएं धुंधली हो गई हैं, और एक सामूहिक डिजिटल निर्भरता का वातावरण बन गया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिजिटल निर्भरता के कई बड़े फायदे हैं, जैसे दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि, बेहतर संचार, दूरस्थ कार्य और लचीलापन, आर्थिक विकास, नवाचार और रचनात्मकता जैसे कई अन्य शामिल हैं। दूसरी ओर, इसका कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है।

**प्रभाव:**

- व्यक्तियों की दिनचर्या में बदलाव होने पर मानव व्यवहार पर प्रासंगिक प्रभाव पड़ते हैं। आदतों और व्यवहार में बदलाव स्पष्ट दिखाई देते हैं, खासकर जब अलगाव और अत्यधिक उपयोग की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।
- अत्यधिक डिजिटल उपयोग से व्यसन जैसा व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ सकती है।
- अत्यधिक डिजिटल उपयोग से आलोचनात्मक सोच कौशल में कमी आ सकती है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता और भी कमज़ोर हो सकती है।

**डिजिटल निर्भरता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव :**

पिछले एक दशक में तकनीकी लत से जुड़े व्यवहारों के शोध में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रौद्योगिकी के गहन उपयोग और मनोवैज्ञानिक सहवर्ती विकारों (कोमॉर्बिड मनोरोग विकार) के बीच मजबूत संबंध मौजूद है। 23, 533 लोगों पर किए गए एक क्रॉस-सेक्शनल शोध में इस बात की पुष्टि की गई है कि ध्यान की कमी (एडीएचडी), चिंता और अवसाद जैसे लक्षणों की तकनीक का उपयोग - निर्भरता सोशल नेटवर्क और वीडियो गेम्स - से संबंध स्पष्ट रूप से देखा गया है।

इंटरनेट की लत के भावनात्मक प्रभावों में अवसाद, कपटता, चिंता, आक्रामकता और मनोदशा में उतार-चढ़ाव शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, व्यक्ति सामाजिक अलगाव और हानिकारक ऑनलाइन संपर्कों का अनुभव भी कर सकता है। उपरोक्त लत के कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे उत्पादकता में कमी, खराब प्रदर्शन।

डिजिटल उपकरणों से निकलने वाले बैंगनी प्रकाश की फाइटोटॉक्सिसिटी, दृष्टि के एक उत्कृष्ट क्षेत्र, मैक्युला के प्रगतिशील क्षरण का कारण बन सकती है, जो लगातार और लंबे समय तक इस चमक के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकती है।

अत्यधिक तथा व्यसनकारी इंटरनेट उपयोग पर तंत्रिका-मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका-इमेजिंग अनुसंधान एक तेज़ी से बढ़ता हुआ वैज्ञानिक क्षेत्र है। इसने वैज्ञानिक और नैदानिक प्रभाव के परिणाम प्रकट किए हैं जिससे इंटरनेट की लत के तंत्रिका-जैविक आधार को समझने में मदद मिली है, इससे यह निष्कर्ष निकला है कि व्यसनकारी इंटरनेट उपयोग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के कुछ हिस्सों से जुड़े मस्तिष्क के कार्यात्मक परिवर्तनों से जुड़ा है, जिसके साथ अन्य कॉर्टिकल क्षेत्रों, जैसे टेम्पोरल और सबकोर्टिकल, में भी परिवर्तन होते हैं। ये परिणाम बताते हैं कि इंटरनेट के आदी व्यक्तियों में प्रीफ्रंटल नियंत्रण प्रक्रियाएँ कम हो जाती हैं और यह रोगियों के इस उपयोग पर नियंत्रण खोने से संबंधित हो सकता है। अपने बारे में बात करने पर संतुष्टि से जुड़े संज्ञानात्मक तंत्रों के

अंतर्निहित तंत्रिका सक्रियण में वृद्धि होती है।

**डिजिटल स्वास्थ्य :** लोगों का "डिजिटल स्वास्थ्य" शब्द का प्रयोग डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रभाव को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में, सकारात्मक कंप्यूटिंग, व्यक्तिगत मानव-कंप्यूटर संपर्क और आत्मनिर्णय जैसे तीन व्यापक विषयों में मनुष्य के लिए एक अच्छा जीवन जीने के अर्थ पर प्रभाव डालता है।

सामूहिक वातावरणों में इस प्रकार की डिजिटल निर्भरता के लक्षण दिखाई देते हैं, जो लोगों की जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में एक प्रमाणित मापनी का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है "Scale to assess leader's perceptions about employees' digital addiction" (EPLDDE)। यह मापनी संगठनों में कार्यप्रणाली संबंधी अध्ययन, विशेषकर कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित शोधों में योगदान करती है।

आवागमन की सीमाओं के संदर्भ में, घर से काम करने की व्यवस्था नौकरियों, कंपनियों और व्यवसायों के लिए एक रक्षक बन गई हैं, जो दूर से काम करने की निरंतरता सुनिश्चित करती हैं, भले ही सभी लोगों के पास घर से काम करने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ न हों। इन परिस्थितियों का अभाव और अधिक समय तक काम करने से मानव व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य में बदलाव आ सकता है।

इसके अलावा, महामारियाँ और संक्रामक रोग लोगों के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं और समाज को बाधित कर सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर उच्च मनोवैज्ञानिक संकट और मनोसामाजिक समायोजन में विघटन होता है।

**शारीरिक प्रभाव:** डिजिटल एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि घर से डिजिटल कार्य के दौरान उपकरणों का गलत ढंग से उपयोग, अनुचित आसन और अनुपयुक्त फर्नीचर से शारीरिक क्षति हो सकती है। अधिकांश मामलों में लोग लैपटॉप या कंप्यूटर उपकरणों का उपयोग बिस्तर, सोफ़ा या ऐसे आसनों में बैठकर करते हैं जो अनुशंसित नहीं हैं। लंबे समय तक अनुचित आसन में काम करना, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और टैबलेट आदि का गलत ढंग से उपयोग करना शारीरिक रोगों और कार्यात्मक समस्याओं को बढ़ावा देता है, जो अब पहले की अपेक्षा अधिक बार देखी जा रही हैं।

**सामाजिक क्षेत्र:** आजकल कई शोधकर्ता इस बात पर सहमत हैं कि डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग करने वाले व्यक्तियों में कुछ ऐसे असामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं जो उनके दैनिक जीवन की कार्यक्षमता और सामाजिक जुड़ाव को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

जब हम सूचना तकनीकों का संतुलित उपयोग करते हैं, तो यह हमारे रिश्तों को मजबूत करने, संचार को आसान बनाने और नए सामाजिक अवसरों को जन्म देने में मददगार साबित हो सकती हैं।

लेकिन जब इनका दुरुपयोग होता है—जैसे हर समय वर्चुअल दुनिया में रहना, वास्तविक लोगों से दूरी बनाना, या सोशल मीडिया पर अत्यधिक निर्भर होना—तो यह अकेलापन, तनाव, और सामाजिक अलगाव को जन्म दे सकता है।

इसलिए डिजिटल सामाजिकता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है: तकनीक का उपयोग हमें जोड़ने के लिए होना चाहिए, अलग करने के लिए नहीं।

**व्यावसायिक गतिविधियाँ:** यह चिंता का विषय है कि डिजिटल निर्भरता संगठनों में समस्याओं को उजागर कर सकती है, क्योंकि इससे कर्मचारियों से हर समय और स्थान पर उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है।

स्मार्टफोन के ज़रिए असीमित इंटरनेट की पहुँच ने विश्व स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मज़बूत किया है और दुनिया को तेज़ व अधिक कुशल बनाया है। स्वास्थ्य पेशेवरों को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मरीज़ों की देखभाल में ज़्यादातर स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल होता है। इस कार्य प्रक्रिया में इन उपकरणों का इस्तेमाल न करने से न केवल उपयोगकर्ता के जीवन पर, बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यह देखना ज़रूरी है कि ये पेशेवर अपने काम के दौरान स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं।

प्रमाण बताते हैं कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग को रोकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है क्योंकि इनका ध्यान भटकाना शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रदर्शन और उत्पादकता को प्रभावित करता है। ये आदतें संगठनों में भी देखी जाती हैं और मनोविज्ञान और मनोरोग विज्ञान द्वारा इनका अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनियों को कर्मचारियों की हर समय और हर जगह उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है,

इसलिए कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखना आवश्यक है।

कई अध्ययनों से पता चलता है कि स्वास्थ्य पेशेवरों में, जो अपने नैदानिक चरण के दौरान नियमित रूप से अपने स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, निर्भरता का स्तर उच्च होता है, जिसके लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता होती है जो कार्य के दौरान इस उपयोग को प्रतिबंधित करें, ताकि प्रदर्शन और कार्यकर्ता की भलाई से समझौता न हो।

डिजिटल निर्भरता पर कैसे काबू पाएँ: वर्तमान संगठनात्मक प्रथाओं के कारण पेशेवरों पर पड़ने वाले प्रभाव, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शोधों द्वारा सिद्ध होते हैं। इन तथ्यों को समझना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन संगठनात्मक नेतृत्वकर्ताओं को इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संबोधित करने की आवश्यकता है।

डिजिटल निर्भरता पर काबू पाने के लिए, निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए:

**स्क्रीन समय कम करना**

**वैकल्पिक गतिविधियाँ ढूँढना**

**प्रौद्योगिकी के साथ स्वस्थ सीमाएँ स्थापित करना**

यह डिजिटल डिटॉक्स, सचेतन उपयोग और एक सहायक प्रणाली के निर्माण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग प्रोफ़ेसर, सुश्री. केली कोई्ह एंडरसन ने डिजिटल डिटॉक्स की आवश्यकता के संबंध में "द कन्वर्सेशन" के लिए एक लेख प्रकाशित किया है।

एंडरसन बताती हैं कि 62% अमेरिकी मानते हैं कि उन्हें अपने उपकरणों और इंटरनेट की लत लग गई है। वह कहती हैं कि इंटरनेट से दूर रहने और संतुलन बनाने की तमाम कोशिशों के बावजूद, बहुत से लोग डिजिटल दुनिया से पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते।

"डिजिटल डिटॉक्स का सफ़र चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कई लोग अंततः इसे फ़ायदेमंद पाते हैं।" "हालांकि, लोग मशीन नहीं हैं, इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानना और डिटॉक्स के दौरान खुद से और दूसरों से फिर से जुड़ने के तरीके ढूँढ़ना, आपकी मानवता और डिजिटल कल्याण की भावना को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है।"

एंडरसन के शोध में स्वस्थ डिजिटल संतुलन प्राप्त करने की दिशा में इस यात्रा के परिणाम को बेहतर बनाने के लिए चार प्रमुख रणनीतियाँ पाई गई हैं।

**डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए कुछ उपयोगी कदम:**

**छोटी शुरुआत करें और यथार्थवादी बनें:**

प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें और धीरे-धीरे अपने डिटॉक्स की अवधि बढ़ाएं।

**सूचनाएं बंद करें:**

अपने फोन और अन्य डिवाइस पर पुश सूचनाएं बंद करके ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करें।

**तकनीक-मुक्त क्षेत्र बनाएं:**

अपने घर या कार्यस्थल में ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्र बनाएं जहां तकनीक का प्रयोग वर्जित हो, जैसे कि डाइनिंग टेबल या शयनकक्ष।

वैकल्पिक गतिविधियों की योजना बनाएं:

स्क्रीन पर समय बिताने के बजाय शौक पूरे करें, प्रकृति के साथ समय बिताएं, व्यायाम करें, या दोस्तों और परिवार के साथ मेलजोल बढ़ाएं।

**अपना फ़ोन वहीं छोड़ दें:**

बाहर जाते समय, उसे देखने के प्रलोभन से बचने के लिए अपना फ़ोन घर पर या अपनी कार में छोड़ दें। सोते समय अपना वाई-फ़ाई/डेटा कनेक्टिविटी बंद कर दें।

**डिजिटल डिटॉक्स रिट्रीट पर विचार करें :**

यदि आपको अधिक गहन अनुभव की आवश्यकता है, तो प्रौद्योगिकी से दूरी बनाने में आपकी मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए रिट्रीट में भाग लेने पर विचार करें।

**अपने उपयोग के प्रति सचेत रहें :**

इस बात पर ध्यान दें कि प्रौद्योगिकी आपको कैसा महसूस कराती है और उसके अनुसार अपनी आदतों को समायोजित करें।

**अपने अनुभव पर विचार करें :**

आपको अपनी डिजिटल डिटॉक्स, यानी तकनीक से कुछ समय के लिए दूरी बनाने की प्रक्रिया, के बारे में सोचने के लिए समय निकालना चाहिए। ऐसा करने से आप यह समझ पाएंगे कि इससे आपको क्या फायदे हुए और क्या चुनौतियाँ आईं।

"डिजिटल डिटॉक्स आपको अपने जीवन की उन महत्वपूर्ण चीजों की याद दिलाएगा जिन्हें आप अपनी लत को पूरा करने के लिए त्याग रहे हैं, " - : डेमन ज़हरियास : -

# विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए संशोधित SHAKTI नीति

**दीपक रोधिया**
उप प्रबंधक (विपणन)
कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता

भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कोयला वितरण में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। यह प्रक्रिया अक्टूबर 2007 में नई कोयला वितरण नीति की शुरुआत के साथ शुरू हुई, जिसने कोयला लिंकेज प्रणाली को ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) में बदल दिया। इसके अतिरिक्त, स्थायी लिंकेज समिति द्वारा अनुशंसित नए बिजली संयंत्रों के लिए आश्वासन पत्र ( LoA ) तंत्र शुरू किया गया था। इस नीति ने ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की बिक्री को भी सुविधाजनक बनाया।

2017 में, सरकार ने भारत में कोयला का पारदर्शी तरीके से दोहन और आवंटन करने की योजना - शक्ति नीति शुरू की - जो बिजली क्षेत्र को कोयला आवंटित करने के लिए अधिक पारदर्शी और संरचित ढांचा प्रदान करती है। इस नीति से कोयला आधारित बिजली उत्पादन कंपनियों को लाभ हुआ और इसे मूल रूप से दो मुख्य खंडों - पैरा ए (पांच उप-पैरा के साथ) और पैरा बी (सात पैरा के साथ) में संरचित किया गया था - विभिन्न राज्य/केंद्रीय जेनको/आईपीपी को कोयला आवंटित/बेचने के लिए।

पारदर्शिता, दक्षता और कारोबार में आसानी को और बढ़ाने के लिए, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 7 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दी।

**प्रमुख परिवर्तन और उद्देश्य**

संशोधित शक्ति नीति नामांकन-आधारित आवंटन तंत्र से अधिक बाजार-संचालित दृष्टिकोण की ओर बदलाव को दर्शाती है, जिसमें कोयला लिंकेज आवंटित करने के लिए नीलामी और टैरिफ-आधारित बोली का उपयोग किया जाता है। पहले के बहु-पैराग्राफ प्रारूप को अब तेज़, निष्पक्ष और अधिक सुलभ कोयला आवंटन की सुविधा के लिए दो सरलीकृत विंडो में समेकित किया गया है :

- **विंडो-I:** केंद्रीय और राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के लिए अधिसूचित मूल्य पर कोयला लिंकेज।
- **विंडो-II:** सभी पात्र उत्पादकों के लिए अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर कोयला लिंकेज।

**इस संशोधन का उद्देश्य है:**

- कोयला खरीद में लचीलापन को बढ़ाना।
- विद्युत उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए पात्रता का विस्तार करना।
- घरेलू कोयला संसाधनों तक पहुंच में सुधार करना।

**प्रत्याशित प्रभाव**

**संशोधित नीति से व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है:**

- बेहतर कोयला उपलब्धता के माध्यम से अधिक विद्युत उत्पादन।
- कुशल कोयला आवंटन के कारण बिजली दरें कम होंगी।
- गैर-अधिग्रहित अधिशेष (यूआरएस) बिजली के लिए लिंकेज

कोयले के उपयोग की अनुमति देकर संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनरुद्धार।

- विद्युत क्षेत्र की गतिविधियों के विस्तार के माध्यम से रोजगार में वृद्धि।
- विश्वसनीय एवं सस्ती बिजली के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया।
- घरेलू ऊर्जा सुरक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए समर्थन।
- गहन विद्युत बाजार, क्योंकि यूआरएस विद्युत को एक्सचेंजों पर बेचा जा सकता है।
- आयातित कोयले पर निर्भरता कम करना, विशेष रूप से आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों के लिए।
- खनन गतिविधियों में वृद्धि से कोयला उत्पादक राज्यों की आय में वृद्धि होगी, जिसे क्षेत्रीय विकास की दिशा में निर्देशित किया जा सकता है।

संशोधित शक्ति नीति के विस्तृत प्रावधान

**विंडो-I: अधिसूचित मूल्य पर कोयला लिंकेज**

- केंद्रीय क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) के लिए मौजूदा आवंटन तंत्र अपरिवर्तित रहेगा।
- विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर कोयला लिंकेज राज्यों या अधिकृत एजेंसियों को आवंटित किए जाएंगे।

**इन संपर्कों का उपयोग निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है:**

- राज्य जेनको
- टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) का चयन
- नई या विस्तार ईकाइयां स्थापित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अंतर्गत विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) वाले मौजूदा आईपीपी।

**विंडो-II: कोयला लिंकेज अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर उपलब्ध:**

- सभी घरेलू कोयला आधारित विद्युत उत्पादक जिनकी क्षमता बँधी हुई या मुक्त हो।
- यदि वांछित हो तो आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्र।

**नीलामी के माध्यम से कोयला प्राप्त किया जा सकता है :**

- 12 महीने तक की अवधि के लिए, या
- 25 वर्ष तक की लम्बी अवधि के लिए।
- उत्पादकों को अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और उन्हें अपने व्यवसाय मॉडल के अनुसार बाजार में बिजली बेचने की पूरी स्वतंत्रता होगी।

**निष्कर्ष**

संशोधित शक्ति नीति एक ऐतिहासिक सुधार है जो कोयला आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाता है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, आयात निर्भरता को कम करता है, और बिजली क्षेत्र में कुशल क्षमता विस्तार का समर्थन करता है। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, निष्पक्ष बाजार पहुँच सुनिश्चित करके, और घरेलू कोयले के उपयोग को अधिकतम करके, यह नीति आर्थिक विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के दोहरे लक्ष्यों का समर्थन करती है।

# मिशन भूमि प्रबंधन एवं संरक्षण

## एक व्यापक दृष्टिकोण और भविष्य की रूपरेखा

**गोविंद कुमार राय**
प्रबंधक (सी०डी०)
कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता

**पृष्ठभूमि: आवश्यकता और संदर्भ**

कोल इण्डिया लिमिटेड (CIL), भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक आधार स्तंभ, न केवल एक कोयला उत्पादक कंपनी है, बल्कि देश के सबसे बड़े भूमि धारकों में से एक भी है। सात राज्यों में फैली लगभग 2, 63, 000 हेक्टेयर की विशाल भूमि संपत्ति हमारे संचालन की रीढ़ है। यह भूमि केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति (Asset) है जिसका कुशल और सतत्ः प्रबंधन CIL के भविष्य के लिए नितांत आवश्यक है।

विगत कई दशकों में, हमारी भूमि प्रबंधन प्रक्रियाओं को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इनमें कोयले की खान का राष्ट्रीयकरण होने से संबंधित ऐतिहासिक भूमि रिकॉर्ड का अधूरा या बिखरा होना, भूमि अधिग्रहण और वास्तविक कब्ज़े के बीच का अंतर, बढ़ती अतिक्रमण की समस्याएँ, भूमि सत्यापन में राज्य सरकारों द्वारा विलम्ब और बदलती हुई परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार भूमि का अनुकूलतम उपयोग न हो पाना प्रमुख हैं। इन चुनौतियों ने न केवल हमारी परिचालन दक्षता (operational efficiency) को प्रभावित किया है, बल्कि कानूनी और सामाजिक जटिलताएँ भी उत्पन्न की हैं।

इन्हीं व्यापक चुनौतियों को संबोधित करने और अपनी भूमि संपत्ति को एक रणनीतिक लाभ में परिवर्तित करने के उद्देश्य से, कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में, CIL ने "मिशन भूमि प्रबंधन एवं संरक्षण" की शुरुआत की है। यह मिशन केवल एक सुधारात्मक उपाय नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य भूमि प्रबंधन की हर प्रक्रिया को आधुनिक, पारदर्शी, एकीकृत और टिकाऊ बनाना है।

**मिशन का मूल दर्शन: तीन प्रमुख उद्देश्य**

यह मिशन तीन मुख्य रणनीतिक उद्देश्यों पर आधारित है, जो मिलकर CIL के भूमि प्रबंधन के दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित करेंगे:

1. **परिसंपत्ति लेखांकन और स्वामित्व की स्थापना (Asset Accounting & Ownership Establishment):** मिशन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य CIL के स्वामित्व वाली प्रत्येक भूमि पार्सल का सटीक लेखा-जोखा तैयार करना और कानूनी स्वामित्व को सुदृढ़ करना है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, एक केंद्रीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली का निर्माण और स्वामित्व की स्पष्टता सुनिश्चित करना शामिल है।

2. **एकीकृत निर्णय समर्थन प्रणाली (Integrated Decision Support System):** मिशन का लक्ष्य एक ऐसी व्यापक प्रणाली विकसित करना है जो भूमि डेटा को खनन संचालन और SAP जैसे अन्य एंटरप्राइज सिस्टम के साथ एकीकृत करे। यह डेटा-संचालित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सक्षम करेगा, जिससे खदान योजना, निकासी लॉजिस्टिक्स और

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जैसे क्षेत्रों में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

3. **भूमि का मुद्रीकरण और पुनरुद्देश्यन (Land Monetization & Repurposing):** CIL अपनी निष्क्रिय या कम उपयोग वाली भूमि की क्षमता को पहचानता है। यह मिशन ऐसी भूमि की पहचान करेगा और इसे पुनरुद्देश्यन, लीजिंग या अन्य वैकल्पिक उपयोगों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने वाले स्रोतों में बदलने की रणनीति विकसित करेगा। यह दृष्टिकोण वैश्विक खनन कंपनियों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।

**मिशन के प्रमुख स्तंभ: परिवर्तन के वाहक**

इस व्यापक मिशन को धरातल पर उतारने के लिए इसे कई प्रमुख स्तंभों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक स्तंभ एक विशिष्ट क्षेत्र पर केंद्रित है और हमारी कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।

1. **प्रौद्योगिकी-आधारित परिवर्तन: भविष्य का आधार**

   आधुनिक भूमि प्रबंधन बिना प्रौद्योगिकी के अधूरा है। यह मिशन प्रौद्योगिकी को अपनी कार्यप्रणाली के केंद्र में रखता है।

- **एंटरप्राइज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS):** GIS इस मिशन की तकनीकी रीढ़ होगी। यह एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहाँ CIL की सभी भूमि संपत्तियों को नक्शों पर देखा जा सकेगा। यह एक 'सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ' के रूप में कार्य करेगा, जिसमें भूमि के प्रकार, स्वामित्व, अधिग्रहण की स्थिति, खनन पट्टों, वन भूमि, अतिक्रमण और बुनियादी ढांचे जैसी सभी जानकारी स्थानिक (spatial) और गैर-स्थानिक (non-spatial) रूप में उपलब्ध होगी। इससे विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ेगा और योजना बनाने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सटीकता आएगी।
- **ऐतिहासिक भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण:** दशकों पुराने कागज़ी रिकॉर्ड, नक्शे और संबंधित दस्तावेज़ों को उच्च-गुणवत्ता में स्कैन कर एक केंद्रीकृत डिजिटल रिपॉजिटरी में संग्रहित किया जाएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (OCR) तकनीक का उपयोग करके इन दस्तावेज़ों को खोजने योग्य बनाया जाएगा। साथ ही साथ इन दस्तावेज़ों को geotag करके संबंधित भूमि पार्सल से लिंक किया जाएगा। इससे किसी भी भूमि पार्सल से संबंधित जानकारी को मिनटों में प्राप्त करना संभव हो जाएगा, जो पहले दिनों या हफ्तों का काम था।
- **ड्रोन/सॅटेलाइट सर्वेक्षण का व्यापक उपयोग:** पारंपरिक सर्वेक्षण विधियों की तुलना में ड्रोन तकनीक अधिक सटीक, तेज और सुरक्षित है। उच्च रिज़ॉल्यूशन उपग्रह इमेजरी (High Resolution Satellite Imagery ) का उपयोग को जीआईएस के द्वारा और सहज बनाया जाएगा। इस मिशन के तहत, ड्रोन/ उच्च रिज़ॉल्यूशन उपग्रह इमेजरी का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगा:
- भूमि संपत्ति का सटीक और अद्यतन मानचित्रण।
- अतिक्रमण की निगरानी और भूमि उपयोग में हो रहे परिवर्तनों पर नज़र रखना।
- अधिग्रहण के लिए भूमि का मूल्यांकन और मुआवजे की गणना के लिए संपत्ति (पेड़, संरचनाएं) का सटीक आकलन।
- खनन प्रगति, स्टॉकपाइल की मात्रा की गणना और खदान सुरक्षा की निगरानी।
- भूमि रेक्लमैशन और वनीकरण प्रयासों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन।

2. **भूमि समेकन और स्वामित्व की स्पष्टता**

   भूमि पर कानूनी और भौतिक नियंत्रण सुनिश्चित करना इस मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

- **भूमि दाखिल-खारिज (Land Mutation):** CIL द्वारा अधिग्रहित भूमि का सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में कंपनी के नाम पर हस्तांतरण (mutation) एक प्राथमिकता होगी। इसके लिए एक समर्पित टीम राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करेगी। एक व्यापक भूमि ऑडिट के माध्यम से उन सभी भूमि पार्सल की पहचान की जाएगी जिनका दाखिल-खारिज लंबित है और एक समयबद्ध तरीके से इस कार्य को पूरा किया जाएगा।
- **सीमा स्तंभ और बाड़बंदी (Boundary Pillars & Fencing):** CIL की सभी भूमि संपत्तियों की सीमाओं का DGPS (डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) सर्वेक्षण के माध्यम से सटीक सीमांकन किया जाएगा। इन सीमाओं पर मानकीकृत, प्रबलित कंक्रीट (RCC) के सीमा स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। संवेदनशील और अतिक्रमण-प्रवण क्षेत्रों में बाड़बंदी या खाई खोदने जैसे उपाय किए जाएंगे।

यह सभी जानकारी GIS प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट की जाएगी, जिससे सीमाओं की वास्तविक समय में निगरानी संभव हो सके।

- **अतिक्रमण निष्कासन (Encroachment Removal):** अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है जो न केवल हमारी संपत्ति को खतरे में डालती है, बल्कि सुरक्षा और परिचालन संबंधी जोखिम भी पैदा करती है। मिशन के तहत, सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (PPE Act) के प्रावधानों का उपयोग करते हुए एक व्यवस्थित और कानूनी रूप से सुदृढ़ प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए CIL मुख्यालय, सहायक कंपनियों और क्षेत्र स्तर पर समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय में काम करेंगे।

3. **भूमि संरक्षण एवं पुनरुद्देश्यन:** सतत् विकास की ओर एक कदम

CIL एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

- **प्रगतिशील रेक्लमैशन (Progressive Reclamation):** खनन कार्यों के साथ-साथ भूमि के रेक्लमैशन की प्रक्रिया भी चलेगी। जैसे ही किसी क्षेत्र में खनन समाप्त होता है, उसे तुरंत पुनर्वास के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें ऊपरी मिट्टी का संरक्षण और पुन: उपयोग, स्थानीय प्रजातियों का वृक्षारोपण और पारिस्थितिक तंत्र की बहाली शामिल है।
- **खनन-उपरांत भूमि का पुनरुद्देश्यन (Post-Mining Land Repurposing):** मिशन का एक अभिनव पहलू खनन-उपरांत भूमि को उत्पादक संपत्तियों में बदलना है। निष्क्रिय खदानों और पुनर्वासित भूमि को विभिन्न स्थायी उपयोगों के लिए विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, जैसे:
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** सौर और अन्य ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
- **पारिस्थितिकी पर्यटन:** इको-पार्क, नेचर रिजर्व और मनोरंजक क्षेत्रों का विकास।
- **कृषि और वानिकी:** कृषि फार्म, बागवानी और वाणिज्यिक वानिकी।
- **औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र:** लॉजिस्टिक्स हब या औद्योगिक पार्क का विकास।

यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा, बल्कि CIL के लिए राजस्व के नए स्रोत भी पैदा करेगा और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगा।

4. **मानव संसाधन और क्षमता निर्माण:** परिवर्तन के लिए तैयारी

कोई भी मिशन अपने लोगों के बिना सफल नहीं हो सकता। L&R विभागों में सेवानिवृत्ति के कारण संस्थागत ज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा हुआ है। इस मिशन में इस अंतर को पाटने और हमारे मानव संसाधन को भविष्य के लिए तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

- L&R कैडर का सुदृढीकरण: L&R विभाग के लिए एक समर्पित और मजबूत कैडर का निर्माण किया जाएगा। इसमें कार्यकारी और गैर-कार्यकारी (जैसे अमीन, राजस्व निरीक्षक) दोनों स्तरों पर नई भर्तियाँ शामिल होंगी।

**व्यापक प्रशिक्षण और कौशल विकास:** अधिकारी और कर्मचारियों को आधुनिक भूमि प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जाएगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल में शामिल होंगे:

- GIS और रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग।
- ड्रोन डेटा/ सॅटॅलाइट डेटा का विश्लेषण।
- नवीनतम भूमि अधिग्रहण कानून और राजस्व नियम।
- हितधारक प्रबंधन (Stakeholder Management) और संघर्ष समाधान (Conflict resolution) तकनीक।
- डिजिटल दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली।

**अपेक्षित प्रभाव एवं लाभ: एक उज्जवल भविष्य की तस्वीर**

इस मिशन के सफल कार्यान्वयन से CIL को कई दूरगामी लाभ

प्राप्त होंगे:

- **परिचालन दक्षता में वृद्धि:** भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और पुनर्वास प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। सटीक भूमि डेटा के कारण खदान योजना और लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा, जिससे परियोजनाओं में देरी कम होगी।
- **वित्तीय प्रबंधन में सुधार:** भूमि संपत्तियों का सटीक मूल्यांकन संभव होगा। अतिक्रमण और कानूनी विवादों में कमी आने से वित्तीय बचत होगी। भूमि के पुनरुद्देश्यन से राजस्व के नए अवसर पैदा होंगे।
- **कानूनी और अनुपालन जोखिम में कमी:** सभी भूमि रिकॉर्ड के अद्यतन और कानूनी रूप से वैध होने से, भूमि अधिग्रहण कानूनों और पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, जिससे कानूनी विवादों और दंड की संभावना कम हो जाएगी।
- **बढ़ी हुई पारदर्शिता और हितधारक विश्वास:** डिजिटल प्लेटफॉर्म और पारदर्शी प्रक्रियाओं से स्थानीय समुदायों, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ संबंधों में सुधार होगा। इससे CIL की सामाजिक प्रतिष्ठा (Social License to Operate) मजबूत होगी।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** व्यवस्थित भूमि संरक्षण और रेक्लमैशन प्रथाओं से CIL की पर्यावरण-अनुकूल छवि मजबूत होगी और यह सतत्ु विकास लक्ष्यों में योगदान देगा।

**परिवर्तन की राह: संगठनात्मक और व्यक्तिगत तैयारी**

- इस परिवर्तन के लिए एक सुनियोजित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

**संगठनात्मक स्तर पर:**

- **शासन संरचना (Governance Framework):** मिशन की निगरानी के लिए एक मजबूत शासन संरचना स्थापित की गई है, जिसमें CIL कॉर्पोरेट, सहायक कंपनी, क्षेत्र और परियोजना स्तर पर संचालन समितियाँ (Steering Committees) और परियोजना प्रबंधन कार्यालय (PMOs) शामिल हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि निर्णय तेजी से लिए जाएँ और प्रगति की नियमित रूप से निगरानी हो।
- **परिवर्तन प्रबंधन (Change Management):** संगठन में इस नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए एक समर्पित परिवर्तन प्रबंधन योजना लागू की जाएगी। इसमें कर्मचारियों को मिशन के लाभों के बारे में शिक्षित करना, कौशल प्रदान करना और बदलाव की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करना शामिल है।
- **बाहरी विशेषज्ञता:** इस मिशन में तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता के लिए प्रतिष्ठित परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (PMC) की भी मदद ली जाएगी, जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं (Global Best practices) को लागू करने में सहायता करेंगे।

**व्यक्तिगत और टीम स्तर पर:**

- **कौशल उन्नयन की मानसिकता:** सभी कर्मचारियों, विशेष रूप से L&R, सर्वेक्षण और खनन से जुड़े लोगों को, नई तकनीकों को सीखने के लिए तैयार रहना होगा। इसे एक चुनौती के बजाय अपने कौशल को उन्नत करने और करियर में आगे बढ़ने के एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।
- **अंतर-विभागीय सहयोग:** साइलो (silos) में काम करने की मानसिकता को तोड़ना होगा। GIS जैसे एकीकृत प्लेटफॉर्म की सफलता तभी संभव है जब विभिन्न विभाग एक-दूसरे के साथ डेटा और जानकारी साझा करें।
- **डेटा-संचालित दृष्टिकोण:** भविष्य में निर्णय अंतर्ज्ञान या अनुमान के बजाय ठोस डेटा पर आधारित होंगे। कर्मचारियों को डेटा एकत्र करने, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उसके विश्लेषण को अपनी दिन-प्रतिदिन की कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाना होगा।

**एकीकृत प्रयास – सफलता की राह**

यह विश्वास है कि "मिशन भूमि प्रबंधन एवं संरक्षण" CIL के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह हमें अतीत की चुनौतियों से सीखकर भविष्य की ओर एक बड़ी छलांग लगाने का अवसर प्रदान करेगा। यह मिशन हमारी भूमि संपत्ति को केवल एक निष्क्रिय लागत केंद्र से एक सक्रिय, मूल्य-सृजन करने वाली रणनीतिक परिसंपत्ति (Strategic Asset) में बदल देगा। यह हमें न केवल एक अग्रणी कोयला उत्पादक, बल्कि आधुनिक, टिकाऊ और जिम्मेदार भूमि प्रबंधन में भी एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करेगा। इस परिवर्तन की यात्रा में प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका महत्वपूर्ण है, और सामूहिक प्रयास से ही हम इस महत्वाकांक्षी मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

**रंजीत कुमार सिंह**
प्रबंधक (वित्त)
कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता


# स्वतंत्र निदेशक : सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य स्तंभ

**परिचय**

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 और नियम 5 तथा सेबी एलओडीआर 2015 के विनियम 16 के साथ पढ़े गए हैं। यह भी बताता है कि कंपनी का स्वतंत्र निदेशक (ID) कौन हो सकता है। एक स्वतंत्र निदेशक का अर्थ एक गैर-कार्यकारी निदेशक है, जो सूचीबद्ध इकाई का एक नामांकित निदेशक नहीं होता है और जो कंपनी से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं होता है और केवल सदस्यों के हित की रक्षा के लिए काम करता है और वे कंपनी की कॉर्पोरेट विश्वसनीयता और शासन मानकों में सुधार करने में मदद करते है। उनका कंपनी के साथ बैठने की फीस और निर्धारित अन्य भत्तों के अलावा किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध नहीं होता है, जिससे उनके निर्णय की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। एक स्वतंत्र निदेशक कंपनी के निदेशक मंडल में एक तटस्थ पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। वे दिन-प्रतिदिन के संचालन में शामिल नहीं होते हैं और न ही कंपनी के शीर्ष प्रबंधन का हिस्सा होते हैं। इसके बजाय, वे निर्णय लेने में एक बाहरी व्यक्ति का दृष्टिकोण लाते हैं।

स्वतंत्र निदेशक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी शेयरधारकों के हितों की रक्षा करे, पारदर्शी निर्णय लेने को बढ़ावा दे और अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हो। कंपनी के कामकाज पर एक स्वतंत्र निदेशक का निष्पक्ष पर्यवेक्षण सभी शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित के लिए कंपनी की दीर्घकालिक सफलता के लिए एक अनिवार्य शर्त है।स्वतंत्र निदेशक कंपनी के मामलों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वे कंपनी की नीति निर्माण और बैठकों में शामिल होते हैं।

मई 2025 तक, कोल इण्डिया लिमिटेड में छह स्वतंत्र निदेशक थे, यथा-

**श्री घनश्याम सिंह राठौड़**

**श्री भोजराजन राजेशचंद्र**

**श्री पूनाभाई कलाभाई मकवाना**

**सीए कमलेश कांत आचार्य**

**श्रीमती ममता पालारिया**

**श्री सत्यब्रत पांडा**

**स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान**

एक स्वतंत्र निदेशक किसी भी स्टॉक विकल्प का हकदार नहीं होगा और केवल बोर्ड और अन्य बैठकों में भागीदारी के लिए खर्चों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करेगा, यानी बैठक शुल्क और लाभ से संबंधित कमीशन, जैसा कि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। यदि वे कुछ समितियों में सेवा करते हैं तो स्वतंत्र निदेशक अतिरिक्त भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। कोल इण्डिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशकों को केवल बोर्ड बैठक के लिए ₹40, 000/- और समिति की बैठक के लिए ₹30, 000/- का बैठक शुल्क दिया जाता है।

**एक स्वतंत्र निदेशक की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ**

कोल इण्डिया लिमिटेड ने अपनी 308वीं बैठक में, जो 9 जुलाई 2014 को हुई थी, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर जारी किए जाने

वाले नियुक्ति पत्र को मंजूरी दी थी। सीआईएल बोर्ड के अनुमोदन और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची- IV के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक निम्न कार्य करेंगे:

1. बोर्ड के विचार-विमर्श पर एक स्वतंत्र निर्णय लाने में मदद करना, विशेष रूप से रणनीति, प्रदर्शन, जोखिम प्रबंधन, संसाधनों, प्रमुख नियुक्तियों और आचरण के मानकों के मुद्दों पर,
2. बोर्ड और प्रबंधन के प्रदर्शन के मूल्यांकन में एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण लाना,
3. सहमत लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में प्रबंधन के प्रदर्शन की जांच करना और प्रदर्शन की रिपोर्टिंग की निगरानी करना,
4. वित्तीय जानकारी की अखंडता पर स्वयं को संतुष्ट करना और यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन की प्रणालियाँ मजबूत और बचाव योग्य हैं,
5. सभी हितधारकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना,
6. हितधारकों के परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करना,
7. कार्यकारी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक के उचित स्तरों का निर्धारण करना और कार्यकारी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति में और जहां आवश्यक हो, हटाने की सिफारिश करने में एक प्रमुख भूमिका निभाना,
8. प्रबंधन और शेयरधारक के हित के बीच संघर्ष की स्थितियों में, समग्र रूप से कंपनी के हित में मध्यस्थता करना।

**कर्तव्य:**

**स्वतंत्र निदेशक निम्न कार्य करेंगे–**

- उचित प्रेरण करना और अपने कौशल, ज्ञान और कंपनी के साथ परिचितता को नियमित रूप से अद्यतन और ताज़ा करना,
- जानकारी का उचित स्पष्टीकरण या विस्तार करना और, जहां आवश्यक हो, कंपनी के खर्च पर उपयुक्त पेशेवर सलाह और बाहरी विशेषज्ञों की राय लेना और उसका पालन करना,
- निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना, जिनके वे सदस्य हैं,
- बोर्ड की उन समितियों में रचनात्मक और सक्रिय रूप से भाग लेना जिनमें वे अध्यक्ष या सदस्य हैं,
- कंपनी की आम बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना,
- यदि उन्हें कंपनी के संचालन या प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में चिंताएँ हैं, तो यह सुनिश्चित करना कि इन्हें बोर्ड द्वारा संबोधित किया जाए और, यदि वे हल नहीं होते हैं, तो यह आग्रह करना कि उनकी चिंताओं को बोर्ड बैठक के मिनटों में दर्ज किया जाए,
- कंपनी और उस बाहरी वातावरण के बारे में अच्छी तरह से सूचित रहना जिसमें वह काम करती है,
- अन्यथा उचित बोर्ड या बोर्ड की समिति के कामकाज में अनुचित रूप से बाधा न डालना,
- पर्याप्त ध्यान देना और यह सुनिश्चित करना कि संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी देने से पहले पर्याप्त विचार-विमर्श किया जाए और यह सुनिश्चित करना कि वे कंपनी के हित में हैं,
- यह पता लगाना और सुनिश्चित करना कि कंपनी के पास एक पर्याप्त और कार्यात्मक सतर्कता तंत्र है और यह सुनिश्चित करना कि ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति के हितों पर ऐसे उपयोग के कारण प्रतिकूल प्रभाव न पड़े,
- अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी के आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करना,
- कंपनी, शेयरधारकों और उसके कर्मचारियों के वैध हितों की रक्षा में सहायता करना,

- गोपनीय जानकारी, जिसमें व्यावसायिक रहस्य, प्रौद्योगिकियां, विज्ञापन और बिक्री संवर्धन योजनाएं, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी शामिल है, का खुलासा नहीं करना, जब तक कि ऐसे प्रकटीकरण को बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित न किया गया हो या कानून द्वारा आवश्यक न हो।

**एक कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या:**

प्रत्येक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में कुल निदेशकों की संख्या का कम से कम एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की महत्वपूर्ण उपस्थिति हो।

हालांकि, निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली सार्वजनिक कंपनियों में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए:

- चुकता शेयर पूंजी ₹10 करोड़ से अधिक हो।
- टर्नओवर ₹100 करोड़ से अधिक हो।
- सभी बकाया ऋणों, डिबेंचरों और जमाओं का कुल योग ₹50 करोड़ से अधिक हो।

सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, लिस्टिंग विनियमों का विनियमन 17 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए स्वतंत्र निदेशकों की अधिक संख्या को अनिवार्य करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का एक इष्टतम संयोजन होगा जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक होगी और निदेशक मंडल के कम से कम पचास प्रतिशत गैर-कार्यकारी निदेशक यानी स्वतंत्र निदेशक होंगे। बशर्ते कि निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक हो।
- जहां निदेशक मंडल का अध्यक्ष एक गैर-कार्यकारी निदेशक है, वहां निदेशक मंडल के कम से कम एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे और जहां सूचीबद्ध कंपनी का कोई नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, वहां निदेशक मंडल के कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे।

**स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल:**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अधीन, एक स्वतंत्र निदेशक कंपनी के बोर्ड में पांच लगातार वर्षों तक के लिए पद धारण करेगा, लेकिन कंपनी द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करने और बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसी नियुक्ति का खुलासा करने पर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। कोई भी स्वतंत्र निदेशक दो लगातार कार्यकालों से अधिक समय तक पद धारण नहीं करेगा, लेकिन ऐसा स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पद छोड़ने के तीन साल की समाप्ति के बाद नियुक्ति के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि स्वतंत्र निदेशक उक्त तीन साल की अवधि के दौरान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य क्षमता में कंपनी में नियुक्त नहीं होगा या उससे जुड़ा नहीं होगा।

**स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए मानदंड:**

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं:

- उसके पास एक वैध और सक्रिय निदेशक पहचान संख्या होनी चाहिए।
- वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं होना चाहिए।
- वह धारा 165(1) में निर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक अन्य कंपनियों में निदेशकों का पद धारण नहीं करता है।
- सूचीबद्ध कंपनियाँ सरकार द्वारा अधिकृत निकाय द्वारा बनाए गए डेटाबैंक से स्वतंत्र निदेशकों का चयन कर सकती हैं।
- एक सूचीबद्ध इकाई में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारक की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- शेयरधारकों के प्रस्तावों में निदेशक के बायोडाटा, स्वतंत्र

निदेशक और अन्य कंपनी निदेशकों के बीच संबंधों, अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में वर्तमान और पिछले (3 साल के भीतर) निदेशक मंडल और बोर्ड समिति की सदस्यता के विवरण, सूचीबद्ध इकाई में शेयरधारिता विवरण, जिसमें कोई लाभकारी स्वामित्व और भूमिका के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएँ और प्रस्तावित उम्मीदवार उन आवश्यकताओं को कैसे पूरा करता है, के बारे में जानकारी/विवरण प्रदान करना होगा।

**स्वतंत्र निदेशकों द्वारा खुलासा:**

- अधिनियम की धारा 184 के संदर्भ में, स्वतंत्र निदेशकों को अन्य संस्थाओं में अपने हित के बारे में कंपनी को सूचित करना चाहिए। निदेशक को कंपनी को अपने रिश्तेदारों की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। इसके अलावा, इन सूचियों को फॉर्म-एमबीपी-1 में कोई भी बदलाव होने पर अपडेट किया जाना चाहिए।
- फॉर्म: डीआईआर-8 - निदेशक द्वारा पिछली कंपनियों की सूचना और अधिनियम की धारा 164 के तहत उसकी अयोग्यता के बारे में घोषणा।
- स्वतंत्रता की घोषणा- प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की पहली बैठक में जिसमें वह एक निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब भी ऐसी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है जो एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उसकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है, यह घोषणा प्रस्तुत करेगा कि वह विनियम 16 के उप-विनियम (1) के खंड (बी) में प्रदान की गई स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है और यह कि वह किसी भी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं है, जो मौजूद है या यथोचित रूप से अनुमानित हो सकती है, जो एक उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्र निर्णय के साथ और बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की उसकी क्षमता को बाधित या प्रभावित कर सकती है।
- स्वतंत्र निदेशक की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल जिसमें उसकी विशेषज्ञता और कौशल का संकेत दिया गया है। इसके अलावा, प्रोफ़ाइल को कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

**क्या एक स्वतंत्र निदेशक के लिए कोई आयु सीमा है?**

लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 17(1ए) के अनुसार, कोई भी सूचीबद्ध कंपनी किसी व्यक्ति को गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं करेगी या किसी ऐसे व्यक्ति का निदेशकीय पद जारी नहीं रखेगी जिसने पचहत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, जब तक कि इस आशय का एक विशेष प्रस्ताव पारित न किया जाए, जिस स्थिति में ऐसे एजेंडे के लिए नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का औचित्य दर्शाया जाएगा।

**स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए समय सीमा क्या है?**

लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 17(1सी) के संदर्भ में, सूचीबद्ध कंपनियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, ली जाए। हालांकि, सरकारी कंपनी के लिए इसे छूट दी गई है।

**स्वतंत्र निदेशक के नियुक्ति पत्र का नमूना प्रति:**

लिस्टिंग विनियमों का विनियमन 46(2) यह भी निर्धारित करता है कि एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट पर एक अलग अनुभाग के तहत प्रकट की जानी चाहिए। यह सीआईएल वेबसाइट पर 'पॉलिसी' टैब के तहत उपलब्ध है।

**निष्कर्ष:**

भारत की अक्सर प्रवर्तक-प्रधान कॉर्पोरेट संरचनाओं में, स्वतंत्र निदेशक प्रवर्तकों और प्रबंधन की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण अंकुश के रूप में कार्य करते हैं। वे बोर्ड के विचार-विमर्श में निष्पक्षता और एक स्वतंत्र दृष्टिकोण लाते हैं, विशेष रूप से रणनीति, प्रदर्शन और जोखिम प्रबंधन के मामलों पर। स्वतंत्र निदेशकों की एक प्रमुख भूमिका अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना है, जो अन्यथा उन निर्णयों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं जो मुख्य रूप से नियंत्रित शेयरधारकों को लाभान्वित करते हैं। आईडी कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न जोखिमों, जिनमें वित्तीय, परिचालन और प्रतिष्ठित जोखिम शामिल हैं, की पहचान करने, आकलन करने और उन्हें कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

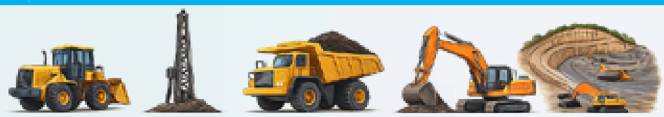

राकेश देवगड़े
अनुवादक (प्रशिक्षु)
कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता

# कोल इण्डिया आईपीओ के 15 वर्ष

सीआईएल ने 50 वर्षों में राष्ट्रीय संपत्ति और भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई हैं। कोल इण्डिया की 50 वर्षों की यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ शामिल हैं, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी का स्थान हासिल करना, मिनी रत्न से महारत्न का दर्जा प्राप्त करना और रिकॉर्ड-तोड़ आईपीओ शामिल है। जब भी देश के बड़े आईपीओ की बात होती है तो कोल इण्डिया का जिक्र होता है। कोल इण्डिया का आईपीओ भारत के पूंजी बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ था। यह 18 से 21 अक्टूबर 2010 तक खुला था और 4 नवंबर 2010 को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हुआ।

कोल इण्डिया के आईपीओ का उद्देश्य कंपनी में भारत सरकार द्वारा इक्विटी शेयरों का विनिवेश करना तथा स्टॉक एक्सचेंजों पर इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लाभों को प्राप्त करना और कंपनी के शेयरों का मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किया जाना था। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2008 में प्रदान किये गए नवरत्न दर्जा के लिए सीआईएल की शेयर बाजार में सूचीबद्धता एक शर्त थी। उपरोक्त के मद्देनजर, सीआईएल को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया था। आईपीओ और लिस्टिंग से कंपनी को परिचालन में स्वायत्तता और अधिक स्वतंत्र कामकाज करने का मौका मिला। सूचीबद्ध होने के बाद, कोल इण्डिया की 'नवरत्न' से 'महारत्न' का दर्जा प्राप्त करने की दावेदारी और मजबूत हो गई।

आम तौर पर कंपनियाँ आईपीओ का सहारा इसलिए लेती हैं ताकि वे पूंजीगत व्यय की उच्च स्तर में प्रवेश कर सकें या ऋण-इक्विटी अनुपात को सही कर सकें अथवा तरलता प्राप्त कर सके। सीआईएल को इनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए आईपीओ की आवश्यकता नहीं थी। सीआईएल के पास 39, 000 करोड़ रुपये से अधिक का नकद भंडार था। कोल इण्डिया ने अपनी ओर से कोई नई इक्विटी जारी नहीं की और पूरा इश्यू जो 15, 000 करोड़ रुपये से भी अधिक का था एकमात्र प्रमोटर, भारत सरकार द्वारा विनिवेश था। सीआईएल को इस ऑफर से कोई आय प्राप्त नहीं हुई और सारी आय भारत सरकार को प्राप्त हुई।

भारत सरकार द्वारा बजट घाटे को कम करने के हेतु 40, 000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सरकारी कंपनियों में शेयर बेचने की योजना बनाई गई थी। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को सरल और तेज करने के उपायों की घोषणा की थी ताकि वित्त वर्ष 2011 में विनिवेश आय से 40, 000 करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा किया जा सके। कोल इण्डिया के विनिवेश से भारत सरकार के लिए 15000 करोड़ से अधिक रुपए जुटाए गए, जो कुल लक्ष्य का लगभग 37% है। भारत सरकार पिछले दो प्रस्तावों से केवल 5.2% ही राशी जुटा पाई थी। सीआईएल में अपनी 10% हिस्सेदारी बेचकर भारत सरकार को 15, 199.44 करोड़ रुपये

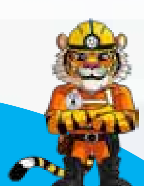

की राशि प्राप्त हुई।

कोल इण्डिया आईपीओ 18 से 21 अक्टूबर 2010 तक खुला था जो 15, 199.44 करोड़ रुपये का बुकबिल्डिंग इश्यू था। कोल इण्डिया के 10 रुपये फेसवैल्यू वाले शेयर का मूल्य बैंड 225 से 245 रुपये प्रति शेयर रखा गया, आवेदन के लिए न्यूनतम लॉट साइज 25 शेयर था। आईपीओ का निर्गम मूल्य 245 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था, इस में खुदरा निवेशकों को 5% की अतिरिक्त छूट दी गई। यह आईपीओ बहुत सफल रहा और 15000 करोड़ के प्रस्ताव के मुकाबले इस इश्यू को 15 गुना से ज़्यादा ओवरसब्सक्राइब किया गया। इस तरह इस इश्यू से 2.36 लाख करोड़ रुपए मूल्य के आवेदन प्राप्त हुये। 2.36 लाख करोड़ रुपए की यह राशि उस साल के पूरे भारतीय केंद्रीय बजट का 25% और भारतीय रक्षा बजट 1.76 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। यह राशि श्रीलंका, नेपाल और 140 अन्य देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। इस ऑफर की बदौलत कई नये विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पहली बार भारतीय बाजारों में निवेश किया है। दिलचस्प बात यह है कि विदेशी निवेशकों ने अकेले 27 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जो उस साल के पहले दस महीने में भारत में निवेश के बराबर है। खुदरा क्षेत्र में करीब 16.45 लाख आवेदन प्राप्त हुए और 11, 000 करोड़ से अधिक की राशि निवेश में आई। यह राशि भारतीय पूंजी बाजार में तब तक का सबसे अधिक निवेश थी। इस प्राथमिक इश्यू प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 2 लाख से भी अधिक नये डीमैट खाते खोले गए इस तरह डिपॉज़िटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल की भी खूब कमाई हुई। सीआईएल का आईपीओ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और तब तक के भारतीय बाजार में आने वाला सबसे बड़ा आईपीओ बना। कोल इण्डिया लिमिटेड के आईपीओ ने जैसे बाज़ार में तहलका मचा दिया।

इस इश्यू का ओवरसब्सक्रिप्शन तीनों प्रमुख सेगमेंट यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी), हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (एचएनआई) और खुदरा (रिटेल) में हुआ। जिस क्यूआईबी के लिए शेयरों के नेट इश्यू के 50 प्रतिशत तक आरक्षण था, उसका ओवरसब्स्क्रिप्शन 24.7 गुना था। करीब 770 क्यूआईबी निवेशकों ने 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 172, 000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया था, जो अपने आप में भारतीय आईपीओ के इतिहास में सबसे अधिक निवेश था।

देश की अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सीआईएल के आईपीओ को किसी भी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रेडिंग देते हुए अधिकतम 5 अंक दिए। इस ग्रेडिंग से संकेत मिलता है कि देश में सूचीबद्ध अन्य प्रतिभूतियों की तुलना में आईपीओ के मूलतत्व मजबूत थे। आईसीआरए और केयर जैसी अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी इसी तरह की 5 में से 5 रेटिंग दी। लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया था।

कोल इण्डिया का आईपीओ 4 नवंबर 2010 को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हुआ। कोल इण्डिया ने शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की और बीएसई तथा एनएसई पर जोरदार लिस्टिंग हुई। बीएसई पर लिस्टिंग मूल्य 287.75 रुपये था तथा एनएसई पर 291 रुपये था। दोनों एक्सचेंजों पर कारोबार के पहले तीन घंटों में उच्चतम मूल्य 340 रुपये तक पहुँच गया था। ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत तेज रहा और कारोबार के पहले तीन घंटों में 48.76 करोड़ शेयरों का कारोबार हुआ। यह आईपीओ आकार का 77% है जो 63.16 करोड़ शेयर था। आईपीओ के मूल्य 245 रुपये प्रति शेयर की तुलना में करीब 40 फीसदी प्रीमियम पर बंद हुआ। कोल इण्डिया लिमिटेड की मजबूत लिस्टिंग से उत्साहित होकर बीएसई का सेंसेक्स 428 अंक बढ़कर 20, 893.57 अंक के उस वक्त के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।

कोल इण्डिया के आईपीओ से छोटे निवेशकों को अच्छी लिस्टिंग गेन मिली, निवेशकों ने इस शेयर में खूब मुनाफा कमाया।

यह मानते हुए कि उन्होंने 325 रुपये की औसत कीमत पर इसे बेचा है, उन्हें 80 रुपये का लाभ हुआ है और साथ ही 12.25 रुपये का खुदरा डिस्काउंट भी मिला था, जो 100 शेयरों के लिए 23, 275 रुपये के आवेदन पर 9225.00 रुपये का शानदार लाभ होता है, जिसके परिणामस्वरूप 40% का प्रतिशत लाभ मिलता है। यह निवेशकों के लिए एक शानदार दिवाली उपहार था, चूंकि उस वर्ष दिवाली लिस्टिंग के दूसरे दिन में ही आई थी।

पहले दिन के अंत में सीआईएल का कुल बाजार पूंजीकरण 2, 16, 240.73 करोड़ रुपये रहा। यह आईपीओ निर्गम मूल्य 1, 54, 750.92 करोड़ रुपये के मूल्यांकन से 61, 489 करोड़ रुपये अधिक था। परिणामस्वरूप, सीआईएल अब रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी और एसबीआई से पीछे रहकर चौथी सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनी बन गई। यह स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की लिस्टिंग की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अब तक के 10 बड़े आईपीओ में केवल कोल इण्डिया के आईपीओ की लिस्टिंग पॉज़िटिव में हुयी थी, बाकी 9 बड़े आईपीओ अपने निर्गम कीमत से कम पर लिस्ट हुये हैं।

245 रुपये के निर्गम मूल्य पर कोल इण्डिया का बाजार पूंजीकरण 1, 54, 750.92 करोड़ रुपये था और यह सातवें स्थान पर था। लिस्टिंग के बाद कोल इण्डिया का शेयर चौथे स्थान पर पहुँच गया और इसका बाजार पूंजीकरण 2.16 लाख करोड़ रुपये हो गया। सातवें से चौथे स्थान पर पहुँच कर सीआईएल ने एनटीपीसी, इंफोसिस और टीसीएस को पीछे छोड़ दिया। तीसरा स्थान हासिल करने के लिए कोल इण्डिया को केवल 2, 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता रह गई। इसका मतलब यह था एसबीआई से आगे निकलने के लिए कोल इण्डिया के शेयर में केवल 3.50 रुपये की वृद्धि होनी बाकी रह गई थी।

कोल इण्डिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध होने के बाद से निफ्टी 50 सूचकांक का हिस्सा रहा है। कोल इण्डिया लिस्टिंग होने के उपरान्त नौ महीने की अल्पावधि में बीएसई 30 शेयर सेंसेक्स में 08 अगस्त 2011 को शामिल हुआ जो दुनिया भर में भारतीय अर्थव्यवस्था का पैमाना समझा जाता है। कोई अन्य कंपनी इतने कम समय में सूचकांक में शामिल नहीं हो पायी है। कोल इण्डिया बीएसई संसेक्स में शामिल होने के बाद सिर्फ सात कारोबारी सत्रों में ही शीर्ष पर पहुँच गया, यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जाती है। 17 अगस्त 2011 को बाजार पूंजीकरण के मामले में कोल इण्डिया देश में सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में उभरी जो हर व्यापार इकाई के लिए सफलता का शिखर पाना एक सपना होता है। उस दिन कंपनी का मूल्य 2, 51, 296 करोड़ रुपये हो गया।

कोल इण्डिया यह एक उच्च लाभांश वाला स्टॉक माना जाता है और इसने अपने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के लिए नियमित रूप से लाभांश का भुगतान किया है। कोल इण्डिया लिमिटेड ने 2011 से अब तक 29 लाभांश घोषित किए हैं। पिछले 15 सालों में कोल इण्डिया का सबसे कम शेयर मूल्य 109.50 रुपये दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को रेकॉर्ड किया गया जो अब तक के सबसे निचले स्तर पर दर्ज किया गया हैं, जब की 26 अगस्त 2024 को इसका ऑल टाइम हाई 543.55 रुपये था। जिन खुदरा निवेशकों ने आईपीओ में 100 शेयर खरीदे हैं जिसकी खरीदी कीमत 23, 275 रुपये होती हैं और अब तक रखा हैं, उनको विगत 15 वर्षों में 270.60 रुपये प्रति शेयर लाभांश मिला हैं जिसकी कीमत 27, 060 रुपये होती है। और आज की औसतन बाजार कीमत 400 रुपये मान के चलते हैं, तो कुल शेयरो का मूल्य 40, 000 रुपये होता है। इस तरह औसतन वार्षिक 9.20% का रिटर्न प्राप्त होता हैं।

शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, शेयर बाजार में कीमतें लगातार बदलती रहती हैं और यह उतार-चढ़ाव किसी भी समय हो सकता है। निवेशित धन खोने या कम रिटर्न प्राप्त करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। पेशेवर मूल्यांकन के आधार पर, शेयर बाजार विशेषज्ञ का मानना हैं आने वाले वर्षो में कोल इण्डिया के शेयरों के अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। कोल इण्डिया लिमिटेड कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी है, जिसकी मजबूत वित्तीय स्थिति और उज्ज्वल भविष्य के अवसर हैं। कोल इण्डिया में निवेश करना दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

# After listing, CIL to enter top 10

TIMES NEWS NETWORK

**Mumbai:** When Coal India lists on the BSE and NSE on November 4, just ahead of Diwali, it is expected to climb up to take a vantage position among the top 10 valued companies in India. Diwali is also the new year for Gujaratis, who form a dominant part of the trader community on Dalal Street.

Since the Coal India stock was attractively priced at a band of Rs 225-245, dealers expect the stock to get at least a 25-30% premium on the listing day.

**Desi Cos By M-cap**

| Co | Mkt cap (Rs cr) |
|---|---|
| RIL | 3,53,148 |
| ONGC | 2,90,352 |
| SBI | 2,02,933 |
| TCS | 1,92,559 |
| Infosys | 1,74,115 |
| NTPC | 1,69,568 |
| ITC | 1,33,725 |
| MMTC | 1,30,525 |
| ICICI Bank | 1,29,646 |
| Bharti Airtel | 1,28,147 |

**CIL's Projected M-cap**

| Share Price | Mkt cap (Rs cr) |
|---|---|
| 245 | 1,54,751 |
| 250 | 1,57,909 |
| 275 | 1,73,700 |
| 300 | 1,89,491 |

This is also backed by the fact that Rs 15,500-crore IPO was subscribed over 15 times. In the unofficial markets of Rajkot and Surat, the shares are already commanding a premium of Rs 32-35.

If we assume a listing price of Rs 300, CIL's m-cap will be about Rs 1.89 lakh crore. This will put this PSU giant almost neck-and-neck with TCS, whose current m-cap is Rs 1.92 lakh crore. Only RIL (Rs 3.5 lakh crore), ONGC (Rs 2.9 lakh crore) and SBI (Rs 2.02 lakh crore) are ahead of TCS.

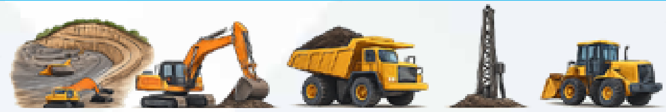

# कोयला : एक पत्थर

**राज हंस गुप्ता**
सहायक प्रबंधक
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, राँची

एक पत्थर है...

जैसे हिंदी वर्णमाला का पहला व्यंजन "क" है, शायद इसी महत्व को समझते हुए, ऊर्जा के उस प्रमुख स्रोत का नाम भी "क" से शुरू होता है — कोयला।

ना जाने कितने युगों से धरती के गर्भ में दबा हुआ, भारी दबाव, असहनीय गर्मी और समय के अनगिनत थपेड़ों के बीच धधकता, जलता .....। धरती की अतल गहराइयों में, जहाँ न समय का कोई नाम है, न ध्वनि, न ही कोई परछाई। वहाँ कोयला शांत, मौन, एकांत में चट्टानों के बीच पलता रहता है। पर वह कोई साधारण पत्थर नहीं। वह काल का साक्षी है — लाखों वर्ष पुरानी हरियाली, मिट्टी और जंगलों ने मिलकर उसे गढ़ा था। कभी वह एक वृक्ष था, जिसकी शाखों पर चिड़ियों ने घोंसले बनाए थे और जिसकी छाँव तले थके हुए जीव विश्राम किया करते थे। परंतु समय के चक्र ने उसे नया रूप दे दिया। क्यूंकि, बदलाव ही तो प्रकृति का शाश्वत नियम है।

फिर एक दिन, इंसान और मशीनों की गर्जना से धरती काँप उठी।

कोयले को बाहर लाया गया। उसने अरसों बाद पुनः आकाश को देखा — खुला, असीम, और स्थिर।

वह रेल पर नदियों, पहाड़ों को पार करता हुआ एक थर्मल पावर स्टेशन तक पहुँचा। वहाँ उसे चूर्ण बनाकर अग्नि को समर्पित कर दिया गया। अग्नि ने उसकी पहचान छीन ली, पर बदले में उसे ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया — वह शक्ति जो किसी के घर का दीपक जलाती है, किसी की रसोई में प्राण भरती है। शायद यही उसकी नियति थी — टूटना, बिखरना, जलना और किसी और के जीवन में अर्थ भरना।

थर्मल पावर स्टेशन से जो राख निकली, वह भी बेकार नहीं गयी। उसे किसान ने मिट्टी में मिलाकर खेतों में डाल दिया। उसके होने से चूल्हा जलता था घर का... और जल जाने के बाद भी, उसके राख से जीवन पनपता है। दहकना, जलना और जलकर फिर राख हो जाना... शायद यह इंसान की नियति से अलग नहीं।

**कोयला एक प्रतीक है —** त्याग का, धैर्य का, और उस अनाम शक्ति का जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। वह सिखाता है कि बुरे वक़्त के अंधकार में स्वयं को जला कर दूसरों को जीवन देना ही सच्चा प्रकाश है। उसकी ये बेशर्त, बेपरवाह और सम्पूर्ण समर्पण, हमें जीवन के कठिन समय में प्रेरणा देता है।

**अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था — E = mc2**

**"पदार्थ और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।"**

और इस कथन का सबसे सुंदर, जीवंत उदाहरण यदि कोई है, तो वह है — कोयला।

**कोयला केवल एक पत्थर नहीं —**

बल्कि समय की आग में तपा हुआ, प्रकाश में बदला हुआ जीवन का रहस्य है।

कोयले की यह यात्रा केवल ईंधन की नहीं, अस्तित्व की खोज है।

# कृषि में AI और IoT : भविष्य की खेती का नया चेहरा

**प्रीति कुमारी**
सहायक ट्रेनी
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद


पारंपरिक तरीकों से हटकर, किसान अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी आधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं, जिससे खेती अधिक कुशल, टिकाऊ और लाभदायक बन रही है। ये तकनीकें न केवल उत्पादन बढ़ाने में मदद कर रही हैं, बल्कि संसाधनों के बेहतर उपयोग और किसानों की आय में वृद्धि में भी सहायक सिद्ध हो रही हैं।

### आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का कृषि में महत्व

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कृषि में डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स का उपयोग करके खेती को वैज्ञानिक और कुशल बना रहा है। AI किसानों को कई तरीकों से लाभ पहुंचा रहा है:

- **सटीक कृषि (Precision Farming):** AI-संचालित सेंसर और ड्रोन मिट्टी की गुणवत्ता, नमी, तापमान और उर्वरक की आवश्यकता को मापते हैं। इससे किसानों को यह तय करने में आसानी होती है कि कब और कितना पानी देना है या कौन सा उर्वरक इस्तेमाल करना है। यह संसाधनों की बर्बादी को रोकता है और फसल की गुणवत्ता को बढ़ाता है।
- **फसल निगरानी और रोग पहचान:** AI-संचालित ड्रोन और कैमरे पौधों में रोग, कीटों और पोषक तत्वों की कमी का जल्दी पता लगा लेते हैं। AI-आधारित मोबाइल ऐप फोटो से पौधों की बीमारी पहचान लेते हैं, जिससे किसान समय रहते उपाय कर सकते हैं और फसल के नुकसान को कम किया जा सकता है।

- **स्वचालित मशीनें और रोबोटिक्स:** कृषि क्षेत्र में स्वचालित ट्रैक्टर, रोबोटिक हार्वेस्टर और AI-संचालित सिंचाई प्रणालियाँ किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही हैं। ये मशीनें मानव और सामान्य मशीनरी की तुलना में तेजी और अधिक कुशलता से काम करती हैं, जिससे श्रम और लागत दोनों की बचत होती है।
- **जलवायु पूर्वानुमान और डेटा विश्लेषण:** AI तकनीक मौसम संबंधी डेटा का विश्लेषण कर सटीक जलवायु पूर्वानुमान प्रदान करती है। इससे किसानों को बुवाई और कटाई के सही समय का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। AI मॉडल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को मापकर किसानों को संभावित जोखिमों से अवगत कराते हैं, जिससे वे अपनी खेती की रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं।
- **बाजार मार्गदर्शन:** AI बाजार के रुझानों और भावों का विश्लेषण करता है ताकि किसान सही समय पर अपनी फसल बेच सकें, जिससे उन्हें सही मूल्य मिल सके और बिचौलियों की भूमिका कम हो।
- **संसाधनों का अनुकूलन:** AI मिट्टी के प्रकार, घनत्व और आवश्यक गहराई का विश्लेषण करके खेत तैयार करने की लागत में कटौती करने में मदद करता है। यह लक्षित उर्वरक उपयोग और कीट प्रबंधन में कम रसायन उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण भी होता है।

### इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का कृषि में महत्व

IoT एक ऐसी तकनीक है जो विभिन्न कृषि उपकरणों और उपकरणों को आपस में जोड़कर डेटा का आदान-प्रदान करती है। यह किसानों को वास्तविक समय में खेत की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जिससे वे बेहतर और त्वरित निर्णय ले पाते हैं। IoT के कुछ प्रमुख अनुप्रयोग हैं:

- **स्मार्ट सिंचाई प्रणाली:** IoT सेंसर मिट्टी की नमी, मौसम की स्थिति और पौधों की जरूरतों के आधार पर पानी का सटीक उपयोग सुनिश्चित करते हैं। यह पानी की बर्बादी को कम करता

है और पौधों को पर्याप्त पानी प्रदान करता है।

- **मृदा स्वास्थ्य निगरानी:** IoT-आधारित उपकरण मिट्टी की गुणवत्ता को मापते हैं और खाद व पोषण संबंधी सुझाव देते हैं। यह किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है।
- **फसल और पशुधन की निगरानी:** IoT सेंसर और कैमरे खेतों और पशुधन पर 24 घंटे निगरानी रखते हैं। यह बीमारियों, कीटों या किसी भी असामान्य गतिविधि का तुरंत पता लगाने में मदद करता है, जिससे समय पर हस्तक्षेप किया जा सकता है।
- **भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन:** IoT डिवाइस फसल कटाई के समय और भंडारण की स्थिति को स्वचालित रूप से ट्रैक करते हैं। यह उपज के खराब होने के जोखिम को कम करता है और आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता लाता है।
- **स्वचालित कृषि उपकरण:** IoT से जुड़े स्वचालित मशीनें जैसे ड्रोन और रोबोट खेत में छिड़काव, बुवाई और कटाई जैसे कार्यों को अधिक कुशलता से करते हैं।

### किसानों के लिए लाभ और चुनौतियां

AI और IoT के उपयोग से किसानों को कई लाभ मिल रहे हैं:

- **उत्पादकता में वृद्धि:** सटीक कृषि पद्धतियों और बेहतर निगरानी से फसलों की उत्पादकता में 20-30% तक की वृद्धि देखी जा रही है।
- **लागत में कमी:** पानी, उर्वरक और कीटनाशकों का केवल आवश्यकतानुसार उपयोग करके लागत में काफी कमी आती है। श्रम और समय की भी बचत होती है।
- **गुणवत्ता में सुधार:** बेहतर फसल प्रबंधन और समय पर हस्तक्षेप से फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- **पर्यावरणीय लाभ:** कम रसायनों के उपयोग से मिट्टी और जलस्रोतों को प्रदूषण से बचाया जा सकता है, जिससे स्थायी कृषि को बढ़ावा मिलता है।
- **आय में वृद्धि:** बेहतर उत्पादन, कम लागत और बाजार की सटीक जानकारी से किसानों की आय में वृद्धि होती है।

**हालांकि, इन तकनीकों को अपनाने में कुछ चुनौतियाँ भी हैं:**

- **लागत:** AI और IoT उपकरणों की प्रारंभिक लागत छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी बाधा हो सकती है।
- **तकनीकी ज्ञान:** इन तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए किसानों को पर्याप्त तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:** कृषि डेटा की बढ़ती मात्रा के साथ, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
- **बुनियादी ढांचा:** दूरदराज के कृषि क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की उपलब्धता जैसी बुनियादी ढांचागत चुनौतियाँ भी हैं।

### भारत में सरकारी पहल और भविष्य

भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में AI और IoT के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए "डिजिटल कृषि मिशन (DAM) 2021-2025" जैसी कई पहलें शुरू की हैं। इसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और कृषि मूल्य श्रृंखला में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करना है। विभिन्न एग्रीटेक स्टार्टअप्स भी AI और IoT का उपयोग करके किसानों की मदद कर रहे हैं।

### निष्कर्ष

AI और IoT तकनीकें भारतीय कृषि के लिए एक नई क्रांति लेकर आई हैं। ये तकनीकें किसानों को अधिक स्मार्ट, कुशल और टिकाऊ तरीके से खेती करने में सक्षम बना रही हैं।

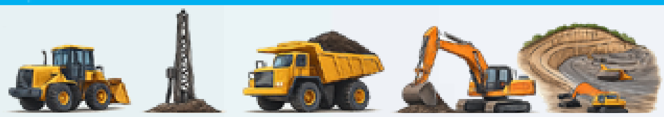

# उभरती तकनीकें : भारत के लिए वरदान हैं या अभिशाप? — एक सीधी बात

**आलोक कुमार**
प्रबंधक (प्रणाली)
कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता

आज की दुनिया में, जिधर देखो उधर टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी है। एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, नैनोटेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) — ये सब चीजें मिलकर दुनिया को ऐसे बदल रही हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था. भारत, जो अपनी पुरानी संस्कृति के लिए जाना जाता है, वो भी इस सब से अछूता नहीं है. एक तरफ 'डिजिटल इण्डिया', 'स्टार्टअप इण्डिया', और 'स्मार्ट सिटीज़' जैसी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इन तकनीकों का हमारी परंपराओं, रीति-रिवाजों और संस्कृति पर क्या असर पड़ेगा.

इस लेख में, हम यही देखेंगे कि ये नई-नई तकनीकें भारतीय समाज और संस्कृति के लिए अच्छी हैं या बुरी.

**टेक्नोलॉजी की तरक्की: हमारे लिए वरदान**

**डिजिटलाइजेशन से मिली ताकत**

भारत सरकार की "डिजिटल इण्डिया" योजना ने गांव और शहर के बीच की दूरी कम कर दी है. 'आधार', मोबाइल और 'जनधन' (JAM Trinity) से करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा मिल रहा है, जिससे सब कुछ साफ-सुथरा हो गया है.

**उदाहरण:** कोरोना महामारी के दौरान 'आरोग्य सेतु ऐप' और 'CoWIN पोर्टल' ने टीका लगवाने और स्वास्थ्य की निगरानी में गजब का काम किया.

**पढ़ाई में नयापन**

PW, Unacademy, और SWAYAM उदाहरण ऑनलाइन पढ़ाई वाले प्लेटफॉर्म ने शिक्षा को हर जगह पहुंचा दिया है. वर्चुअल रियलिटी (VR) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बच्चे और बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं.

**उदाहरण:** कोरोना लॉकडाउन में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की पढ़ाई रुकने नहीं दी.

**हेल्थ में सुधार**

टेलीमेडिसिन, AI-आधारित जांच, और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जैसी चीजें दूर-दराज के इलाकों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही हैं. 'eSanjeevani' प्लेटफॉर्म से अब लोग बड़े डॉक्टरों से भी सलाह ले पा रहे हैं.

**औरतों को मिली आजादी**

सोशल मीडिया, ऑनलाइन नौकरियां, और डिजिटल पेमेंट ने औरतों को आर्थिक और सामाजिक रूप से ज्यादा आजाद बना दिया है. इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों तक पहुंच महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और आर्थिक आज़ादी के नए अवसर देती है. अब वे घर बैठे पढ़ सकती हैं, सीख सकती हैं और कमाई कर सकती हैं.

**घर से काम और काम-जीवन संतुलन:** तकनीक ने दूर से काम करना आसान बना दिया है, जिससे भौगोलिक दूरियां मिट गई हैं. यह महिलाओं को काम और परिवार के बीच बेहतर संतुलन बिठाने में मदद करता है. अब वे ऑफिस जाए बिना भी काम कर सकती हैं, जिससे वे अपने परिवार को भी समय दे पाती हैं.

**स्वास्थ्य सेवा में सुधार:** डिजिटल उपकरण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाते हैं, खासकर माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए. ये ज़रूरी स्वास्थ्य जानकारी भी देते हैं, जिससे महिलाएं अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ध्यान रख पाती हैं.

**आर्थिक आज़ादी:** ब्लॉकचेन तकनीक महिलाओं को, खासकर

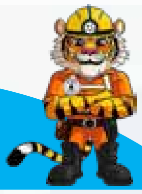

छोटी-मोटी उद्यमी महिलाओं को, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद कर सकती है। यह उन्हें वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक है।

STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) के क्षेत्र में महिलाओं का बढ़ता कदम: महिलाओं को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे तकनीक के क्षेत्र में और अधिक विविधता और नए विचार आ रहे हैं, जो समाज के लिए बेहद फायदेमंद हैं।

**उदाहरण:** अब स्वयं सहायता समूह की औरतें WhatsApp, Telegram और UPI से अपना बिजनेस चला रही हैं।

**खेती-बाड़ी और गांवों का विकास**

ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग, और सेंसर वाली तकनीकों से खेती में फसल का ध्यान रखना, सिंचाई करना और तूफान-बाढ़ जैसी आपदाओं का पहले से पता लगाना आसान हो गया है।

खेती-किसानी में अब नए-नए तरीके आ गए हैं, उदाहरण मल्टीस्पेक्ट्रल, हाइपरस्पेक्ट्रल और थर्मल इमेजिंग। आसान भाषा में कहें तो, ये ऐसी आँखें हैं जो हमें वो सब दिखाती हैं जो आम आँखें नहीं देख पातीं।

ये तकनीकें किसानों के लिए किसी जादुई औजार से कम नहीं हैं। इनसे पता चलता है कि फसल कितनी तंदुरुस्त है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग रही या उसकी सेहत खराब तो नहीं हो रही, मिट्टी में पानी कितना है, कहीं कम तो नहीं पड़ रहा या ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कीड़े-मकोड़े हमला कर रहे हैं या नहीं, पहले ही पता चल जाता है कि कौन से कीड़े फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी फसल को कौन से खाद-पानी की ज़रूरत है, ये भी पता चल जाता है।

अब सैटेलाइट से ली गई ज़ूम की हुई तस्वीरें, ड्रोन से खींची गई हाई-टेक इमेज और खेत में लगे छोटे-छोटे सेंसरों की मदद से किसान सब कुछ पहले से प्लान कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि फसल का नुकसान कम होता है और पैदावार बढ़ जाती है। मतलब, पहले से सब पता चल जाने से किसान सही टाइम पर सही कदम उठा पाते हैं, जिससे उनका काम आसान हो जाता है और मुनाफा भी ज़्यादा होता है।

"किसान रेल" और "ई-नाम (e-NAM)" पोर्टल ने किसानों को सीधे बाजार से जोड़ दिया है, जिससे बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम हो गई है।

**संस्कृति पर मिला-जुला असर**

**भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में फैली**

YouTube, Instagram, और OTT प्लेटफॉर्म्स ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, योग, आयुर्वेद और हमारी कलाओं को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है।

**उदाहरण:** 'योग दिवस' को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी, जो दिखाता है कि टेक्नोलॉजी से हमारी संस्कृति कितनी दूर तक फैल गई है।

**लोक-संस्कृति की हुई रक्षा**

AI और डेटा आर्काइविंग तकनीकों से हमारी पुरानी भाषाएं, संगीत, कला और परंपराएं जो लुप्त होती जा रही थीं, उन्हें डिजिटल रूप में बचाया जा सका है।

**उदाहरण:** "भाषा भाषिणी" एक भारतीय AI-आधारित भाषा अनुवाद मंच है जो राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NLTM) का हिस्सा है। यह मिशन, केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों और स्टार्टअप्स को सहयोग करने, भारतीय भाषाओं में नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने और स्थापित करने के लिए है।

**टेक्नोलॉजी: कभी-कभी बन जाती है मुसीबत**

**संस्कृति खराब हो रही है और लोग अकेले पड़ रहे हैं**

सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स पर पश्चिमी लाइफस्टाइल को इतना दिखाया जाता है कि हमारे युवा अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। शहरीकरण और परिवार की संरचना में बदलाव के कारण सामाजिक संबंध कमजोर हो रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, आधुनिक जीवन शैली और तकनीक का बढ़ता उपयोग संस्कृति के पारंपरिक मूल्यों को कमजोर कर रहा है।

**उदाहरण:** शादी-ब्याह, त्योहार और पारिवारिक रीति-रिवाज अब बस "इवेंट" बन गए हैं, जहां लोग 'रील्स' और 'फोटोशूट' के

लिए ज्यादा फिक्र करते हैं।

**रिश्तों में आ रही है बनावटीपन**

AI चैटबॉट और वर्चुअल बातचीत ने इंसानों के रिश्तों की गर्माहट छीन ली है। परिवार में बातचीत की जगह अब मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन ने ले ली है।

अल्बर्ट आइंस्टीन ने सही कहा था: "मुझे उस दिन का डर है जब टेक्नोलॉजी इंसानों के बीच के रिश्ते को पीछे छोड़ देगी. तब दुनिया में बेवकूफों की एक पीढ़ी पैदा होगी।"

**डेटा चोरी और साइबर क्राइम का खतरा**

टेक्नोलॉजी का एक बुरा पहलू ये भी है कि डेटा चोरी, ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन शोषण और मानसिक बीमारियां बढ़ गई हैं।

**उदाहरण:** भारत में 2023 में साइबर अपराध के मामले 20% बढ़ गए। बच्चों में स्क्रीन की लत और युवाओं में 'डिजिटल डिप्रेशन' बढ़ता जा रहा है।

**नौकरियों में असमानता**

ऑटोमेशन और रोबोटिक्स से पुरानी नौकरियां खत्म हो रही हैं। जिन लोगों के पास ज्यादा तकनीकी कौशल नहीं है, उनके लिए ये चिंता की बात है। एआई के कारण 300 मिलियन नौकरियाँ खत्म हो सकती हैं। 30% कर्मचारियों को डर है कि 2025 तक उनकी नौकरी AI या इसी तरह की तकनीक से बदल दी जाएगी। 14% कर्मचारी AI के कारण अपनी नौकरी से विस्थापित हो गए हैं।

**उदाहरण:** ईंट-भट्टों से लेकर हाथों से मजदूरी करने तक, कई जगह AI और मशीनों ने इंसानों की जगह ले ली है।

**समाज का बंटवारा और डिजिटल खाई**

**डिजिटल डिवाइड**

शहर और गांव, अमीर और गरीब, पढ़े-लिखे और अनपढ़ के बीच डिजिटल पहुंच में बहुत बड़ा अंतर है। अगर लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो इससे समाज में भेदभाव बढ़ सकता है। शहरी-ग्रामीण विभाजन अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है, शहरी क्षेत्रों में 83% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आधे से भी कम लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं।

**उदाहरण:** NSSO सर्वे के मुताबिक, भारत के गांवों में सिर्फ 24% लोगों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है।

**सरकार और कंपनियों का दखल**

AI और बिग डेटा से सरकारें और बड़ी कंपनियां लोगों की हर गतिविधि पर नजर रख सकती हैं, जिससे हमारी निजता और आजादी खतरे में पड़ सकती है। जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) के ऐतिहासिक मामले में स्थापित किया गया था।

**टेक्नोलॉजी और भारतीय दर्शन: तालमेल जरूरी**

भारत की संस्कृति "यथाभव यथोचित" यानी संतुलन पर आधारित है। टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक औजार मानना चाहिए और उसका समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, तभी समाज को लंबे समय तक फायदा होगा।

**स्वामी विवेकानंद ने कहा था:** "शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता का प्रकटीकरण है।"

टेक्नोलॉजी तभी फायदेमंद है जब वह इंसान की अंदरूनी चेतना और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाए।

**निष्कर्ष:**

टेक्नोलॉजी न तो अपने आप में अच्छी है और न ही बुरी। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। भारतीय समाज की असली ताकत उसके सांस्कृतिक मूल्यों, एक साथ रहने की भावना और आध्यात्मिक सोच में है। अगर इन नई तकनीकों का इस्तेमाल इन मूल्यों को मजबूत करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और लगातार विकास करने के लिए किया जाए, तो ये सच में हमारे लिए वरदान साबित होंगी।

लेकिन अगर टेक्नोलॉजी सिर्फ बाजारवाद, खुदगर्जी और उपभोग करने की आदत को बढ़ाती है, तो ये हमारी संस्कृति की जड़ों को कमजोर कर सकती है।

# इंसानियत (संस्मरण)

डॉ. कविता विकास
पत्नी: विकास कुमार
पूर्व महाप्रबंधक, बी सी सी एल, धनबाद

दुनिया में हौसला और जज़्बे की मिशाल यूँ तो बहुत हैं पर एक ऐसी मिशाल जिसको मैंने न केवल देखी बल्कि महसूस की, वह एक प्रेरक कहानी बन कर अनेक के दिलों में बस गयी है।

कोयला खदान के आस - पास का क़स्बा, जिसमें मेहनत - मज़ूरी करने वाले लोग रहते हैं, राष्ट्रीय एकता के लिए जाने जाते हैं।उनमे से कोई भी बड़े - छोटे का भेदभाव नहीं रखता है। धर्म और जाति की भी दीवार नहीं। बस एक ही धर्म उनमे पलता है, मानवता का। यह बात हमने केवल सुनी नहीं है, देखी है। हम ऑफ़िसर कालोनी में रहने वाले बाशिंदे, ज़रूरत के समय ही मानव धर्म को याद करते हैं इसलिए मेहतर भी अगर बर्तन साफ़ कर देते हैं तो उस समय कोई परहेज़ नहीं करते, वरना भेदभाव तो पढ़े - लिखे में ज़्यादा विद्यमान है। हम सरकारी सुविधाओं से लैस सरकारी क्वॉर्टर में रहते थे। मैं और मेरे पति दोनों कामकाजी थे, इसलिए घर में माली, कुक और सफ़ाईकर्मी अपनी मर्ज़ी से आते, काम कर के चले जाते। चाबी माली के पास रहती थी जो दो बजे मेरे लौटने तक रहता था। एक दिन मैं काम से लौटी तो माली नहीं था, सफ़ाईकर्मी बरामदे में बैठ कर बड़ी तल्लीनता से मेरी एक किताब पढ़ रहा था। वह बहुत ही सुंदर, २० - २२ साल का लड़का था। उसने बताया आज माली भैया को अस्पताल जाना था इसलिए वह रुक गया है। उसके हाथों में मेरा कविता संग्रह देख कर मैंने पूछा, "तुम्हें पढ़ना आता है?यह किताब समझ में आ रही है?" उसने उत्तर दिया, "हाँ मेम साहब, मैं बारहवीं पास हूँ। आगे कोई साधन नहीं मिला पढ़ाई का तो जब कम्पनी वालों की टेंडर स्वीकृत हुई तो उन्होंने मुझे झाड़ू लगाने और टॉयलेट साफ़ करने के लिए रख लिया।" इस किताब को तो मैं रोज़ दिन थोड़ा - थोड़ा पढ़ता हूँ और एक दिन तो बाजू वाले घोष बाबू भी अख़बार में छपा आपका लेख बड़े उत्साह से सबको पढ़ कर सुना रहे थे। उसकी शालीनता और बात - चीत मुझे प्रभावित कर रही थी। पिछले एक - डेढ़ महीने से वह काम कर रहा था और उसे जब देखती थी तो लगता था यह सुदर्शन कैसे आ गया इस काम पर! मुझे लगा इसे गाइड किया जाय तो एक बच्चे का भविष्य सँवर सकता है। दूसरे दिन रविवार था, घर में रहने का फ़ायदा उठाया मैंने। उसके आते ही मैंने उसे सरकार द्वारा ज़रूरतमंदों और पिछड़ी जाति को दी जाने वाली वित्तीय मदद के साथ अन्य सुविधाओं की जानकारी दी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के दाख़िले की प्रक्रिया बतलायी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलने वाली छूट के बारे में भी। मैंने उसे अपनी ओर से भी भरपूर मदद के लिए आश्वस्त किया था। इसके बाद बीच में एक - दो बार मैंने टोहा भी कि मेरी सलाह पर वह अमल कर रहा है कि नहीं। ढाई महीने के बाद उसका कार्य - क्षेत्र दूसरे सेक्टर में हो गया। लेकिन यह तो था ही कि किसी उस उम्र के बच्चे को काम करते मैं देखती तो उसकी याद हो आती थी। वह लगनशील था और महत्त्वाकांक्षी भी। उसने पढ़ाई आरम्भ कर दी थी जिसके लिए एक - दो बार कुछ रुपए भी मुझसे उधार लेने के लिए आया था।तीन साल के बाद हमारा भी तबादला हो गया और फिर उसकी भी याद धूमिल होती गयी लेकिन कुछ तो कशिश थी उसमें जो मैं उसको भूल नहीं पायी थी।

ओड़िसा के विभिन्न खदान क्षेत्रों से होते हुए पंद्रह साल

बाद पुनः हमारी पोस्टिंग धनबाद हुई। मात्र दो साल के लिए। छोटी सी इस जगह में साहित्यिक गतिविधियाँ हों, नाटक या फिर कोई खेल समारोह, क़रीबन एक ही चेहरे सब जगह नज़र आते थे। सामाजिक क्षेत्रों में अनेक ग़ैर सरकारी संस्थाएँ आदिवासी व पिछड़ी जातियों के लिए अपनी सेवाएँ दे रहीं थीं। इनके साथ मिलकर मैं भी उन क्षेत्रों में अपनी ऐच्छिक सेवाएँ देने लगी थी। इसमें कोई दबाव नहीं था। ये संस्थाएँ अपनी मर्ज़ी से कभी किसी जरूरतमंद को कम्प्यूटर तो कभी किताबें, बेंच - डेस्क, यूनिफ़ॉर्म आदि देतीं थीं। छोटी जगह में तुरंत ही आप ऐसे लोगों की निगाहों में आ जाते हैं जिनसे संस्था को कोई काम लाभ पहुँच सकता है और लोक कल्याण भी हो जाता है। ऐसे लोगों को साल के अंत में राज्य प्रोत्साहन विंग द्वारा पुरस्कृत किया जाता था।

एक बार ऐसे ही एक कार्यक्रम में मुझे सम्मानित किया जाना था। समय से मैं वहाँ पहुँच गयी। संचालक महोदय ने हम पाँच सदस्यों जिन्हें जिलाधिकारी सम्मानित करेंगे, सबकी पूरी जानकारी देते हुए मंच पर बुलाया। जिलाधिकारी साहब के साथ अन्य महत्त्वपूर्ण पदों के अधिकारी भी थे। सम्मान के बाद मुख्य अतिथि का वक्तव्य समाप्त होते ही, पुलिस विभाग के एक बड़े ऑफ़िसर को मंच पर बुलाया गया। लेकिन यह क्या, मंच पर चढ़ते ही वह मेरे पैरों पर गिर पड़े, " मेम साहब, मैं धनंजय, आपके घर का सफ़ाईकर्मी, आज मैं इस पोस्ट पर हूँ तो सिर्फ़ आपके कारण। इसके आगे वह कुछ न बोल पाए, आँखों से आँसुओं की धारा निकल पड़ी। मेरे भी आँखें भीग गयीं। एक पल के लिए मुझे लगा कि जैसे यह कोई चलचित्र हो। वास्तविक दुनिया से अलग, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने तो 'आप ..तू .तुम्म', इतना ही कहा। आँखें हैरत से झपक ही नहीं रहीं थीं। लेकिन वहाँ ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं था। धनंजय भावुकता में कुछ नहीं बोल पाए, माफ़ी माँगते हुए बैठ गए। सभागार में लोग कुछ समझ पाते, उसके पहले ही संचालक ने मंच संभाल ली थी।

कार्यक्रम के बाद धनंजय मेरे घर आया और काफ़ी देर तक वह बतलाता रहा कि किस तरह मेरे बताए रास्तों पर चल कर, सरकारी मदद लेते हुए उसने पढ़ाई आरम्भ की और राज्य स्तर की पुलिस सेवा में चयन के पश्चात इस पद तक पहुँच पाया। इस पूरी सेवा में न जाने वह कितने मंचों से वह अपनी नरक - सी ज़िंदगी से बाहर लाने में मेरे दिशा निर्देश का वर्णन कर चुका है। इस शहर में उसकी पोस्टिंग भी इत्तिफ़ाक़ से हुई। वह दुमका में पदस्थापित था। तभी पता चला कि माली भैया यानी अनवर मियाँ की तबियत बहुत ख़राब है। उम्र भी हो चली थी लेकिन हड्डी के कैंसर से पीड़ित माली भैया कुछ दिनों के मेहमान थे। वे अपने बेटे की ज़िम्मेदारी धनंजय को सौंपना चाहते थे। वे जानते थे धनंजय ने जिस तरह से एक मुक़ाम हासिल किया है, वह उसके मेहनत का नतीजा था। उसने ग़रीबी का दंश झेलते हुए ऑफ़िसर का पद पाया है, वह उनके बेटे का भी उचित मार्गदर्शन करेगा। अनवर मियाँ का परिवार रहता तो अपनी बिरादरी में ही था लेकिन उनके बेटे के अभिभावक अभी भी धनंजय ही हैं। वह उनके परिवार के आस- पास रहने के लिए आग्रह करके धनबाद आ गया था। धनंजय ने मेरी बात की लाज रखी थी। उसको मैंने ढेर सारी शुभकामनाएँ दी। आज एक लम्बा वक़्त गुज़र चुका है। मैं दिल्ली आ गयी।धनंजय के पास तो पूरा जीवन था।उसे अभी बहुत कुछ करना था। बहुत पहले पता चला था उसकी पोस्टिंग दूसरी जगह हो गयी है। जहाँ भी हो ख़ुश रहे, तरक़्क़ी करे, उसके अंदर की आदमीयत जीवित रहे यही कामना है। और, शायद यह दुनिया भी उसके जैसे नेक दिल इंसानों के कारण टिकी हुई है।

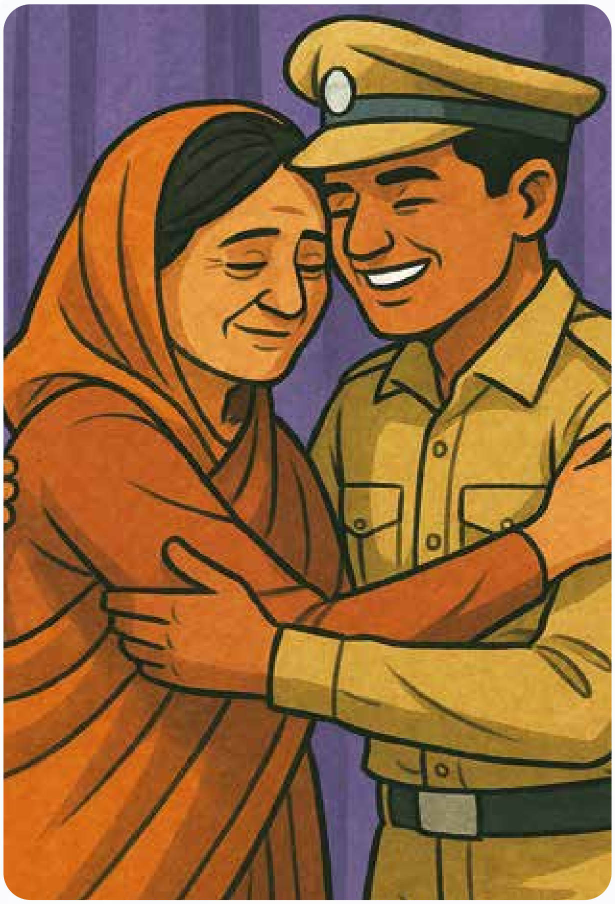

# सफ़रनामा : रोमांच, इतिहास और नई मंज़िलों की ओर

**रोहित छेत्री**
लिपिक (ग्रेड-II)
कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता

### अध्याय 1: यात्रा की शुरुआत

राइडिंग हमेशा से मेरे लिए एक जुनून रहा है, और हाल ही में अवतार राइडिंग क्लब के साथ बंगाल के कुछ छुपे हुए रत्नों की खोज करने की मेरी यात्रा बेहद रोमांचक रही। हमारी यात्रा ने हमें मनमोहक परिदृश्यों, ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गाँवों से होकर गुज़ारा, जिससे हमें रोमांच और सीखने का सही संतुलन मिला। यात्रा की योजना बहुत सोच-समझकर बनाई गई थी, ताकि हम न केवल सवारी का आनंद लें, बल्कि प्रत्येक गंतव्य का सार भी अनुभव कर सकें। साथ में यात्रा कर रहे राइडर्स के बीच की दोस्ती ने इस सफर को और भी यादगार बना दिया।

सभी राइडर्स, पुरुष और महिला, सुबह 5 बजे धुलागढ़ टोल प्लाज़ा पर मिले। हर किसी में जबरदस्त उत्साह था क्योंकि हम अपनी यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे। हाई-परफॉर्मेंस सुपरबाइक्स से लेकर स्टाइलिश स्कूटर्स तक, हर मशीन अपने राइडर के जोश को दर्शा रही थी। कुछ अनुभवी बाइकर थे, तो कुछ नए राइडर भी थे, लेकिन हम सभी को एक चीज़ ने जोड़ा था—खुले रास्तों से हमारा प्यार। एक संक्षिप्त ब्रीफिंग और उत्साह से भरे जयकारों के बाद, हमने अपने इंजनों को स्टार्ट किया और अपने पहले गंतव्य की ओर रवाना हो गए।

### अध्याय 2: फूलों की घाटी – खिराइ

हमारी यात्रा की शुरुआत खिराइ की सवारी से हुई, जिसे पश्चिम बंगाल का 'फूलों की घाटी' भी कहा जाता है। पुरबा मेदिनीपुर जिले के पांसकुड़ा के पास स्थित खिराइ अपने विशाल फूलों के खेतों के लिए प्रसिद्ध है, जो मौसम के अनुसार खिलते हैं। यहाँ किसान गेंदा, गुलदाउदी, गुलाब और ग्लैडियोलस जैसी विभिन्न किस्मों के फूल उगाते हैं, जो पूरे परिदृश्य को एक रंगीन चित्रपट में बदल देते हैं।

जैसे-जैसे हम खिराइ की ओर बढ़े, सड़क के दोनों ओर फैले हरे-भरे खेत धीरे-धीरे चमकदार रंगों के खूबसूरत नज़ारे में तब्दील हो गए। पूरा दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था—चारों तरफ पीले, नारंगी, लाल और गुलाबी रंग के फूल खिले हुए थे। हवा में बसी ताज़ी खुशबू ने हमें सुकून से भर दिया। किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहे थे, और हमने कुछ समय उनके साथ बातचीत में बिताया, जिससे हमें उनकी खेती की प्रक्रिया और स्थानीय फूल बाजार के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला।

खिराइ न केवल एक दृश्यात्मक आनंद प्रदान करता है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल के फूलों के व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ से ताज़े फूल कोलकाता और राज्य के अन्य हिस्सों में भेजे जाते हैं। सर्दियों के मौसम में, जब फूल अपनी पूर्ण सुंदरता में खिलते हैं, तो यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण बन जाता है। हमने भी अपने कैमरों में इन खूबसूरत नजारों को कैद किया, मानो स्वर्ग के एक छोटे से हिस्से को समय में स्थिर कर दिया हो।

फूलों के इन अद्भुत नजारों का आनंद लेने के बाद, हमने पास के स्थानीय बाजार की खोज की, जहाँ दुकानदार ताज़े फूल, हाथ से बनी मालाएँ और फूलों की सजावट की वस्तुएँ बेच रहे थे। यह देखना बेहद दिलचस्प था कि कैसे यहाँ के मेहनती किसान अपने फूलों को बड़े बाजारों और भव्य समारोहों तक पहुँचाते हैं। हमने भी कुछ फूलों के छोटे-छोटे गुच्छे खरीदे, जो इस यात्रा की

सुगंधित याद के रूप में हमारे साथ रहे।

जैसे-जैसे सूरज ऊपर चढ़ा और उसकी सुनहरी किरणें इन रंग-बिरंगे खेतों पर पड़ने लगीं, हमने एक सड़क किनारे चाय की दुकान पर थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। गर्म चाय की चुस्कियाँ लेते हुए और कुरकुरी पकौड़ियों का आनंद उठाते हुए, हमने आपस में कहानियाँ साझा कीं, हँसे, और इस जगह की ग्रामीण सुंदरता को महसूस किया। इस सरल क्षण की मिठास और हमारे चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता ने इसे हमारी यात्रा का सबसे यादगार पड़ाव बना दिया।

उत्साह और नई ऊर्जा से भरकर, हमने एक बार फिर अपनी मोटरसाइकिलें स्टार्ट कीं और अगली मंज़िल की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गए, अपने दिलों में खिराइ के अद्भुत फूलों की यादों को समेटे हुए।

**अध्याय 3: पटाचित्र ग्राम की कला विरासत**

हमारी अगली मंज़िल थी पटाचित्र ग्राम, जो पारंपरिक पटाचित्र चित्रकला को समर्पित एक प्रसिद्ध गाँव है। पश्चिम मेदिनीपुर ज़िले में स्थित यह गाँव उन कलाकारों का घर है, जो पीढ़ियों से स्क्रॉल पेंटिंग के माध्यम से कहानी कहने की इस प्राचीन कला को जीवित रखे हुए हैं। "पटाचित्र" शब्द संस्कृत से लिया गया है, जहाँ "पट" का अर्थ कपड़ा या स्क्रॉल होता है और "चित्र" का अर्थ चित्रकला। ये पेंटिंग केवल कलात्मक कृतियाँ नहीं हैं, बल्कि इनमें पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कथाएँ भी समाहित होती हैं।

गाँव में प्रवेश करते ही हमारी नज़रें दीवारों पर बनी जीवंत भित्तिचित्रों पर पड़ीं। हर दीवार एक अलग कहानी कह रही थी— कुछ हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य प्रदर्शित कर रही थीं, तो कुछ लोककथाओं और सामाजिक संदेशों को दर्शा रही थीं। पूरा गाँव मानो एक जीवंत कैनवास की तरह था, जिसमें कला और संस्कृति की ऊर्जा स्पंदित हो रही थी। हम देख सकते थे कि कलाकार अपने घरों के आँगन में बैठे कपड़े, सूखे ताड़ के पत्तों और यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तनों पर भी खूबसूरत चित्र बना रहे थे।

पटाचित्र कला का सबसे अनोखा पहलू यह है कि इसे गीतों, जिन्हें "पटेर गान" कहा जाता है, के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ये गीत चित्रों में दर्शाई गई कहानियों को सुनाने का कार्य करते हैं, जिससे यह कला केवल देखने का ही नहीं, बल्कि सुनने और महसूस करने का अनुभव भी बन जाती है। हमें एक कलाकार द्वारा एक लंबा स्क्रॉल खोलकर पारंपरिक पटेर गान गाने का दुर्लभ अनुभव मिला। उनकी लयबद्ध कहानी और रंगीन चित्रों का संयोजन मंत्रमुग्ध करने वाला और अत्यंत प्रभावशाली था।

कलाकारों से बातचीत के दौरान हमें पता चला कि यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और हर परिवार अपनी विशेष शैली और तकनीकों में निपुण होता है। आधुनिकता के बावजूद, इन कलाकारों ने अपनी परंपराओं को बनाए रखा है, हालाँकि वे अब बदलते बाज़ार की माँग को ध्यान में रखते हुए समकालीन डिज़ाइन भी तैयार करते हैं। उनकी कृतियों की माँग अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैली हुई है, और कई पटाचित्र कलाकृतियाँ प्रसिद्ध संग्रहों और प्रदर्शनियों में स्थान पाती हैं।

गाँव में घूमते हुए हमने उन कार्यशालाओं का दौरा किया जहाँ स्थानीय रूप से उपलब्ध हल्दी, इंडिगो और सब्ज़ियों के अर्क जैसे प्राकृतिक रंगों से रंग तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक ब्रशस्ट्रोक की बारीकी और सावधानीपूर्वक बनाई गई डिज़ाइन कलाकारों की निपुणता और समर्पण को दर्शा रही थी। हमने भी कुछ छोटे पटाचित्र खरीदकर कलाकारों का समर्थन किया और बंगाल की इस समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की एक झलक अपने साथ ले आए।

पटाचित्र ग्राम की यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक थी, बल्कि प्रेरणादायक भी रही। इसने हमें बंगाल की उस सांस्कृतिक समृद्धि की याद दिलाई जिसे यहाँ के लोग अपने प्रयासों से संरक्षित कर रहे हैं। जब हमने अपनी बाइकों को दोबारा स्टार्ट किया, तो पटेर गान की लय और स्क्रॉल पेंटिंग्स की रंगीन छवियाँ हमारे मन में गूँज रही थीं, जिससे यह यात्रा हमारे सफर का एक अविस्मरणीय पड़ाव बन गई।

**अध्याय 4: महिषादल राजबाड़ी की यात्रा**

हमारी अगली मंजिल थी ऐतिहासिक महिषादल राजबाड़ी, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में स्थित है। यह भव्य महल, जिसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, बंगाल की शाही विरासत और स्थापत्य कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अपने विशाल स्तंभों, फैले हुए आंगनों और बारीक नक्काशी के साथ, यह महल हमें तुरंत एक भव्य अतीत की दुनिया में ले गया।

जैसे ही हमने इस महल परिसर में प्रवेश किया, इसकी

भव्यता देख हम मंत्रमुग्ध हो गए। दुर्बार हॉल, जिसकी सजावट झूमरों और प्राचीन फर्नीचर से सजी थी, महिषादल के राजघराने की ऐश्वर्यता को दर्शा रही थी। चलते-फिरते हमने पुरानी पेंटिंग्स, ऐतिहासिक कलाकृतियाँ और शाही वंश की विरासत से जुड़ी अनेक चीज़ें देखीं, जो इस महल और उसके शासकों के गौरवशाली अतीत को बयां कर रही थीं। महल परिसर में स्थित मंदिर भी देखने लायक थे। राधा-गोविंद मंदिर, जो पारंपरिक बंगाली स्थापत्य शैली में बना है, क्षेत्र की गहरी आध्यात्मिकता का प्रतीक था। मंदिर की दीवारों पर की गई टेराकोटा नक्काशी हमें मंत्रमुग्ध कर रही थी, जिसमें हिंदू महाकाव्यों से जुड़े दृश्य उकेरे गए थे। वातावरण में गूंजते मंत्रों और घंटियों की मधुर ध्वनि ने इस स्थान को और भी दिव्य बना दिया। हमारी यात्रा का एक और मुख्य आकर्षण महल के आसपास फैला सुंदर उद्यान था। हरे-भरे लॉन, खिले हुए फूल और विशाल प्राचीन वृक्षों के बीच टहलना एक अलग ही अनुभव था। यह कल्पना करना आसान था कि कभी यहां शाही परिवार के लोग टहलते होंगे और भव्य उत्सव आयोजित किए जाते होंगे। महिषादल राजबाड़ी की यात्रा हमारे लिए शैक्षिक और प्रेरणादायक दोनों थी। यह महल बंगाल के गौरवशाली अतीत को जीवंत रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा था। जब हम अपनी बाइकों पर सवार होकर वहाँ से रवाना हुए, तो हमारे दिलों में बंगाल की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के प्रति एक नई प्रशंसा और सम्मान था, जिसे इस भव्य महल ने अब तक संजोकर रखा है।

**अध्याय 5: पवित्र संगम – त्रिवेणी संगम**

हमारी अंतिम मंजिल थी त्रिवेणी संगम, जो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह महिषादल राजबाड़ी के पास, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित यह स्थान कभी तीन पवित्र नदियों—गंगा, यमुना और सरस्वती—के संगम के रूप में प्रसिद्ध था, जिससे यह सदियों से एक प्रमुख तीर्थ स्थल बना हुआ है। हालांकि समय के साथ नदियों का प्रवाह बदल गया, लेकिन इस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता आज भी बरकरार है।

जैसे ही हम त्रिवेणी पहुँचे, वहाँ का शांत वातावरण और पवित्र नदी के किनारे स्थित प्राचीन मंदिर और घाट हमें मंत्रमुग्ध कर गए। यह स्थान अपने आप में एक आध्यात्मिक ऊर्जा समेटे हुए है—चारों ओर श्रद्धालु पूजा-अर्चना कर रहे थे, पुजारी मंत्रोच्चारण कर रहे थे, और मंदिर की घंटियों की गूंज वातावरण में भक्ति का संचार कर रही थी। त्रिवेणी गाजन और चारक उत्सवों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें भक्तगण विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों में भाग लेते हैं।

क्षेत्र का भ्रमण करते हुए, हमने हंसेश्वरी मंदिर का दौरा किया, जो अपने रूसी प्रभाव वाले अद्वितीय स्थापत्य के कारण विशिष्ट है। माँ काली को समर्पित यह मंदिर बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। मंदिर की सुंदर टेराकोटा नक्काशी और शांत वातावरण ने इस यात्रा को अविस्मरणीय बना दिया।

इसके बाद हमने ज़फर खान गाजी मस्जिद और दरगाह का भी भ्रमण किया, जो 13वीं शताब्दी की एक ऐतिहासिक मुस्लिम संरचना है। यह स्थापत्य कृति इस क्षेत्र के सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है और यह दर्शाती है कि सदियों से यहां विभिन्न संस्कृतियाँ एक साथ सह-अस्तित्व में रही हैं।

हम कुछ समय घाट के किनारे बैठे, नावों को नदी में बहते हुए देखा और सूर्यास्त के सुनहरे प्रतिबिंब को पानी की सतह पर झिलमिलाते महसूस किया। यह एक अलौकिक क्षण था—कई दिनों तक ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक दृश्यों के बीच यात्रा करने के बाद, हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो एकता, आस्था और सनातन भक्ति का प्रतीक था।

**एपिलॉग: राइजिंग राइडर अवार्ड और आगे का सफर**

वापसी के बाद, मेरे लिए एक और गौरवपूर्ण क्षण इंतजार कर रहा था। हाल ही में ईस्टर्न राइडर्स मीट, जिसे राइडर्स कम्युनिटी ऑफ इण्डिया के चेतक मोटरसाइकिल क्लब द्वारा आयोजित किया गया था, में मुझे स्कूटर पर राइजिंग राइडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह मान्यता मेरे जुनून को और अधिक प्रज्वलित कर गई, जिससे मुझे अपनी अगली बड़ी यात्रा की तैयारी करने की प्रेरणा मिली—कोलकाता से लद्दाख की यात्रा।

इस यात्रा की यादें और अनुभव मेरी प्रेरणा बन गए हैं, और अन्वेषण की भावना मुझमें और प्रबल हो गई है। अब मेरी नजरें हिमालय के विशाल और दुर्गम परिदृश्यों पर टिकी हैं, जहाँ एक नई रोमांचक यात्रा मेरा इंतजार कर रही है।

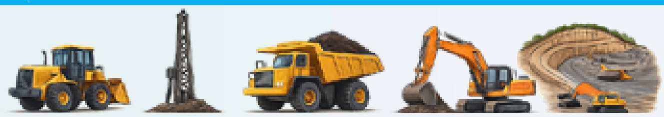

# भारत के संविधान में महिलाओं को दिए गए अधिकार

प्रियांशु प्रकाश
उप प्रबंधक (राजभाषा)
कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता

**प्रस्तावना**

भारतीय लोकतंत्र अपनी विशालता, समग्रता, गौरवशाली ऐतिहासिकता एवं व्यापकता के लिए जाना जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का पहला गणतंत्र बिहार के वैशाली राज्य को माना जाता है। वैशाली को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। लोकतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने भारत में प्रशासन और व्यवस्था की सुदृढ नींव रखी जिसमें समावेशिता और मूल्यों पर आधारित समाज के निर्माण पर बल दिया गया है।

भारतीय संविधान नागरिकों को विभिन्न अधिकारों और स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है। इस संविधान ने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान किया है, जिससे वे समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर सकें। भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। यह लेख भारत के संविधान में महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों की गहन चर्चा करेगा और उनके महत्व को रेखांकित करेगा।

**संवैधानिक प्रावधान और महिलाओं के अधिकार**

**1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) :** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यह प्रावधान महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देता है और किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 15 लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 15(3): यह अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।

अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, जिससे महिलाओं को भी पुरुषों के समान नौकरी के अवसर मिल सकें।

**2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)**

अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में घूमने की स्वतंत्रता और किसी भी व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। ये अधिकार महिलाओं को भी समान रूप से प्राप्त हैं, जिससे वे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें और अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सकें।

**3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)**

अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है, जो महिलाओं के शोषण को रोकने में महत्वपूर्ण है।

अनुच्छेद 24 बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, जिससे बालिकाओं को शिक्षा और सुरक्षा का अवसर मिल सके। ये प्रावधान महिलाओं और बालिकाओं को शोषण से बचाने और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में सहायक हैं।

**4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)**

अनुच्छेद 25-28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। महिलाओं को भी अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। यह प्रावधान महिलाओं को धार्मिक आधार पर होने वाले भेदभाव से बचाता है और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।

**5. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 29-30)**

अनुच्छेद 29 और 30 भारतीय नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा और शिक्षा का संरक्षण करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

महिलाओं को भी अपनी संस्कृति और भाषा को बनाए रखने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह प्रावधान महिलाओं को सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक है।

**6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)**

अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। यदि किसी महिला के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है। यह प्रावधान महिलाओं को न्याय प्राप्त करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में सहायक है।

**महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान**

**1. राज्य के नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 39, 42, 44)**

अनुच्छेद 39 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करे।

अनुच्छेद 39 (क) यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है कि पुरुष और महिलाएँ समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार रखें।

अनुच्छेद 39 (द) में समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध है। यह स्त्रियों को आर्थिक न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 42 यह अनुच्छेद राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और

महिलाओं को काम के दौरान सुरक्षा और मातृत्व लाभ प्रदान करने का निर्देश देता है।

अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, जो महिलाओं को समान कानूनी अधिकार प्रदान करने का प्रयास करता है।

अनुच्छेद 46 यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है कि दुर्बल वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सब प्रकार के शोषण से संरक्षा करेगा।

संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 (क) (ङ.) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो कि स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो।

**महिलाओं के लिए आरक्षण (अनुच्छेद 243(घ), 243(न))**

भारतीय संविधान ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इनमें से अनुच्छेद 243(घ) और 243(न) दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जो पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों व स्थानीय सरकारी संस्थाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं। ये प्रावधान महिलाओं को स्थानीय सरकारी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देकर उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं।

**1. अनुच्छेद 243 (घ) के प्रमुख प्रावधान**

अनुच्छेद 243(घ) के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

महिलाओं के लिए आरक्षण: अनुच्छेद 243घ(3) के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में सीटों और अध्यक्ष पदों का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। यह आरक्षण अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए लागू होता है।

रोटेशन प्रणाली: आरक्षित सीटों और अध्यक्ष पदों का आवंटन रोटेशन के आधार पर किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण का लाभ सभी महिलाओं को मिले, हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों और पदों को बदला जाएगा।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण: अनुच्छेद 243घ(1) और 243घ(2) के अनुसार, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों और अध्यक्ष पदों का आरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इन वर्गों की महिलाओं के लिए भी एक तिहाई सीटें आरक्षित की जाएंगी।

**2. अनुच्छेद 243 (न) के प्रमुख प्रावधान**

**अनुच्छेद 243 (न) के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:**

**महिलाओं के लिए आरक्षण:** अनुच्छेद 243 (न)(3) के अनुसार, प्रत्येक नगर निकाय में सीटों और अध्यक्ष पदों का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। यह आरक्षण अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए लागू होता है।

**रोटेशन प्रणाली:** आरक्षित सीटों और अध्यक्ष पदों का आवंटन रोटेशन के आधार पर किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण का लाभ सभी महिलाओं को मिले, हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों और पदों को बदला जाएगा।

**अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण:** अनुच्छेद 243 (न)(1) और 243(न)(2) के अनुसार, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों और अध्यक्ष पदों का आरक्षण भी

प्रदान किया जाएगा। इन वर्गों की महिलाओं के लिए भी एक तिहाई सीटें आरक्षित की जाएंगी।

धारा 292 से 294 के अंतर्गत विशिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वाले मामलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति महिलाओं की नग्न तस्वीरें प्रदर्शित करता है, उनका क्रय-विक्रय करता है या अश्लील प्रदर्शन करता है, तो उसे दो वर्ष तक की सजा और 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।

धारा 312 से 318 के अंतर्गत गर्भपात करने, अजन्मे बच्चों को हानि पहुँचाने, शिशुओं को असुरक्षित छोड़ने और जन्म को छिपाने के मामलों में दंड का प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 325 के तहत निर्वाचक नामावली में महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से शामिल होने का अधिकार दिया गया है। संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि भारत में पुरुषों और महिलाओं को मतदान के समान अधिकार प्राप्त हैं।

धारा 354 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाता है या ऐसा करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे 2 वर्ष तक की सजा, जुर्माना, या दोनों में से किसी एक से दंडित किया जा सकता है।

### महिलाओं को गरिमा और शालीनता के साथ जीने का अधिकार

संविधान में हर महिला को गरिमा और शालीनता के साथ जीने का अधिकार मिला है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे भंग करने की कोशिश करता है, तो उसे कानून में सजा देने का प्रावधान है। महिलाओं के खिलाफ किये गये अपराध जैसे यौन उत्पीड़न (धारा 354ए), निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला (धारा 354 बी), लज्जा भंग करने के लिए स्त्री पर हमला करना (धारा 354) या महिला की ताक-झांक करना (354 सी ) जैसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति महिला का पीछा करता है, उसके लिए भी धारा 354 डी के तहत सजा दी जा सकती है। अगर किसी मामले में महिला खुद आरोपी है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो यह काम किसी दूसरी महिला की मौजूदगी में ही होना चाहिए. दुष्कर्म के मामलों में, अगर संभव हो, तो एक महिला पुलिस अधिकारी को ही केस दर्ज करानी चाहिए।

धारा 361 के तहत यदि किसी महिला की आयु 18 वर्ष से कम है और उसे कोई व्यक्ति उसके विधिपूर्व संरक्षक की अनुमति के बिना या उसे बहलाकर ले जाता है, तो वह व्यक्ति व्यपहरण का अपराधी माना जाएगा। इसके साथ ही, धारा 363 से 366 में इस अपराध के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है।

धारा 372 के अनुसार, यदि किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बेचा जाता है, तो इस अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष तक की कारावास की सजा, जुर्माना, या दोनों में से कोई भी सजा दी जा सकती है।

धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है, जबकि धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।

धारा 498 (अ) के अनुसार, यदि कोई पति या उसके रिश्तेदार विवाहित पत्नी के साथ क्रूरता से व्यवहार करते हैं या दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते हैं, तो न्यायालय उन्हें 2 साल तक की सजा दे सकता है।

धारा 509 के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इज्जत को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से कोई शब्द कहता है, ध्वनि करता है, अंगों का प्रदर्शन करता है, या ऐसा कोई कार्य करता है जिससे महिला की निजता का उल्लंघन होता है, तो उसे एक वर्ष तक की सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

### महिलाओं के लिए विशेष कानून

भारतीय संविधान के अलावा, महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं, जैसे

**1. दहेज निषेध अधिनियम, 1961:** यह अधिनियम दहेज लेने और देने को अपराध घोषित करता है।

**2. महिला संरक्षण अधिनियम, 2005/घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005:** यह अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। घरेलू हिंसा को अक्सर ससुराल या दहेज से जोड़कर ही देखा जाता है, जबकि, ऐसे मामले भी कम नहीं हैं, जब छोटी व किशोरियों को अपने पिता या भाई द्वारा प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। अगर कोई बदसलूकी कर रहा है, तो घरवालों के खिलाफ भी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अगर कोई मानसिक या शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करता है, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1091 का इस्तेमाल करें। आपके इलाके की महिला सेल न केवल शिकायत दर्ज करती है, बल्कि आपकी हर तरह से मदद भी करती है। इस कानून के तहत घरेलू महिलाओं के अलावा लिव इन रिलेशनशिप में रहनेवाली महिलाओं को भी शिकायत दर्ज करवाने का अधिकार है। धारा 498ए के तहत आरोपी को 3 साल की सजा का प्रावधान है।

**3. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और**

**निवारण) अधिनियम, 2013:** यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने और निवारण के लिए बनाया गया है। अगर किसी महिला के साथ उसके ऑफिस में शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, तो आरोपी के खिलाफ महिला शिकायत दर्ज करा सकती है। यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाली उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न से सुरक्षा मिलती है। इसके लिए पॉश कमेटी गठित की गयी। यह कानून सितंबर 2012 में लोकसभा और 26 फरवरी, 2013 में राज्यसभा से पारित हुआ था।

### 4. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

ये कानून महिलाओं को सामाजिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं।

### 5. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

इस कानून के तहत हर कामकाजी महिला को छह महीने के लिए मैटरनिटी लीव मिलती है। इस दौरान महिलाएं पूरी सैलरी पाने की हकदार होती हैं। यह कानून हर सरकारी और गैर सरकारी कंपनी पर लागू होता है। इसमें कहा गया है कि एक महिला कर्मी, जिसने एक कंपनी में प्रेग्नेंसी से पहले 12 महीनों के दौरान कम से कम 80 दिनों तक काम किया है, वह मैटरनिटी बेनीफिट पाने की हकदार है। साल 1961 में जब इस कानून को लागू किया गया था, तो उस समय छुट्टी का समय सिर्फ तीन महीने था, जिसे साल 2017 में बढ़ाकर 6 महीने तक कर दिया गया है।

### सुरक्षित गर्भपात का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार दे रखा है। कोर्ट ने मैरिड-अनमैरिड में किये जानेवाले अंतर को असंवैधानिक बताया है। जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ की बेंच के मुताबिक, किसी महिला को सिर्फ विवाह न होने के चलते 20 हफ्ते तक के गर्भ को गिराने की अनुमति न देना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने जैसा होगा। हालांकि, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 में 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति थी। मगर स्पेशल केस में इसके दायरे को बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया है।

### 6. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

इस अधियनियम के तहत एक ही तरह के काम के लिए महिला और पुरुष दोनों को मेहनताना भी एक जैसा ही मिलना चाहिए, यानी यह पुरुषों और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है। यह अधिनियम 8 मार्च 1976 में पास हुआ था। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कई जगह उन्हें समान तनख्वाह के लायक नहीं समझा जाता।

### मुफ्त कानूनी सहायता

लीगल सर्विसिज अथॉरिटी एक्ट 1986 के तहत अगर आप किसी कानूनी मसले का शिकार हैं और कानूनी मदद के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपकी सहायता दी जाती है। लीगल सर्विसिज अथॉरिटी एक्ट 1986 उन पर भी लागू होता है, जो महिलाएं कामकाजी हैं। ये एक्ट कहता है कि किसी भी इनकम स्लैब में आप फ्री लीगल एड की सहायता ले सकते हैं. देश के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सुविधा उपलब्ध है।

- **स्त्री धन व तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार**

अगर कोई महिला तलाकशुदा है, तो वह अपने पति से 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के तहत पैसे ले सकती है, जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती है. वहीं, हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 25 के तहत केवल गुजारा भत्ता देने का ही नियम था, जिसमें अब कई बदलाव किये गये हैं. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 14 और एचएमए सेक्शन 27 इस बात को पुख्ता करते हैं कि महिला के पास स्त्री धन का पूरा अधिकार है. इसका खंडन होने पर वे सेक्शन 19 का सहारा ले सकती हैं. जो भी बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में 2010 से पहले पैदा होते थे, उन्हें अवैध घोषित किया जाता था. मगर, 2010 के बाद कानून में संशोधन करके अब उनका भी संपत्ति पर उतना ही मालिकाना हक होता है, जितना शादी से होने वाले वाले बच्चों का होता है.

- **महिलाओं के लिए पारित किये गये विभिन्न अधिनियम**

  हमारे देश मे विभिन्न समयों में प्रचलित कुरीतियों एवं कुप्रथाओं को मुक्त कराने हेतु बहुत से अधिनियम पारित किये गये है तथा महिलाओं को सुरक्षा एवं अधिकार देने हेतु भी अधिनियम पारित किये गये है, जो निम्न हैः-

1. राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948
2. दि प्लांटेशनस लेबर अधिनियम 1951
3. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1954
4. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
5. हिन्दु विवाह अधिनियम 1955
6. हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 (संशोधन 2005)
7. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956

8. प्रसूति प्रसूविधा अधिनियम 1961 (संशोधित 1995)
9. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
10. गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971
11. ठेका श्रमिक (रेग्युलेशन एण्ड एबोलिशन) अधिनियम 1976
12. दि इक्कल रियुनरेशन अधिनियम 1976
13. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006
14. आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 1983
15. कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1986
16. इन्डिकेंट रिप्रेसेन्टेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986
17. कमीशन ऑफ सती (प्रिवेन्शन) एक्ट, 1987
18. घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 संवैधानिक निकाय

भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए कई संवैधानिक निकाय स्थापित किए गए हैं। ये निकाय महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की जांच, उनके अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करते हैं।

**1. राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women - NCW):**

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन करना है। आयोग महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की जांच करता है और उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करता है।

विभिन्न राज्यों में राज्य महिला आयोग (State Commission for Women) की स्थापना विभिन्न राज्यों में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए की गई है। इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें न्याय दिलाना है।

**2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development)**

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विकास और सशक्तिकरण के लिए नीतियों और योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन करना है।

**3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission - NHRC)**

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन करना है, जिसमें महिलाओं के अधिकार भी शामिल हैं।

## महिलाओं के अधिकारों का महत्व

### 1. सामाजिक समानता

महिलाओं के अधिकार सामाजिक समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं। संविधान में दिए गए अधिकारों के माध्यम से महिलाओं को समाज में समान दर्जा प्राप्त हो सकता है और उन्हें पुरुषों के समान अवसर मिल सकते हैं।

### 2. आर्थिक सशक्तिकरण

महिलाओं के अधिकार उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन और रोजगार में अवसर की समानता जैसे प्रावधान महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाते हैं।

### 3. राजनीतिक सशक्तिकरण

महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक है। स्थानीय सरकारी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलता है।

### 4. कानूनी सुरक्षा

महिलाओं के अधिकार उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। विभिन्न कानूनों के माध्यम से महिलाओं को शोषण, हिंसा और भेदभाव से बचाया जा सकता है और उन्हें न्याय प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

## निष्कर्ष

भारतीय संविधान ने महिलाओं को विभिन्न अधिकार प्रदान करके उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है। संविधान में दिए गए प्रावधान और विभिन्न कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान करते हैं। हालांकि, अभी भी समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, जिन्हें रोकने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक है, ताकि वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और समाज में समानता और न्याय प्राप्त कर सकें।

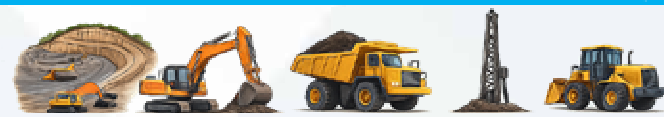

# राजभाषा हिंदी की स्थिति एवं इसका प्रयोग

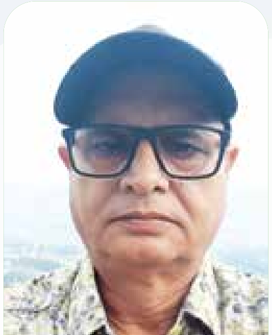

**मूल चंद्र सिंह**
प्रबंधक (मा. सं.)
कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता

राष्ट्रभाषा, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज किसी भी राष्ट्र की संचेतना का प्रतीक है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। स्वतंत्रता राष्ट्र की संप्रभुता की अभिव्यक्ति है। सशक्त राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्र के स्वाभिमान एवं गौरव का तकाजा है कि उसकी एक राष्ट्रभाषा हो। ये सभी विशेषताएं हमारे देश की राजभाषा हिंदी में समाहित हैं। राजभाषा हिंदी देश की एकता एवं अखंडता की प्रतीक है। बिना राजभाषा के देश का विकास नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय एकता का संचार राजभाषा हिंदी के माध्यम से ही हो सकता है।

भारत एक बहुभाषी, बहुजातीय, बहुधर्मीय देश है। यहां भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों का भिन्न-भिन्न प्रकार का रहन-सहन है। स्वाभाविक है उनकी भाषा भी विभिन्न प्रकार की होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भिन्न-भिन्न जातियों एवं धर्मों के लांग रहते हैं तथा उनकी भाषाएं भी भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं। उन भाषाओं में हिंदी बहुतायत लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। यही कारण है कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी स्वीकार की गई। राजभाषा हिंदी संसार की प्रमुख तीन भाषाओं में स्थान रखती है जो सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है।

यह सर्वविदित है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा हिंदी सदियों से हमारे देश की संपर्क भाषा रही है। किसी भी देश के लिए उसकी राजभाषा उसकी अपनी अस्मिता का प्रतीक है। भाषा के साथ संस्कृति का मेल है। जब देश की भाषा सशक्त होगी तब उस देश की संस्कृति भी सशक्त होगी। भाषा हमारे विचारों, भावनाओं के संप्रेषणीयता का माध्यम है और इसमें हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बहुतायत लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। आज हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी पखवाड़े के माध्यम से हिंदी के प्रचार-प्रसार का काम किया जा रहा है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे राजभाषा हिंदी का विकास हो सके। यहां तक संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के माध्यम से भी दबाव दिया जा रहा है, जिससे सरकारी कार्यालयों में कार्यरत लोगों द्वारा हिंदी में कार्य निष्पादन हो सके। हिंदी को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे संविधान में भी नियम एवं अधिनियम बनाए गए हैं जिससे राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में किसी प्रकार की याघा आहे न आए।

परंतु ऐसा महसूस किया जा रहा है कि हमारे देश में हिंदी का विकास हिंदी भाषी राज्यों को छोड़कर उतना नहीं हो पा रहा है जितनी अपेक्षा की जाती है। आज अंग्रेजी भाषा ज्ञान-विज्ञान एवं हर प्रकार की कल्पनाओं से युक्त भाषा मानी जाती है। इसके मूल में उसकी सशक्त संप्रेषण क्षमता और अवधारणा शब्दशक्ति है। परंतु हिंदी आज भी इस कमी को झेल रही है। हमारे तरह-तरह के दावों के बावजूद हिंदी में विभिन्न विषयों से संबंधित शब्दावली का निर्माण तथा स्वीकृति उतने पैमाने पर नहीं हो पाई है जो वर्तमान जीवन के सभी स्रोतों, अनुशासनों और अवधारणों को सही तथा सार्थक अभिव्यक्ति दे सके।

राजभाषा हिंदी का विकास एवं प्रचार-प्रसार तगी सभय होगा जब हम अंग्रेजी भाषा का मोह छोड़कर अपनी राजभाषा हिंदी को अपनाएंगे। राजभाषा हिंदी के माध्यम से अपने कार्य संपादित करेंगे और यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम राजभाषा हिंदी का प्रयोग अपने दैनंदिन कार्यों में अपनाएंगे और दूसरों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यह पुनीत कार्य हम प्रेरणा एवं प्रोत्साहन के माध्यम से ही कर सकते हैं। तभी हमारी राजभाषा हिंदी का विकास हो सकता है और राजभाषा हिंदी जन-जन की भाषा हो सकती है।

वर्तमान समय में अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। अधिकांश अभिभावक यही चाहते है कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें। हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने को उतना महत्त्व नहीं दिया जा रहा है जितना कि अंग्रेजी माध्यम से दी गई शिक्षा को।

**मातृभाषां परितज्य यो अन्य भाषामुपासते।**
**तत्र यान्ति हिते देशः यत्र सूर्यो न भासते ॥**

अर्थात जो अपनी मातृभाषा को त्यागकर अन्य भाषा की उपासना करता है वह देश सदा के लिए अंधकार वृत्त रह जाता है, वहां कभी ज्ञान-सूर्य का प्रकाश व्याप्त नहीं होता।

हिंदी के समर्थन में हमारे बहुत से महापुरुषों ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं जिनमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, कवि गुरु रवींद्र नाथ ठाकुर इत्यादि। इन महापुरुषों का

विचार था कि हिंदी के माध्यम से ही देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखा जा सकता है क्योंकि राजभाषा हिंदी ही देश के अधिकाश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। इस कथन के समर्थन में कवि गुरु रवींद्र नाथ ठाकुर का कथन है कि "आधुनिक भारत की संस्कृति एक शतदल कमल के समान है, जिसका एक-एक दल एक प्रांतीय भाषा और उसका साहित्य-संस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा नष्ट नहीं हो जाएगी। हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रांतीय बोलियां जिनमें साहित्य सृष्टि हुई है, अपने-अपने घर में (प्रांत में) रानी बनकर रहें, प्रांत के जनगण को, हार्दिक चिंता को-प्रकाश भूमि स्वरूप कविता की भाषा होकर रहे और आधुनिक भाषाओं के हार के मध्यमणि हिंदी भारत भारतीय होकर विराजती रहे। वास्तव में भारत में अंतः प्रांतीय व्यवहार के लिए उपयुक्त राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही है। हिंदी भाषा में चड़ी शक्ति है और बडी संभावनाएं है"- रवींद्र नाथ ठाकुर

राजभाषा हिंदी आज भी अंग्रेजी भाषा की अनुगामिनी बनी हुई है। कार्यालयी कार्यों में हमारी सोच अंग्रेजी माध्यम की होती है। भले ही क्यों न हम राजभाषा हिंदी का ही कार्य करते हों। राजभाषा हिंदी आज भी अंग्रेजी भाषा की गुलाम है। सरकारी कार्यालयों एवं लोक उद्यम कार्यालयों इत्यादि में आज भी मजबूरीवश अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कराए जाते हैं। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए इतने वर्ष हो गए हैं परंतु आज भी हम अंग्रेजी की दासता से उबर नहीं पाए हैं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में यह उपबंध है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी। चूंकि विगत दो शताब्दियों से अंग्रेजी शासन काल में देश के सभी काम-काज अग्रेजी में होते थे, इसलिए यह जरूरी समझा गया कि हिंदी में सारे काम-काज करने के लिए 15 वर्ष का समय दिया जाए और तब तक सह-राजभाषा के रूप में अंग्रेजी भी प्रयोग में चलती रहेगी। यह सभी व्यवस्थाएं मात्र सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया था। परंतु यह अवधारणा कभी नहीं थी कि देश के आजादी के इतने वर्षों के बाद भी राजभाषा हिंदी. अंग्रेजी भाषा की दासी बनी रहेगी।

राजभाषा हिंदी को कार्यान्वित करने के लिए संविधान में बहुत सारे अधिनियम, नियम, नीतिगत आदेश जारी हुए हैं। राजभाषा हिंदी के विषय में जानकारी संविधान के भाग-5 (अनुच्छेद-120), भाग-6 (अनुच्छेद-210) एवं भाग-17 (अनुच्छेद 243 से 351 तक) राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976. राजभाषा संकल्प 1967 एवं राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों में दिया गया है।

संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए हुए 55 वर्षों के बाद भी राजभाषा हिंदी का प्रयोग कार्यान्वयन के क्षेत्र में प्रशंसनीय नहीं है। इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कार्यालयीन प्रयोग में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है किंतु यह उस सीमा तक नहीं पहुंचा है जहां से हम यह कह सकें कि राजभाषा हिंदी की स्थिति संतोषजनक है। पिछले 55 वर्षों में इस क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रगति हुई है। राजभाषा हिंदी का प्रयोग कार्यालयीन कार्यों में बढ़ा है। निःसंदेह आज हिंदी इतनी समर्थ है कि इसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यों को सुचारु रूप से दक्षता एवं क्षमता के साथ संचालित कर सके। राजभाषा हिंदी में तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावलियों का अभाव नहीं है। आवश्यकता है इसके प्रयोग में वृद्धि लाने की। हमें राजभाषा हिंदी के प्रयोग से नहीं झिझकना चाहिए। तभी हम राजभाषा हिंदी को विकसित करने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं।

हमें राजभाषा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प होकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसमें हमारे प्रचार-प्रसार के माध्यम भी काफी कारगर साबित हो सकते हैं। हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में सहायक हो सकते हैं-समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, टी.वी., सिनेमा इत्यादि ऐसे माध्यम हैं जो राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमें हिंदी अनुवाद को सीमित करना होगा। कार्यालयों में छोटी-छोटी टिप्पणियां, छोटे-छोटे पत्र लिखने की आवश्यकता है। हिंदी सरल एवं प्रवाहमयी भाषा है। इसके प्रयोग में कोई असुविधा नहीं है। हमें अपने दैनिक प्रयोगों में हिंदी को प्राथमिकता देनी होगी। तभी हिंदी का विकास हो सकता है।

कंप्यूटर की भूमिका आज के युग में अति महत्त्वपूर्ण है। कंप्यूटर से हिंदी के कार्यान्वयन में क्रांति आ सकती है। आज हमारे देश में हिंदी के बहुत सारे साफ्टवेयर विकसित हो गए है, जिसके माध्यम से हिंदी कार्यों को बड़ी ही सुगमता के साथ निपटाया जा सकता है। आवश्यकता मात्र है हिंदी साफ्टवेयर के प्रयोग की। हिंदी साफ्टवेयर का प्रयोग सरकारी कार्यालयों, लोक उद्यम कार्यालयों, निगमों एवं निकायों में प्रारंभ हो चुका है। काफी कार्य हो रहा है। आशा की जाती है कि निकट भविष्य में राजभाषा हिंदी हमारे देश की सशक्त राजभाषा के रूप में उभरकर सामने आएगी एवं देश के निर्माण एवं विकास में अपनी अहम भूमिका का निवर्हन करेगी।

# राजभाषा विभाग के स्वर्णिम 50 वर्ष

**राजेश कुमार साव**
प्रबंधक (राजभाषा)
कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता

भारत एक बहुभाषी देश है, जहाँ सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। इस विविधता में एकता बनाए रखने के लिए एक समन्वित भाषा की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। इसका मूल उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों और जनसंपर्क में भाषा की एकरूपता स्थापित करना है। हिंदी ही देश के विविध राज्यों को एक साझा संवाद मंच प्रदान करती है। यह भाषा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम को एक-दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है।

संविधान के अनुच्छेद 351 ने हिंदी के प्रसार और विकास का दायित्व संघ सरकार को सौंपा है, ताकि यह भारत की समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सके और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय बनाकर समृद्ध हो। इसी उद्देश्य से ही राजभाषा विभाग की स्थापना जून, 1975 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी।

**राजभाषा विभाग की स्थापना का उद्देश्य एवं कार्य-**

1. भारत सरकार के कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना और उसके समुचित क्रियान्वयन के लिए योजनाएँ बनाना, नीतियाँ निर्धारित करना तथा उसका प्रभावी निरीक्षण करना।
2. यह विभाग विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों को राजभाषा संबंधी निर्देश और सहायता प्रदान करता है।
3. संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का कार्यान्वयन।
4. किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना।
5. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना और पत्र-पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य का प्रकाशन।
6. संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय, जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) शामिल हैं।
7. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबंधन।
8. केंद्रीय हिंदी समिति से संबंधित मामले।
9. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिंदी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय।
10. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले।
11. हिंदी शिक्षण योजना सहित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित मामले।
12. क्षेत्रीय कार्यवान्वयन कार्यालयों से संबंधित मामले।
13. संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित मामले।

**50 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियाँ-**

विगत 50 वर्षों में राजभाषा विभाग ने न केवल हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में महत्वपूण भूमिका निभाई है, बल्कि उसने प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को सशक्त किया है। इनकी उपलब्धियों को संक्षेप निम्न बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

1. **राजभाषा अधिनियम और नियमों का कार्यान्वयनः** 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ तथा इससे संबंधित नियम 1976 में बनाए गए। राजभाषा विभाग ने अधिनियम के प्रावधानों को विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में लागू करवाकर कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दिया।
2. **हिंदी का प्रशासनिक प्रयोगः** राजभाषा विभाग के प्रयासों से हिंदी को सरकारी कार्यों में व्यापक रूप से अपनाया गया। आज भारत सरकार के मंत्रालयों और उपक्रमों में हिंदी में पत्राचार, आदेश, अधिसूचनाएँ और रिपोर्ट तैयार की जाती हैं।
3. **हिंदी प्रशिक्षणः** राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान कार्य करती है जो देश के विभिन्न भागों हिंदीतर भाषी कर्मचारियों को भाषा का प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। यह विभाग हिंदी भाषा के अतिरिक्त हिंदी टंकण और

आशुलिपि का भी प्रशिक्षण प्रदान करती है। इससे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने की क्षमता प्राप्त हुई। कोविड काल में हिंदी टंकण, आशुलिपि और अनुवाद के लिए ई-प्रशिक्षण शुरू किया गया। ऑनलाइन भाषा प्रशिक्षण के लिए लीला सॉफ्टवेयर का भी विकास किया गया है।

4. **केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो:** राजभाषा विभाग के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरों सरकार के महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अनुवाद करती है। साथ ही केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुवाद का प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। इससे हिंदी प्रयोग को बढावा मिल रहा है। एआई और मशीन ट्रांसलेशन तकनीकों की क्षमता को स्वीकार करते हुए, विभाग ने **कंठस्थ** नामक सॉफ्टवेयर का विकास किया है, जिससे अनुवाद कार्य सहज हो गया है।

5. **क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय:** राजभाषा विभाग ने विभिन्न राज्य और क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की स्थापना की हैं। इन कार्यालयों ने अपने क्षेत्र के केन्द्रीय कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया है। विभाग ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट और निरीक्षण के माध्यम से कार्यान्वयन की निगरानी की है, जिससे हिंदी का प्रशासनिक प्रयोग प्रभावी हुआ है।

6. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ (नराकास):** नराकास समितियाँ शहरी क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं। नराकास स्थानीय स्तर पर राजभाषा नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती हैं। आज देश भर में कुल 537 नराकास समितियाँ है। इसके अतिरिक्त विदेशों में लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट-लुई में भी ये समितियां स्थापित की गईं हैं।

7. **शब्दावली विकास:** हिंदी को तकनीकी क्षेत्रों में उपयोगी बनाने के लिए नई शब्दावली विकसित की गई। शिक्षा मंत्रालय के अधीन गठित वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के सहयोग से पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया गया। साथ ही राजभाषा ने **हिंदी शब्दसिंधु** नामक एक शब्दकोश का निर्माण किया है। यह एक ऐसा शब्दकोश है जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को हिंदी में समाहित किया गया है, जिससे हिंदी अधिक लचीली और समृद्ध बन रही है।

8. **तकनीकी और डिजिटल विकास:** राजभाषा विभाग का योगदान केवल हिंदी के प्रचार-प्रसार तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने हिंदी को डिजिटल युग में भी एक सशक्त स्थान पर स्थापित किया है। राजभाषा विभाग की पहल पर हिंदी में डिजिटल टूल्स, ऐप्स, वेबसाइट आदि विकसित किए गए हैं, जिससे हिंदी तकनीकी क्षेत्र में भी सशक्त बन रही है।

9. **भारतीय भाषाओं में समन्वय:** राजभाषा विभाग ने न केवल हिंदी को प्रोत्साहित किया है, बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी का सामंजस्य स्थापित किया है, जिससे एक भाषाई संतुलन बना है। सभी भारतीय भाषाओं के समन्वित विकास के लिए एक नया अनुभाग बनाया गया है। यह अनुभाग राज्यों को प्रशासनिक कार्यों में मातृभाषा के उपयोग हेतु सहायता प्रदान करेगा।

10. **राजभाषा सम्मेलन एवं प्रोत्साहन योजनाए:** विभाग ने हिंदी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन शुरू किए। हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा **राजभाषा कीर्ति पुरस्कार** प्रदान किये जाते है। लेखन को प्रोत्साहन के लिए **राजभाषा गौरव पुरस्कार** दिये जाते है। इन प्रयासों ने हिंदी को सरकारी कार्यों में धीरे-धीरे स्वीकार्यता दिलाई। इसीप्रकार राजभाषा विभाग ने विभिन्न शहरों में राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया है, जिससे हिंदी के प्रचार-प्रसार को गति मिली है।

इन प्रमुख उपलब्धियों ने राजभाषा विभाग को न केवल हिंदी के प्रचारक के रूप में स्थापित किया है, बल्कि यह सुनिश्चित किया है कि हिंदी को एक सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और प्रशासनिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। विभाग के प्रयासों भविष्य में जब तकनीकी विकास और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी का अधिक उपयोग होगा, तब राजभाषा विभाग का योगदान और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।

**बिमलेंदु कुमार**
भूतपूर्व निदेशक(कार्मिक)
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली

# यादें

विगत दो वर्ष
दुख अपरम्पार, जीवन हुआ उजाड़।
ना कोई त्योहार, ना कोई फुहार,
ना कोई प्यार, ना कोई बहार
ना कोई उमंग, ना कोई तरंग
नयनों में अश्रुधार।
सिर्फ तुम ही तुम, यादों में, दिल में,
हर सांस में, हर धड़कन में।
सुना था औषधि है समय
लगता है अब यह कपटमय।
कोशिश करता हूँ, न करूं तुम्हें याद,
हिल जाती है अपनी बुनियाद।
शहर छोड़ा, देश छोड़ा
सोच मोड़ा, विचार मोड़ा।
भूलना तो असंभव
धूमिल भी नहीं होती तेरी याद।
तुम्हारे पास शीघ्र आने की है इच्छा
खोज रहा हूँ कोई समय अच्छा।
कदम बढ़ाता हूँ तेरी ओर
कुछ चेहरे लेती है रोक।
कवि मन को आता है स्मरण
श्रद्धेय कविवर मैथिलीशरण
"नर हो, न निराश करो मन को,
अखिलेश्वर हैं, अवलंबन को।"
द्वंद है स्वयं से, जीतूंगा अवश्य इसे।
सोचता हूँ स्वप्न अगर होता साकार
लौट आते तुम किसी प्रकार।
प्रभु अब तुम्हीं करो उद्धार,
नहीं होता अब इंतजार,
सुनो हमारी चित्कार,
मत करो अब रार,
यह विनती करो स्वीकार।

**राजपाल यादव**
पूर्व महाप्रबंधक(कार्मिक/राजभाषा)
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

# सिंदूरी दोहे

चमत्कार दिखला गया, चुटकी भर सिंदूर।
दम्भी पाकिस्तान का, तोड़ा आज गुरूर॥

ताक़त जब सिंदूर की, समझा पाकिस्तान।
तब तक आतंकी सभी, पहुँचे क़ब्रिस्तान॥

हिंदुस्ताँ की नार का, गर्व रहा सिंदूर।
ग़द्दारों के दर्प को, करता चकनाचूर॥

भारत में सिंदूर है, नारी का सम्मान।
भूले से करना नहीं, दुष्ट कभी अपमान॥

माँग भरी सिंदूर का, उजड़ा अगर सुहाग।
ना जाने कितने तुझे, आज मिलेंगे दाग॥

भारत के अभियान से, डरा हुआ है पाक।
शौर्य देख सिंदूर का, हुआ ख़ौफ़ से ख़ाक॥

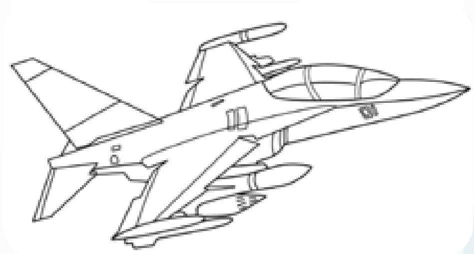

**निशा रंजन**
प्रबंधक (मानव संसाधन)
कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता

# धरा के दिल में

जहाँ नहीं पहुँचती सूरज की किरण,
वहाँ उतरता है वो हर दिन, हर क्षण।
अंधेरे में खोजे रौशनी की राह,
ताकि हर घर में फैले सवेरा चाह।

जब हम सब नींद की बाहों में खो जाते,
वो तब भी कोयले की चट्टानें काटे।
रातों में मेहनत, दिन के लिए,
हर भारतीय की ऊर्जा के लिए।

ना कोई ताली, ना कोई गीत,
फिर भी लड़ता है, हर पल है जीत।
सैनिकों सा साहस, बिना कोई शोर,
जो करे राष्ट्र के लिए एक ख़ामोश युद्ध और।

धूल-धुएँ की घुटन, तपती आग,
सहे बिना शिकायत, सहे हर राग।
श्रम ही उसका अभिमान है,
कर्तव्य ही उसका प्राण है।

ना मंदिरों में दीप जले,
ना उसके नाम से मेले-ठेले।
फिर भी वो है देश की जान,
उसका सम्मान है हमारी शान।

तो आज इन पचास वर्षों पर,
झुकते हैं हम दिल से इस पर्व पर।
उनको प्रणाम, जो अंधेरे में जलते,
ताकि हम रौशनी में पलते।

कोल इण्डिया के हर वीर को सलाम,
जिनके बिना अधूरा है भारत का नाम।
ये हैं वो दीपक जो धधकते हैं बिन बात,
रौशनी देते हैं हर दिन, हर रात।

**डॉ. गोपेश द्विवेदी**
मुख्य प्रबंधक (खनन)
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर

# राजरत्न कोयला

रत्न आते भूगर्भ से, पर सभी न बनते वीरों का मान,
कुछ रत्न संवारते भविष्य, कुछ बढ़ाते हैं अभिमान,
अनमोल रत्न वही पारखी का, जो बदल सके वर्त्तमान,
अलौकिक रत्न एक ऐसा, बना नवयुग का वरदान,
मिटा रहा तम अज्ञान, प्रकट कर रहा जिसको विज्ञान,
लेता ये जीवन का भार, कर रहा जग को दीप्तिमान,
आभा इसकी दिग्दिगंत है, होता है सदैव द्युतिमान,
हीरा माणिक पन्ना धन से आते, ये तो करता है धनदान,
सुरत्न वही जो हरे दु:ख ताप, सदैव दे ब्रह्मतत्व का ज्ञान,
दिव्य रत्न कोयले का, सकल जगत में हुआ आव्हान,
राजरत्न कोयले का, सकल विश्व में महिमा गान॥

श्री चित्तरंजन नाहक
वरिष्ठ अनुवादक(राजभाषा)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, सम्बलपुर

# काला हीरा महानदी का

तू भी काला "वो" भी काला
वो भी प्यारा तू भी प्यारा
ऐ काले! तू है दिलवाला,
अफसर, नेता, श्रमिक सभी से
तुम हो पूजे जाने वाला
तू भी काला "वो" भी काला
वो भी प्यारा तू भी प्यारा। 1।

बन कर ज्योति सजो निखरो तुम
महानदी से कावेरी तक
पर्वत नदियां सागर जंगल
जल कर ज्योति बनो बिखरो तुम
बन जाते सबकी नयनों का तारा
तू भी काला "वो" भी काला
वो भी प्यारा तू भी प्यारा। 2।

महानदी के गर्भ से जन्मा
मिला एमसीएल नाम
चौतीस साल का हुआ सजीला
मां समलाई का लाल
वीर सुरेन्द्र साय की भूमि
करती उस पर नाज
तेईस से चल कर दो सौ पचीस पहुंचा है
देश को ऊर्जा देने वाले
तू भी काला "वो" भी काला
वो भी प्यारा तू भी प्यारा। 3।

उत्कल की माटी बोले है
तालचेर, ब्रजराज, लखनपुर
वसुंधरा के अंचल बोले है
घण्टेश्वर की घंटी बाजे
हीराकुद का जलसागर बोले है
बार पहाड़ की अमर कहानी सा
सम्बलपुर की सुंदर साड़ी बोले है
सबको संबल देनेवाला
तू भी काला "वो" भी काला
वो भी प्यारा तू भी प्यारा। 4।

श्रमिक बंधु तेरे हैं न्यारे
उत्पादन में लगे हैं सारे
आंधी पानी गर्मी तूफान
या कोरोना भी हो मार
योद्धा ये ऊर्जा के प्यारे
हंसते गाते काम पे जाते
क्षणिक नहीं लेते विश्राम
फैलाते रहते उजियाला
तू भी काला "वो" भी काला
वो भी प्यारा तू भी प्यारा। 5।

कवि गंगाधर की तपस्विनी
कवि हलधर नाग के लोकगीत
मिट्टी की सुगंध फैलाते
संबलपुरी नृत्य संगीत
रंगोवती रंगोवती रंगोवती
धूम मचाते माटी की गीत
इन सबकी आंखों का तारा
तू भी काला "वो" भी काला
वो भी प्यारा तू भी प्यारा। 6।

दीन जनों की आम जनों की
बाल वृद्ध बालिका सभी की
शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन की
नित सेवा में निरत अहर्निश
महिला मंडल की सभी नारियां
तुम हो सबके पालनहारा
तू भी काला "वो" भी काला
वो भी प्यारा तू भी प्यारा। 7।

विद्या के मंदिर बनवाए
चिकित्सा के कॉलेज खुलवाए
सड़क, पानी, बिजली आदि से
जन जन तक विकास पहुंचाए
उत्पादन भी संग बढ़ाए
सन छबीस तक ढाई सौ पहुंचाए
क्या क्या खेल दिखाने वाला
एमसीएल तू सबका प्यारा
तू भी काला "वो" भी काला
वो भी प्यारा तू भी प्यारा। 8।

अरिहंत जैन
सहायक प्रबंधक (उत्खनन)
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर

# आहूती

जो सौन्दर्य से वंचित रहे,
जो कुरूप बने,
जिनकी प्राथनाएं मंदिरों से लौटा दी गईं,
जिनमें नहीं खिला कोई फ़न,
जिन तक ख्याति नहीं पहुंची,
जो साधारण रहे
समूहों में नहीं मिलाए गए,
वो चतुराई सीखने में असफल रहे,
जो ठोकर खा कर, चोटिल हो गए,
जो पीड़ाओं में रो दिए,
जिनका क्रंदन, दर्शन नहीं बन सका,
जब तुम पाओगे अपने आप को उनमें खड़ा,
और विषमतायें तुम से टकराएंगी,
पीड़ाएँ तुम्हे जलायेंगी,
धन-संपदाएं तुम्हें त्याग देंगी,
विपत्तियां तुम्हारे पैर उखाड़ देंगी,
और अपने घुटनों पर आ चुके तुम,
तलाशोगे उम्मीद,
तुम्हारे संबंध तुम्हें नहीं पहचानेंगे,
संभावनाएं तुमपर हँसेंगीं,
रेखाएं तुम्हारा भाग्य छोड़ेंगीं, ,
स्वाभिमान का वज़न, बोझ लगेगा,
हाथ पैर निष्प्राण हो जाएंगे,
और अपना सर्वस्व खो चुके तुम,
नत हुए शीश से,
बचे स्वयं को करोगे अर्पित,
उस एक अंतिम आहूति में,
जब तुम मिलोगे अपने ईश्वर से,
उन्हें अपने सामने खड़ा पाओगे,
उनकी आंखों में देखते हुए,
महसूस करोगे उनका तेज,
अपनी सम्पूर्ण त्वचा पर,
बदन गर्म होकर तपने लगेगा,
तुम्हारी इंद्रियां अपना वश खो देंगी,
मुख अनायास ही मुस्काएगा,
आँखें बहने लगेंगी,
सम्पूर्ण शरीर एक पत्थर बन अनंत सूर्य को एक साथ निहारता रहेगा,
गला रुंध जाएगा,
कांपते हुए अधरों से,
तुम अपनी पूरी शक्ति से कहोगे,
आप कहाँ थे!
मेने जीवन अब आपकी प्रतीक्षा है,
तुम्हारी एक ही अभिलाषा बचेगी,
कि अगर तुम इसी क्षण इस तेज से भस्म हो,
इस पल की एक अनंत स्मृति रख सको,
तुम चाहोगे शरीर से बाहर आकर मिलना उस तेज में,
एक किरण जो पुनः सूर्य में मिल जाना चाहती है,
तुम्हें पहली बार धन्य लगेगा होना,
तुम्हारा,
तुम्हें जीवन धन्य लगेगा,
जब पाओगे अपना ईश्वर,

**गजानन कुमार दूबे**
उप प्रबन्धक (वित्त)
कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता

**रौशन पाठक**
प्रबंधक (वित्त)
कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता

# सोचा था कैसा....

रंग बिरंगे फूल
सफ़ेद बर्फ चारो ओर
हरियाले पहाड़
नीला आसमान
और शांत जंगल
झील के स्थिर पानी मे नाँव
और सुंदर पक्षियों का
मंद चहचहाहट
सोचा था कैसा....

क्या कश्मीर है ऐसा?
क्या कश्मीर है ऐसा?

सूखे मुरझाए फूल
पिघलते हुये बर्फ में
बहता हुआ खून
काले पहाड़
दहकता आसमान
डरावने जंगल
चिल्लाते गिद्ध कौए
झील मे टपकता
खून का बूँद
नाँव मे शव
दिखा मुझे ऐसा...

हाँ ! कश्मीर है ऐसा !
हाँ ! कश्मीर है ऐसा !

# मेरी ख्वाहिशें

पुरानी याद बनकर रह गई मेरी ख्वाहिशें
तब गढ़ी थी, जब मिट्टी की बनीं थी
घर की दीवारें मेरी।
अब पत्थर के दीवारों में
महफुज होकर रह 'गई मेरी ख्वाहिशें।

बुनी थी तब जब दिलेरी थी अंदर मेरे
और प्रतिभाओं का तुफान था।
अब तो जिन्दगी के बोझ में,
दफ्न होकर रह गई मेरी ख्वाहिशें।

सुना आया था ख्वाहिशें चीखकर,
अपने खेत खलिहानों को,
सरसराती हवाओं को, खुले आसमानो को
अब गलियों में सिमट कर रह गयी है
मेरी ख्वाहिशे।

जब लिखी थी मैंने इन्हें, मिट्टी की दीवारों पर
तब दोनों हाथों में मेहनत की ताकत थी।
शहर की भाग-दौड़ में बस
इन्हीं दो हाथों की फरियाद बनकर रह गई
मेरी ख्वाहिशें

आशाएँ थी की, ख्वाइशों को
आसमान की ऊंचाइयों तक ले कर जाऊँ।
सफलता के हर आयाम की सैर कराऊँ
वक़्त ने ऐसी करवटें ली, कि
बस ख्वाब बन कर रह गयी
मेरी ख्वाइशें।

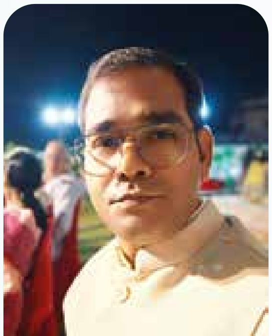

**रोशन कुमार सिंह**
लिपिक
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

# व्यथा भरी वो शाम

व्यथा भरी वो शाम में
उदास-उदास सा मौसम था,
एक रुकी हुई सी धड़कन थी,
जीवन में थी पीर पराई
पीर पराई जो मुझ में थी।

रक्तरंजित वो बिस्तर पर
नींदों में भी उसके आंसू,
आंसू जो आंखों में था।
आंखे पाषाण हुई रात में
रात का अंधेरा सुबह तक था,
रात गई पर मुझ में थी।

पूरी दुनिया सन्नाटे में
सन्नाटे में सिसकियां थीं,
सिसकियों में मैं खो बैठा,
फिर फैली एक खामोशी
खामोशी जो मुझ में थी।

खामोशियां थी प्रश्नों में
प्रश्नों में था नरसंहार,
वह हंसता चेहरा, जो हंसता था,
उस पर थी अब दूर-दूर तक
फैली हुई एक दर्द की चादर,
दर्द की चादर जो मुझ में थी।

दीवारों पर थी टंगी हुई
मानवता की झूठी तस्वीर,
वह तस्वीर जिसका धर्म भी था।
धर्म न था तो उस पीड़ा का,
वह पीड़ा जो मुझ में थी।

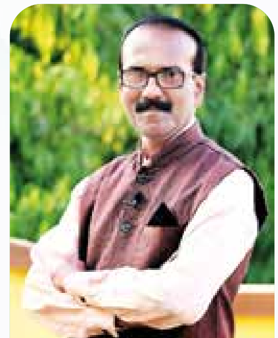

**व्ही. आर. भंडारी**
चालक
वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नागपुर

# तरू से है हरियाली

अगर प्यासे को पीने का पानी मिल जाए।
यही उसके लिए आब-ए-हयात बन जाए।
ऐसे ही तरू हमारे ज़िन्दगी से है जुड़ा।
तभी तो हम इस धरती पर आज है जिंदा।
तरू से ही हमारी चलती है सांसें।
तरू की छत्र छाया में पलते है परिंदे।
तरू से हमको मिलता है आब-ए-दाना।
हमारा फर्ज है तरू की रक्षा करना।
फिर भी हम करते कुछ ऐसा काम।
अपने खातिर इनको देते है ऐसा अंजाम।
लोगों की बढ़ती आबादी है इसका कारण।
आज तरू की गिनती हो गई है कम।
अगर ऐसे ही चलता रहा इस दुनिया में।
सारे धरती वासी पड़ जाएंगे मुश्किल में।
क्योंकि तरू से है धरती पर हरियाली।
तभी हमारे ज़िन्दगी में है खुशहाली।
जब तक हमारे सर पर है तरू की छाया।
जैसे हम पर है ईश्वर का साया।
"बाबू" तभी सारी दुनिया तरू का ये गुण गाता है।
सदा हम पर बनी रहे तरू की छाया है।

नम्रता शुक्ला
वरिष्ठ प्रबंधक (मा. सं)
सीएमपीडीआईएल, रांची

# तीन पीढ़ियां

मेरे बचपन में मैंने एक, नन्ही चिड़िया को देखा था,
चीं चीं करके उसको माँ के, मुख से खाते ही देखा था।

जिद पकड़ वहीं मैं बैठ गयी, मैं भी बस माँ से खाऊँगी
मेरे कर इतने छोटे हैं, इनसे कैसे खा पाऊंगी ?

माँ भी तो माँ ही होती है, सारे प्रबंध कर लेती है,
कर आत्मसमर्पण कभी और, झिड़की देकर के शिशुओं को,

कर लाड-दुलार कभी मुझको, और कभी लगा एक चपत मुझे,
मुझको भी मेरी माँ ने फिर, पर अपने फैलाना सिखा दिया,

बचपन का आँगन छोड़ मुझे, घर नया बसाना सिखा दिया,
अब मेरे आँगन में भी तो, दो नन्ही चिड़ियाँ आयी हैं,

खिल खिल करती गिरती पड़ती, लड़ती भिड़ती घर को भरती,
बेफिक्र चहकती चिड़िया सी, कर फुदक फुदक फुर फुर उड़ती,

कर रस्सा कस्सी वो मुझसे, बातें अपनी मनवाती हैं,
कुछ वो जीतें कुछ मैं जीतूं, वो बहस बड़ी करवाती हैं,

ये सोच कभी मन चिढ़ता है, ये स्वसमर्थ कब ही होंगी,
और सोच कभी ये रोती हूँ, ये मुझे छोड़ बढ़ जाएंगी,

ये जुड़ने और बिछड़ने का, सामंजस्य बनाना मुश्किल है,
कितना जोड़ो कितना छोड़ो, ये गणित बिठाना मुश्किल है।

बच्चों ने पैदा हो कर ही तो, एक माँ को भी जन्म दिया,
उस माँ को माँ की क्षमता का, एहसास करा मजबूत किया,

वो मुझे और मैं उनको जो, बिन कहे सुने ही सुन पाऊँ,
क्या सही गलत क्या दया धरम, ये भाव उन्हें समझा पाऊँ,

लड़ कर अपने हक़ ले लेना, कर्त्तव्य निर्वहन भी करना,
जीवन का ये एक छोटा सा, जो सार उन्हें सिखला पाऊँ,

अपने बच्चों के बचपन में, अपना बचपन फिर जीती हूँ,
उनका जीवन भी सुन्दर हो, ये चिंतन मंथन करती हूँ,

मेरी माँ अब नानी माँ है, दो दो पीढ़ी धमकाती है,
खुद सींच जिसे है बड़ा किया, उस बगिया पर इतराती है,

बन बगिया का वट वृक्ष हमें, स्नेहिल छाया दे पाती है,
नन्हें छोटे कोमल शिशु को, तरु एक मजबूत बनाती हैं।

माँ बन कर ही अपनी माँ की, चिंता को समझा करती हूँ,
नन्ही चिड़िया और उसकी माँ को, मैं याद कभी कर लेती हूँ।

**श्री रमेश सूर्यवंशी**
सीनियर ओवरमैन
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, सम्बलपुर

## मजदूर मां

सर पर ईंटों का बोझ लिए,
पीठ पे बच्चा झुलाती है,
धूप-धूल सब सह जाती है,
फिर भी गीत सुनाती है।

ना छुट्टी, ना आराम उसे,
ना कोई होता साया,
मैंने देखा दर्द में उसे
जाने क्या क्या दुःख उठाया।

माँ भी है वो, मज़दूर भी है,
हर फ़र्ज़ निभाना उसे आता है,
छोटे हाथों की दुनिया को,
अपने खून से सींचे बताना आता है।

कौन कहे मां कमजोर है,
वो तो शक्ति की है परिभाषा,
मज़दूर दिवस पर सलाम उसे,
जो असली मेहनत की है भाषा।

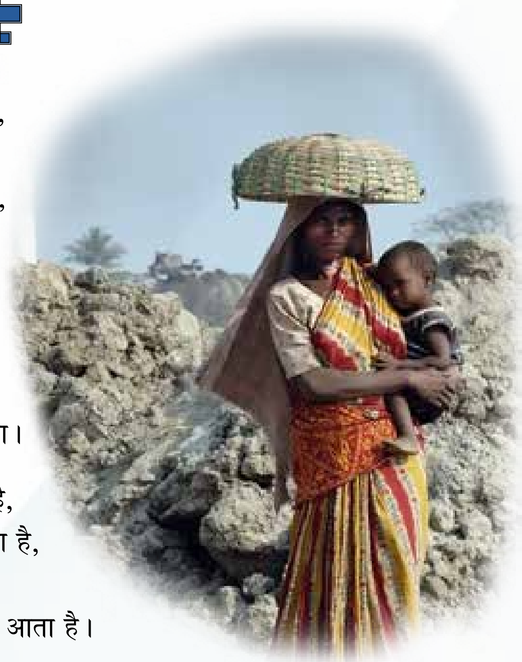

**मोहम्मद रहीस 'सनम'**
डम्पर ऑपरेटर
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर

## मज़दूर-दिवस

मज़दूर हैं हम, मज़बूर नहीं
हम काम सभी के, आते हैं
कोई चाह नहीं है, महलों की
हम धरती पर, सो जाते हैं

सह जाते वो, गर्मी की लपटें
ठंड और बारिश भी, भूल गए
जब टूटते हैं, सपने अपने
आँखों में आँसू, आते हैं

तक़दीर बनाते हैं, ख़ुद से
चट्टान को तोड़े, हिम्मत से
मेहनत की खाते, हैं रोटी
हाथों को नहीं, फैलाते हैं

मज़दूर से प्यार से, बात करो
अपने कामों को, चार करो
जो आँख दिखाए, काम भी ले
नुक़सान वो अपना, उठाते हैं

नहीं पर्व से कम, है दिन ये 'सनम'
मज़दूर ने जिसको, पाया है
आपस में बाँट के, खुशियों को
'मज़दूर-दिवस' हम, मनाते है।

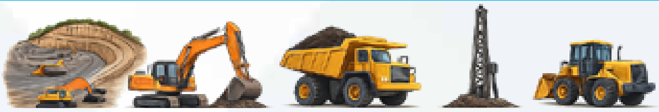

**राजकमल**
पति: सोनाली कुमारी, उपप्रबंधक
कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता

## नासमझ

यूं अचानक से खुलना अचानक से बंद हो जाना,
तेरा दिल है ये या है कोई 'कमल' तहखाना,
यूं तो बरसों से किसी को समझने की जरूरत पड़ती नहीं
अब खुदी को समझना है और खुद को ही समझाना,
कोई तुम्हें बताएगा कि अपनों की बातों को दिल से ना लगाना,
हो नाराज खुद से ही तुम्हें तन्हा ही है जमाने से जाना,
वफ़ा की मशाल ले कर निकले थे तो ये जज्बा ही रखा था,
कि जियादा से जियादा बेवफाई मिलेगी हमें,
या खुदा इंसा से जियादा गधों से था लिखा टकराना
बात तुझ तक पहुंचे तो अपने दिल को बताना,
हम तो चले पर अपना बनाना हो गर किसी को,
तो ऐसे अपनों की बातों को दिल से ना लगाना,
ना जाने कौन सी बात लग जाए तुझको डर लगने लगा,
हमारे पास ना बातों की मिसाइल ना है कोई तोपखाना,
हमें ये सब पता करने को कोई रडार भी नहीं लगवाना,
हम खुश है अपनी मस्ती में अलविदा जाने जाना ॥।

**लक्ष्मण दास वैष्णव**
इलेक्ट्रिशियन
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर

## हिंदी हूँ मैं

भारत माँ के भाल चमकती हिंदी हूँ मैं बिंदी हूँ।
हिंद देश के प्राण में बसती, ऐसी प्यारी हिंदी हूँ॥

माँ की लोरी गीत बनूँ मैं, सरगम बनकर आती हूँ।
हिंदुस्तानी प्रीत बनूँ मैं, सबके हृदय समाती हूँ॥
बालक युवा वृद्ध की बोली, नहीं कहीं पाबंदी हूँ।
भारत माँ.........

देवी संस्कृत माता मेरी, बहनें हैं सब भाषाएं।
एक सूत्र में बाँध सभी को, भरती सब में आशाएं॥
संस्कार की घूँट पिलाती, ऐसी एक बुलंदी हूँ।
भारत माँ.........

स्वर व्यंजन की मात्राओं से, सुंदर रूप सजाती हूँ।
पंत संत वद अंत नहीं है, समरसता बरसाती हूँ॥
पिता दुलारी ममता माँ की, काली गौरी चंडी हूँ।
भारत माँ...........

दफ्तर आफिस रहूँ सजग मैं, मंचों की मैं रानी हूँ।
मीरा सूर कबीरा गाएँ, तुलसी की मैं वाणी हूँ॥
सरल साधना हिंदी हूँ मैं, शिव शंकर का नंदी हूँ।
भारत माँ...........

शब्दों की सुंदर मोती से, माला रोज बनाऊँ मैं।
अक्षय वट पीपल तुलसी की, फलधर पेड़ लगाऊँ मैं॥
भारत माँ की भाल सजाती, हिंदी हूँ मैं बिंदी हूँ।
हिंद देश के प्राण में बसती, ऐसी प्यारी हिंदी हूँ॥

# कोल इण्डिया की विशिष्ट गतिविधियाँ

## 76वां गणतंत्र दिवस समारोह

कोल इण्डिया मुख्यालय, कोलकाता में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत अध्यक्ष श्री पी.एम. प्रसाद तथा कंपनी के निदेशकगण एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पण के साथ आरंभ हुई। तदुपरांत अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में अध्यक्ष श्री पी.एम.प्रसाद ने राष्ट्र के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कोल इण्डिया की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कोयले के आयात पर निर्भरता कम करते हुए देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया।

इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय एवं निदेशकगण द्वारा **'कोयला दर्पण'** के 17वें संस्करण का अनावरण किया गया। **'सिलोस'** द्वारा कोलकाता में दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित किशोर गृह 'बोधना' के प्रतिनिधि को फ्रूट हैम्पर्स वितरित किए गए। कार्यक्रम में कोल इण्डिया के निदेशक (व्यवसाय विकास) श्री देबाशीष नंदा, निदेशक (विपणन) श्री मुकेश चौधरी, निदेशक (वित्त) श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (तकनीकी) श्री अच्युत घटक और मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के साथ बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

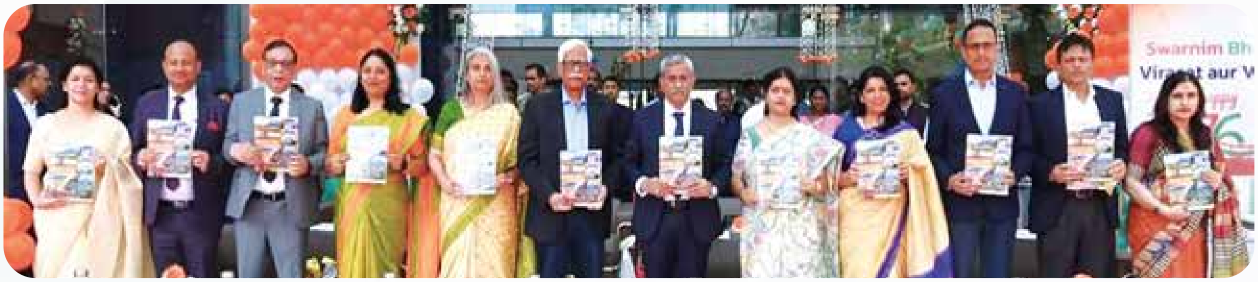

# माननीय कोयला मंत्री द्वारा कोल इण्डिया और अनुषंगी कंपनियों की समीक्षा

दिनांक 03 मार्च, 2025 को भारत सरकार के माननीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने कोल इण्डिया कॉरपोरेट कार्यालय, कोलकाता में कोल इण्डिया और इसकी अनुषंगी कंपनियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और कोयला उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान, माननीय मंत्री ने कोल इण्डिया की वार्षिक सतर्कता पत्रिका **'विजी-कोल'** के दूसरे संस्करण का विमोचन भी किया। बैठक में भारत सरकार के कोयला सचिव श्री विक्रम देव दत्त, कोयला मंत्रालय में अपर सचिव श्रीमती विस्मिता तेज, कोल इण्डिया के अध्यक्ष श्री पी.एम. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. विनय रंजन, निदेशक (व्यवसाय विकास) श्री देबाशीष नंदा, निदेशक (विपणन) श्री मुकेश चौधरी, निदेशक (वित्त) श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (तकनीकी) श्री अच्युत घटक और मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी बैठक में उपस्थित रहे। कोल इण्डिया की अनुषंगी कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध और निदेशक गण ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।

# माननीय कोयला मंत्री ने महिला खनिकों का किया सम्मान

माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी एवं माननीय कोयला एवं खान राज्यमंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने दिनांक 06 मार्च को महिला दिवस के आयोजन के रूप में खनन क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के सम्मान में हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में कोल इण्डिया के 11 महिला कोयला खनिकों को सम्मानित किया। आठ राज्यों में कोल इण्डिया की अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत इन महिला खनिकों ने न केवल बाधाओं को हराकर नई इबारत लिखी है, बल्कि अपने कार्यों में असाधारण समर्पण और उत्कृष्टता की मिसाल पेश की है। इस अवसर पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्रीमती निरुपमा कोटरू, खान मंत्रालय एवं कोयला मंत्रालय तथा कोल इण्डिया के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

# कोल इण्डिया में महिला दिवस का उत्सव

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के उपलक्ष्य में ग्रामीण महिला कारीगरों के सम्मान में **'कांथा मेला'** आयोजित किया गया, जिससे उन्हें कार्यालय के प्रांगण में अपनी उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई प्रदर्शित करने का एक मंच मिला। इन कारीगरों को हमारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, जो पश्चिम बंगाल के विश्व धरोहर स्थल शांतिनिकेतन के पास महिलाओं के कांथा कढ़ाई कौशल को निखारने के उद्देश्य से वित्तपोषित है। प्रतिवर्ष 700 से अधिक कारीगरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, यह पहल क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और साथ ही घरेलू आय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अवसर पर डॉ. मनीषा दास मंडल द्वारा कार्यालयीन महिलाओं के लिए **'स्व-देखभाल'** पर एक स्वास्थ्य वार्ता सत्र आयोजित किया गया।

# संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 135वीं जयंती का आयोजन

दिनांक 14 अप्रैल, 2025 को कोल इण्डिया मुख्यालय में भारतीय संविधान के निर्माता और समाज सशक्तिकरण के प्रणेता डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में निदेशक (व्यवसाय विकास) श्री देबाशीष नंदा, निदेशक (विपणन) श्री मुकेश चौधरी, निदेशक (वित्त) श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (तकनीकी) श्री अच्युत घटक, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बाबासाहेब को पुष्पांजलि अर्पित की।

# कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस का आयोजन

दिनांक 28 अप्रैल को **'कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस'** मनाया गया। अध्यक्ष सीआईएल श्री पी.एम. प्रसाद ने सुरक्षा ध्वज फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अध्यक्ष ने संबोधन में कार्य के दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस.ओ.पी) और सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं (एस.एम.पी) के पालन पर जोर दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए युग में डेटा के व्यवस्थित संकलन और विश्लेषण का लाभ उठाते हुए इसका इस्तेमाल कोल इण्डिया कर्मचारियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की बेहतरी में किए जाने की अपील की। इस अवसर पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस वर्ष यह दिवस "स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति: कार्यस्थल पर एआई और डिजिटलीकरण की भूमिका" थीम के तहत मनाया गया।

# खनिक दिवस का आयोजन

दिनांक 01 मई, 2025 को कोल इण्डिया के अध्यक्ष श्री पी.एम. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. विनय रंजन, निदेशक (विपणन) श्री मुकेश चौधरी, निदेशक (वित्त) श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (तकनीकी) श्री अच्युत घटक, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, कार्यकारी निदेशकगण, महाप्रबंधक तथा विभागाध्यक्षों ने खनिक दिवस के अवसर पर कोल इण्डिया मुख्यालय में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर खनिको के प्रति श्रृद्धांजली अर्पण किए। कोल इण्डिया, खनिकों को अपनी सबसे मूल्यवान धरोहर मानती है। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए वे दिन-रात राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्र की सेवा में उनके अटूट समर्पण के लिए कोल इण्डिया परिवार उन्हें नमन करता है।

# अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन

कोल इण्डिया लिमिटेड ने कोलकाता के साई स्टेडियम में अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया। कोल इण्डिया के अध्यक्ष श्री पी.एम. प्रसाद ने ट्रॉफी का अनावरण कर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. विनय रंजन, निदेशक (विपणन) श्री मुकेश चौधरी, निदेशक (वित्त) श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (तकनीकी) श्री अच्युत घटक और मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी उपस्थित थे। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और कप्तान श्री पी. आर. श्रीजेश समापन समारोह में उपस्थित थे और उन्होंने निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. विनय रंजन के साथ विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में छह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 120 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट में केनरा बैंक विजेता बना, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया और भारतीय खाद्य निगम क्रमशः प्रथम रनर-अप और द्वितीय रनर-अप रहे।

# रवीन्द्र जयंती का आयोजन

महान कवि, लेखक और दार्शनिक, विश्वगुरु श्री रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में कोल इण्डिया के निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. विनय रंजन, निदेशक (व्यवसाय विकास) श्री देबाशीष नंदा, निदेशक (वित्त) श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (तकनीकी) श्री अच्युत घटक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ टैगोर के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए। कार्यक्रम में श्री टैगोर के गीतों और कविताओं का भावपूर्ण पाठ किया गया। इस अवसर पर राजभाषा विभाग द्वारा **'रवींद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में राष्ट्रवाद और हिंदी'** विषय पर एक निबंध-लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

# कोल इण्डिया थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का उत्सव

माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में 08 मई, 2025 को विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कोल इण्डिया **थैलेसीमिया बाल सेवा योजना** की सफलता पर एक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले एक पोस्टर, पैम्फलेट और विमोचन किया गया और योजना पर बनी एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। लाभार्थी बच्चों के अभिभावकों ने अपने अनुभव साझा किए और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों, सहयोगी अस्पतालों के प्रतिनिधियों और नोडल एजेंसी को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

'कोल इण्डिया थैलेसीमिया बाल सेवा योजना' हमारी प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य थैलेसीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित वंचित बच्चों को उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (बीएमटी) के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक देश भर के 17 प्रमुख अस्पतालों के सहयोग से 700 से अधिक बीएमटी प्रक्रियाएँ सफलतापूर्वक संचालित की जा चुकी हैं। कोल इण्डिया द्वारा 2017 में शुरू की गई यह योजना अब अपने तीसरे चरण में चल रही है।

इस अवसर पर माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री के अतिरिक्त माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे, कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्रीमती रूपिंदर बरार, सीआईएल अध्यक्ष श्री पी.एम. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. विनय रंजन, कोयला मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कोल इण्डिया एवं अनुषंगी कंपनियों तथा थैलेसीमिया इण्डिया के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में कंपनी की पाँच दशक की यात्रा पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया।

# विश्व पर्यावरण दिवस 2025

कोल इण्डिया कार्यालय, कोलकाता में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 समारोह की शुरुआत कोल इण्डिया के निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. विनय रंजन द्वारा पर्यावरण ध्वज फहराने के साथ हुई। इस अवसर पर कोल इण्डिया कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा तैयार किए गए कचरे से बनी कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई तथा पर्यावरण संरक्षण पर संदेश देने वाली पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रमों की कड़ी में **'एक पेड़ माँ के नाम'** पहल के तहत कार्यालय परिसर में स्थित **'पारिजात वाटिका'** में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रेमाश्रय में बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की गई, जो कोल इण्डिया द्वारा कैंसर से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्थापित एक आवासीय सुविधा है। कोल इण्डिया लिमिटेड ने सीआईएल के खनन क्षेत्रों में सतत् विकास और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। कोल इण्डिया लिमिटेड ने प्रकृति के और करीब जाने एवं जैव विविधता को समृद्ध करने की अपनी प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाते हुए पश्चिम बंगाल चिड़ियाघर प्राधिकरण की एक्स-सिटू संरक्षण पहल के तहत कोलकाता के न्यूटाउन स्थित **'हरिणालय'** चिड़ियाघर के सभी जानवरों को गोद लिया है। यह पहल न केवल जानवरों की देखभाल में मदद करेगी, बल्कि जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के व्यापक लक्ष्यों को मजबूत करने में भी योगदान देगी।

# हावड़ा ब्रिज को रौशन करेगी कोल इण्डिया

दिनांक 10 जून, 2025 को कोल इण्डिया लिमिटेड ने दुनिया के 7वें सबसे बड़े कैंटिलीवर ब्रिज प्रतिष्ठित रवींद्र सेतु (हावड़ा ब्रिज) को सौर ऊर्जा से रौशन करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट (एसएमपीके), कोलकाता के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। हमारा यह अभियान देश की स्थायी विरासत संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और कोलकाता शहर के प्रति हमारी समर्थन को रेखांकित करती है।

# स्वच्छता पखवाड़ा 2025 का आयोजन

कोल इण्डिया में 16 जून, 2025 से स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत हुई। सीआईएल अध्यक्ष श्री पी.एम. प्रसाद ने सीआईएल मुख्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के शुभारंभ के अवसर पर कर्मचारियों को **"स्वच्छता शपथ"** दिलाये। इस वर्ष की थीम **"स्वच्छता सभी का काम है"** है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि स्वच्छता एक सामूहिक जिम्मेदारी है और समाज के सभी वर्गों के सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। इस अवसर पर कर्मचारियों को अपने दैनिक जीवन में टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक ई-कचरा संग्रह कियोस्क और एक कपड़ा दान कियोस्क स्थापित किया गया।

# अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के उपलक्ष्य में कोल इण्डिया मुख्यालय में सप्ताह भर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें एक्यूप्रेशर परामर्श शिविर, पोस्टर-मेकिंग व सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता, ध्यान एवं योग सत्र, योग चुनौती, कर्मचारी बूट कैंप और वॉकथॉन सहित कई अन्य कार्यक्रम शामिल रहे, जिनका उद्देश्य योग के प्रति व्यापक जागरुकता फैलाना था, ताकि स्वस्थ एवं सुखद जीवन के लिए योग को दिनचर्या में शामिल किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में **"एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग"** थीम के तहत आयोजित राष्ट्रीय उत्सव की कड़ी के रूप में अंतरर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया।

# राजभाषा संबंधी विशिष्ट गतिविधियां

## कवि सम्मेलन का आयोजन

दिनांक 28 फरवरी, 2025 को कोल इण्डिया लिमिटेड के प्रेक्षागृह में संध्या 6:30 बजे से एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कवि - हास्य शिरोमणि पद्मश्री सुरेन्द्र शर्मा, लाफ्टर चैम्पियन सुरेश अलबेला, हास्य-व्यंग्य के प्रसिद्ध कवि प्रताप फौजदार, चर्चित व्यंग्यकार तेजनारायण शर्मा, प्रसिद्ध गीतकार गजेन्द्र प्रियांशु ने अपने ओजस्वी, भावपूर्ण और मनोरंजक काव्य पाठ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज, जीवन, प्रेम और मानवीय मूल्यों पर प्रकाश डाला। यह कार्यक्रम साहित्य, संस्कृति और हिंदी भाषा के प्रति समर्पण का परिचायक रहा। कोल इण्डिया लिमिटेड साहित्य और कला के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया।

इस अवसर पर कोल इण्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री पी. एम. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. विनय रंजन, निदेशक (व्यवसाय विकास) श्री देवशीष नंदा, निदेशक (विपणन) श्री मुकेश चौधरी, निदेशक (वित्त) श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (तकनीकी) श्री अच्युत घटक, सीवीओ श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, कार्यकारी निदेशकगण, विभागाध्यक्षगण, कोलकाता स्थित विभिन्न उपक्रमों तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधिकारीगण विशेष रुप से उपस्थित रहे। साथ ही बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी सपरिवार इस कार्यक्रम के साक्षी बने।

# पाँच दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण

दिनांक 18.05.2025 से 23.05.2025 तक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सहयोग से कोल इण्डिया मुख्यालय के कार्यालय परिसर में पाँच दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोल इण्डिया लिमिटेड के विभिन्न विभागों के कुल 30 अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुवाद की प्रक्रिया-विधि, बारिकियों, समस्या समाधान आदि विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, कोलकाता केन्द्र के सहायक निदेशक श्री ध्रुव नारायण आजाद, वरिष्ठ सलाहकार श्री ए.के. श्रीवास्तव तथा श्री नवीन कुमार प्रजापति, पूर्व वरीय प्रबंधक (रा.भा.), डिवीसी द्वारा यह प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

# हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम

कोल इण्डिया मुख्यालय के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को के लिए हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से कार्यालय परिसर में 2017 से नियमित रूप से राजभाषा हिंदी का प्रशिक्षण कक्षाएँ – प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत - चलाई जा रही है। जनवरी-मई, 2025 सत्र में कुल 21 लोगो ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। जुलाई–नवम्बर, 2025 सत्र के लिए कुल 20 अधिकारी/ कर्माचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। कोल इण्डिया के प्रशिक्षण केन्द्र में आस-पास के कार्यालयों के अधिकारी/ कर्मचारी भी प्रशिक्षण प्राप्त करते है। प्रवीण/ प्राज्ञ/ पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण करने पर हिंदी शिक्षण योजना के अधीन प्रोत्साहन/नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

# नराकास उपक्रम कोलकाता को मिला द्वितीय पुरस्कार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2025 को गुवाहाटी में पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों का संयुक्त राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर नराकास उपक्रम, कोलकाता को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हेमंत विश्वशर्मा और माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद के कर कमलों द्वारा नराकास उपक्रम कोलकाता के अध्यक्ष डॉ. विनय रंजन को प्रदान किया गया। प्रशस्ति प्रमाण-पत्र समिति के सदस्य सह सचिव श्री राजेश कुमार साव ने ग्रहण किया। यह पुरस्कार हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन, राजभाषा नीतियों के अनुपालन एवं हिंदी के प्रचार-प्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। यह सम्मान न केवल कोल इण्डिया लिमिटेड बल्कि समस्त नराकास उपक्रम, कोलकाता के लिए गर्व का विषय है।

ज्ञातव्य हो कोल इण्डिया लिमिटेड नराकास उपक्रम कोलकाता का अध्यक्षीय कार्यालय है। वर्तमान में नराकास उपक्रम कोलकाता में कुल 62 सदस्य कार्यालय है। अध्यक्षीय कार्यालय कोल इण्डिया लिमिटेड हिंदी भाषा के सतत् प्रोत्साहन एवं उसके संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है।

# नराकास उपक्रम कोलकाता के तत्वावधान में आयोजित विविध कार्यक्रम

कोल इण्डिया लिमिटेड की अध्यक्षता में नराकास उपक्रम कोलकाता की छमाही समीक्षा बैठक, पत्रिका का प्रकाशन, संगोष्ठी/कार्यशाला/प्रतियोगिता का आयोजन एवं अन्य गतिविधियाँ नियमित रुप से संचालित हो रही है। वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही बैठक दिनांक 22.01.2025 को संपन्न हुई। उक्त अवसर पर समिति की पत्रिका अभिव्यक्ति की 31वें अंक का विमोचन किया गया। समीक्षा बैठक के उपरांत अलग अलग सत्रों में - विकसित भारत @ 2047 में हिंदी की भूमिका, कृत्रिम मेधा (ए आई ) और हिंदी विषय पर संगोष्ठी तथा कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया।

दिनांक 14.02.2025 निबंध लेखन प्रतियोगिता, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दिनांक 21.02.2025 को लघु नाटिका प्रतियोगिता, 19.03.2025 को आशुभाषण प्रतियोगिता, 25.03.2025 को पत्र एवं टिप्पण लेखन प्रतियोगिता, दिनांक 11.04.2025 को कार्यकारी दल की बैठक, 28.05.2025 को हिंदी गीत-गायन प्रतियोगिता, 24.06.2025 को चित्राभिव्यक्ति प्रतियोगिता, 28.07.2025 को शार्ट फिल्म निर्माण प्रतियोगिता तथा 30.07.2025 को कार्यकारी दल की बैठक का आयोजन किया गया।

# सुर्खियों में कोल इण्डिया

## Coal India Targets 4-5% Production Growth in FY25

**Kolkata:** Coal India Ltd (CIL) has acknowledged that the realistic production target for the current fiscal will be 806-810 million tonnes (MT) down from 838 million tonnes, company Chairman PM Prasad said on Friday. CIL production grew 2.2% to 543 million tonnes till December in the current fiscal. But aiming ramp up production in the remaining days

Publication The Hindu Business Line

## CIL looks to produce 810 mt of coal this fiscal

PM Prasad, CIL Chairman

## Coal India ranked among India's Top 50 Best Workplaces

EOI CORRESPONDENT

KOLKATA, JAN 29 / --/ Coal India Limited (CIL) has been recognized as one of India's Top 50 Best Workplaces in Manufacturing 2025 by Great Place to Work. This prestigious recognition underscores CIL's commitment to cultivating a culture of trust, pride, and camaraderie, while providing a supportive and empowering environment for its workforce.

Coal India has achieved this recognition following a rigorous evaluation among 347 organizations in ...

## 50 टॉप वर्कप्लेस में Coal India

वि, नई दिल्ली : कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India) को भारत के टॉप 50 सर्वश्रेष्ठ वर्कप्लेस में शामिल होने का गौरव हासिल हुआ है। 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' ने 2025 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 347 संस्थाओं के बीच कठोर मूल्यांकन के बाद कोल इंडिया को इस सम्मान से नवाजा है। कोल इंडिया ने कहा ...

दबंग दुनिया

मुंबई महानगर

## भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में कोल इंडिया का नाम शामिल

Publication The Economic Times

## Coal India CSR Spend Rises 36.5% to ₹497 cr in Apr-Jan

New Delhi: State-owned Coal India Ltd's ...

## कोल इंडिया को मिला प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवॉर्ड

## कोल इंडिया में पर्सनल नहीं अब होगा एचआर विभाग

## कोल इंडिया ने वित्तीय कवरेज शुल्क माफ किया

नई दिल्ली। सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड ने रविवार को कहा कि गैर-बिजली क्षेत्र (एनआरएस) के ...

## कोल इंडिया की नजर ऑस्ट्रेलिया-अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक पर

कि 16 अप्रैल से कोकिंग और नॉन-कोकिंग कोयला, दोनों के लिए 10 रुपए प्रति टन की कीमत वृद्धि से ...

## कोल इंडिया लिमिटेड ने शुरू किया 'लक्ष्य'

## Coal India Jan-Mar net profit rises 12% to ₹9,604 cr

PTI

State-owned Coal India Ltd on Wednesday reported a 12 per cent rise in consolidated net ...

## Coal India, Hind Zinc among successful bidders in 5th round of critical mineral block auction

PTI

NEW DELHI

State-owned Coal India, Oil India, NLC India and Vedanta group firm Hindustan Zinc are among the firms that have bagged critical and strategic mineral blocks under the fifth round of auction.

While Coal India Ltd (CIL) has bagged a graphite and vanadium block in Chhattisgarh, Oil India Ltd emerged as a preferred bidder for potash and halite mine in Rajasthan. Another potash and halite in the desert state was bagged by Hindustan Zinc Ltd (HZL). HZL also bagged the REE (Rare Earth Element) block in Uttar Pradesh in this round of auction.

NLC India bagged two phosphorite and limestone block in the state of Chhattisgarh.

Other companies which have bagged blocks in this round of auction are ... Iron and Steel Co Ltd, ... Resources Pvt Ltd, ... Development Pvt Ltd, ... Ramgad Minerals and ... Ltd.

This milestone also ... the first-ever successful ... of a critical and strategic mineral block in Rajasthan ...

PM PRASAD, CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR, COAL INDIA

## 'Solar power of 3,000 MW capacity by FY28 ...

## Coal India plans 19 new first-mile connectivity projects in FY26

**New Delhi:** Coal India Ltd (CIL) plans to set up 19 new first-mile connectivity projects (FMC) in FY26, targeting a 19% increase in coal loading through them. Under FMC, coal producers adopt alternative transport methods—like mechanized conveyor systems and computerized loading on to railway rakes—to replace road transport. CIL plans 92 FMC projects of 994 million-tonnes-per-annum capacity by FY 2029-end. SWARNALI MUKHERJEE

## CIL INKS MOU WITH SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT

MoU for Dynamic Illumination of Howrah Bridge to enhance the aesthetic appeal

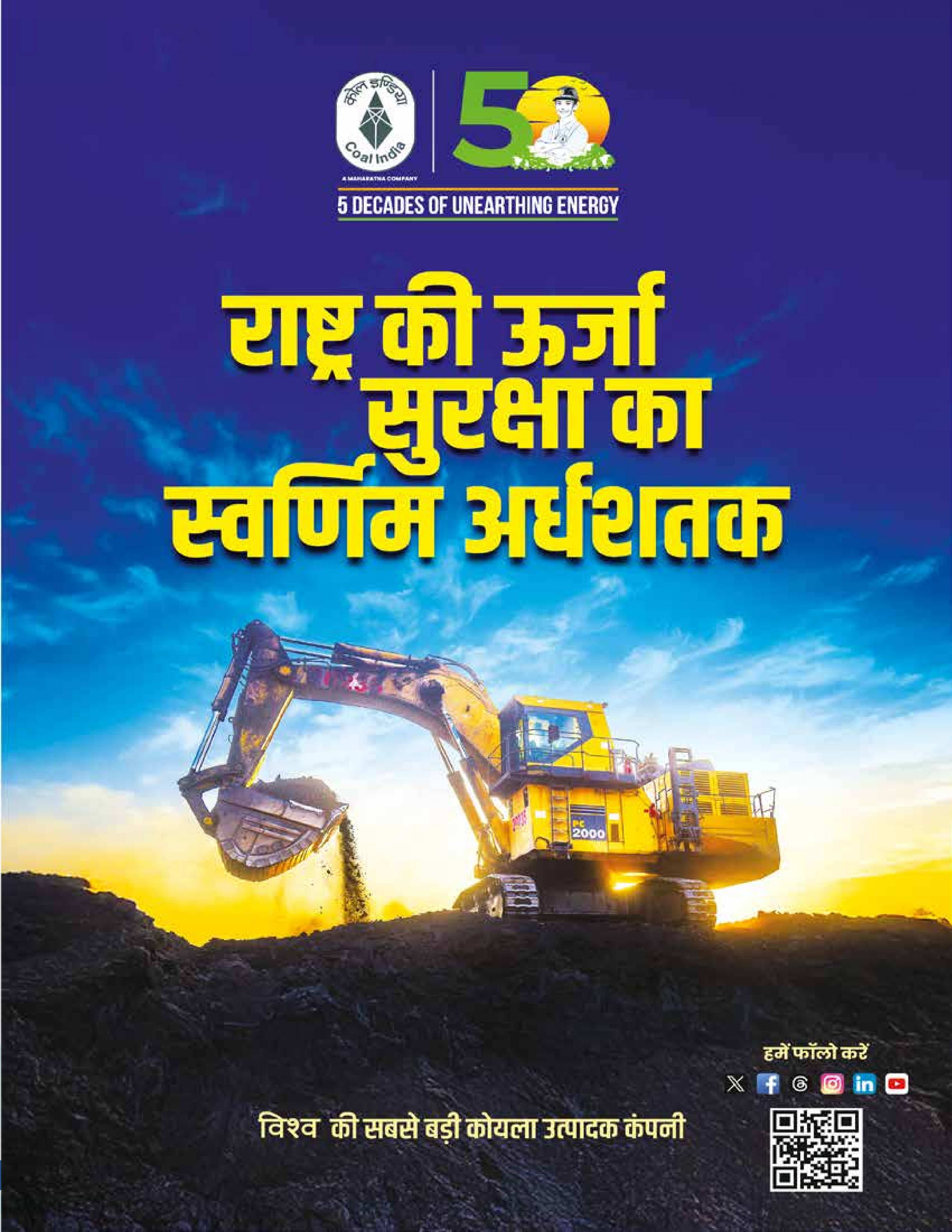
कोल इण्डिया
Coal India
A MAHARATNA COMPANY
5 DECADES OF UNEARTHING ENERGY
राष्ट्र की ऊर्जा
सुरक्षा का
स्वर्णिम अर्धशतक
PC 2000
हमें फॉलो करें
विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी

5 DECADES OF UNEARTHING ENERGY

कोल इण्डिया लिमिटेड
महारत्न कंपनी

www.coalindia.in

CIN: L23109WB1973GOI028844